वर्ष 2, अंक 2
अप्रैल – जून 2022

RNI दिल्ली द्वारा सत्यापित शीर्षक कोड - UPHIN49954
सहयोग राशि : ₹ 60.00

# आंबेडकरवादी साहित्य

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय के दर्शन
पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका

## अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, डॉ. आंबेडकर और बौद्ध धम्म

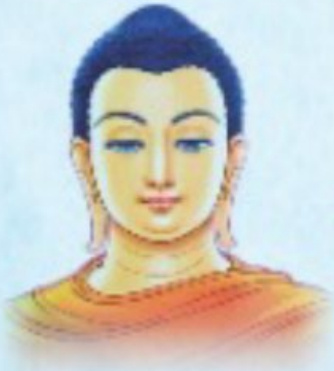

# समस्त देशवासियों को आंबेडकर जयंती, बुद्धपूर्णिमा और कबीर जयंती की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएँ।

## श्यामलाल राही 'प्रियदर्शी'

वरिष्ठ साहित्यकार, बरेली (उ.प्र.)
सम्पर्क - 9456043367

## डॉ. आर. एम. राव 'मनोहर'

प्रबंधक शिवकुमारी मेमोरियल विशेश्वर प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
अम्बेडकर ग्राम पारा ईंटी, इकदिल, काम, फतेहपुर, उ.प्र.
सम्पर्क - 7061240326



## डॉ. बी. आर. बुद्धप्रिय

(अंबेडकरवादी साहित्यकार, चिंतक एवं समालोचक)
हरदोई, उ.प्र.
सम्पर्क - 9412318482

## रघुवीर सिंह नाहर

(अंबेडकरवादी कवि)
अलवर, राजस्थान
सम्पर्क - 9413058580

## राधेश विकास

इण्टर प्रवक्ता
हनुमानगंज, देवरिया, प्रयागराज
सम्पर्क - 9936824322

## आनन्द कुमार सुमन

(अंबेडकरवादी कवि)
सिद्धार्थ नगर, उ.प्र.
सम्पर्क - 9838909065

**संरक्षक**

डॉ0 आर0एम0 राव 'मनोहर', बरेली
श्यामलाल राही 'प्रियदर्शी', बरेली
रघुवीर सिंह 'नाहर', राजस्थान

**संपादक**

**देवचंद्र भारती 'प्रखर'**

मो.- 9454199538
ambedkarvadisahitya@gmail.com

**संपादक मंडल**

डॉ0 बी0 आर0 बुद्धप्रिय, बरेली
डॉ0 मुकुन्द रविदास, धनबाद
भूपसिंह भारती, हरियाणा
आनंद कुमार 'सुमन', सिद्धार्थ नगर
राधेश विकास, प्रयागराज

**संपादकीय कार्यालय**

शी 19/100, भीम नगर कालोनी
सनबीम वरुणा के पास, कचहरी
वाराणसी (उ.प्र.) 221002

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के मत से संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु प्रकाशित लेखों पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। सभी सम्बन्धित पदाधिकारी अवैतनिक हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में वाराणसी न्यायालय ही मान्य होगा।

स्वामी एवं प्रकाशक देवचंद्र भारती 'प्रखर' द्वारा गौतम प्रिंटर्स, सी.27/111-बी, जगतगंज, वाराणसी (उ.प्र.)-221002 से प्रकाशित किया।

# आंबेडकरवादी साहित्य

## बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकम्पाय के दर्शन पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष-2, अंक-2, अप्रैल-जून 2022

**संपादकीय :**

**अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव डॉ. आंबेडकर और बौद्ध धम्म** / 04

**विचार :**

**'गोल' के अध्यक्ष की कलम से .... 'तीन-पाँच'** / 07-08

**आलेख :**

**बाबा साहेब डॉ0 भीमराव आंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण**
डॉ. भीमराव आंबेडकर / 09-23
**राष्ट्रनायक डॉ0 आंबेडकर**
एल.एन. सुधाकर / 24-28
**आंबेडकरवादी साहित्यकारों के नाम संदेश**
बुद्ध शरण हंस / 29-31
**बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे : डॉ. भीमराव आंबेडकर**
भूप सिंह भारती / 32-35
**जातिप्रथा का विनाश तथा अछूत कौन और कैसे?**
देवचंद्र भारती 'प्रखर' / 36-40
**जाति व्यवस्था, राष्ट्र निर्माण तथा बौद्ध धम्म : एक चिन्तन**
भिक्खु आलोक / 41-44
**डॉ. आंबेडकर जयंती की प्रासंगिकता**
डॉ. मुकुंद रविदास / 45-46
**बौद्ध धम्म के पुनर्जीवन हेतु प्रारंभिक कार्य**
डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय / 47-49

**कविताएँ एवं ग़ज़लें :**

**रघुवीर सिंह 'नाहर', मनोहर लाल 'प्रेमी'** / 50-51

**नाटक :**

**क्रांतिसूर्य ज्योतिराव फुले-** कर्मशील भारती / 52-58

**कहानी :**

**माँ! मैं अड़तीस वर्ष की हो गयी-** प्रेमचंद करमपुरी / 59-62
**प्रतिशोध-** श्यामलाल राही 'प्रियदर्शी' / 63-66

**रिपोर्ट :**

**आंबेडकर-जयंती की पूर्वसंध्या पर हुआ ऑनलाइन कविगोष्ठी ...** / 67
**बुद्धपूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गोल द्वारा ऑनलाइन कविगोष्ठी ...** / 68
**GOAL के तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन** / 69-79

# संपादक के नाम पत्र

## गुरु रविदास जी के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों पर ज्ञानवर्धक सामग्री का संकलन

आंबेडकरवादी साहित्य पत्रिका, जनवरी-मार्च 2022 के कुशल संपादन एवं वितरण के लिए मूर्धन्य आंबेडकरवादी विद्वान तथा विचारक श्रद्धेय देवचन्द्र भारती 'प्रखर' जी! आपको हार्दिक बधाई। यह अंक सन्त कवि रविदास जी के व्यक्तित्व का विशेषांक है। अतएव समस्त लेखकों एवं रचनाकारों द्वारा संत शिरोमणी गुरु रविदास जी के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों पर ज्ञानवर्धक सामग्री दी गयी है। जहाँ तक संपादन का प्रश्न है, तो पत्र-पत्रिकाओं का संपादन तथा संपादकीय लेखन सरल कार्य नहीं हैं संपादकी ही पत्रिका का प्राण होता है। इससे संपादक की बौद्धिक क्षमता और अभिनव विपुल ज्ञान की जानकारी होती है। विभिन्न विषयों का सम्यक ज्ञान होने के कारण प्रखर जी! आपको निःसंदेह संपादन कार्य में महारत हासिल है।

प्रज्ञा प्रवीण आदरणीय देवचन्द्र भारती प्रखर जी! आपके द्वारा संपादकीय के माध्यम से संत कवि रविदास जी के जीवन के विविध आयामों से जड़ी किंवदन्तियों के भ्रम निवारण हेतु दस बिंदु यथा- नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, परिवार, गुरु, व्यवसाय, साधना मार्ग, शक्ति प्रदर्शन, शिष्य-शिष्या, परिनिर्वाण आदि पर तार्किक एवं शोध परक विचार प्रस्तुत किया गया है। जिन बिन्दुओं पर मतैक्य नही है, उन पर शोध के लिए विद्वानों से आग्रह किया गया है। इस प्रकार माननीय प्रखर जी! आपने साहित्यिक आदर्श की स्थापना कर स्तुत्य प्रयास किया है। सधे शब्दों में अपने उद्दात्त विचारों को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने में आपको जो कुशलता हासिल है, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। आपके आलेख- 'संत रविदास के काव्य में बौद्ध चिंतन', कविता के संदर्भ में 'गुरु रविदास पचासा', कहानी के क्षेत्र में 'पुजारी' आदि में आपके अनुभव, ज्ञान, दक्षता, भाषा एवं शैली की विशिष्टियाँ द्रष्टव्य हैं। अंत में पुनः सुधी संपादक, कवि, लेखक, आलोचक तथा आंबेडकरवादी विचारक श्रद्धेय प्रखर जी! आपको हार्दिक धन्यवाद देते हुए निरन्तर सफलता की मंगल कामना करता हूँ।

**एस.एन. प्रसाद**

बहादुरपुर, कुर्सी रोड, लखनऊ

## बोधिसत्व स्वरूप सदगुरु रविदास के व्यक्तित्व की सम्यक विवेचना

आदरणीय संपादक जी, सादर नमो बुद्धाय-जय भीम!

आंबेडकरवादी साहित्य पत्रिका के इस अंक में डॉ. मुकुंद रविदास, भूपसिंह भारती, सतनाम सिंह तथा आपके आलेख के साथ-साथ डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय का आलेख संकलित है। डॉ. बुद्धप्रिय ने अपने शोधपूर्ण आलेख के माध्यम से यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि सदगुरु रविदास बोधिसत्व स्वरुप तथा बौद्ध बिरासत के पुरोधा थे। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि संत रविदास की वाणी और तथागत बुद्ध की वाणी में समानता है। इस मिशनरी साहित्यिक पत्रिका के कुशल संपादन एवं इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री के चयन हेतु आपको साधुवाद!

**गौतम आनंद**

अनुपुरम, तमिलनाडु

## आंबेडकरवादी आंदोलन को सफल बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण पत्रिका

प्रिय संपादक महोदय! आपके द्वारा संपादित और प्रकाशित आंबेडकरवादी साहित्य पत्रिका आंबेडकरी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पत्रिका का हर अंक आंबेडकरवाद और आंबेडकरी आंदोलन के संबंध में लोगों को सही दृष्टि और दिशा प्रदान करने में सफल है। बहुजन-कल्याण हेतु इस पत्रिका का योगदान सराहनीय है।

**सुरेश प्रसाद बौद्ध**

कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, बस्ती

## कई साहित्यिक विधाओं के माध्यम से संत रविदास जी के बारे में सम्यक जानकारी दी गयी है।

प्रिय मित्र एवं आंबेडकरवादी साहित्य पत्रिका के संपादक महोदय! आपका साहित्यिक काम देखकर बड़ी खुशी होती है। आप निरंतर तरक्की करते रहें, यही कामना है। आंबेडकरी आंदोलन को साहित्य के क्षेत्र में बड़ी मजबूती के साथ निरंतर आगे बढ़ाते हुए आप जितना संघर्ष कर रहें हैं, बह बहुत ही सराहनीय है। आपकी पत्रिका का हर अंक अपने आप में विशेष है। संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रकाशित अंक पढ़कर हृदय गदगद हो गया। इस अंक में संत रविदास जी के बारे में आलेखों, कहानी और कविताओं के माध्यम से जो जानकारी दी गयी है, वह सबको जानना चाहिए। सही जानकारी के अभाव में लोग संत रविदास जी को भक्त और चमत्कारी कहते रहते हैं। आपने इस अंक के माध्यम से लोगों का भ्रम दूर किया है। महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन के लिए आप हमेशा बधाई के पात्र हैं। साधुवाद!

**सूरज कुमार ( सीआरपीएफ )**

राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित

महेशुआ, नई बाजार (चन्दौली)

**'आंबेडकरवादी साहित्य' पत्रिका के पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रिका एवं प्रकाशित रचनाओं की गुणवत्ता व उपयोगिता के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया 'संपादक के नाम पत्र' के रूप में ambedkarvadisahitya@gmail.com पर प्रेषित करें।**
**अधिकतम शब्द संख्या 500 तक हो।**

संपादकीय

# अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव डॉ. आंबेडकर और बौद्ध धम्म

**हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,**
**बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।**

अल्लामा इक़बाल के इस शेर का वाच्यार्थ यह है कि अपनी सुंदरता से अनजान नरगिस (एक प्रकार का फूल) हजारों सालों तक अपनी बेनूरी (अंधेपन) पर रोती रहती है कि मुझमें कोई गुण, आकर्षण या सुन्दरता नहीं है। हजारों सालों बाद संसार (चमन) में कोई दीदावर (पारखी) पैदा होता है, जो नरगिस को उसकी सुंदरता का आभास कराता है और उसकी सुंदरता की सराहना करता है। इस शेर का लक्ष्यार्थ यह है कि जब संसार में अंधकार (बेनूरी) बढ़ जाता है, तब हजारों सालों में एक युगद्रष्टा जन्म लेता है, जो संसार को इसकी सुंदरता से परिचित कराता है। इस शेर का एक आशय यह भी है कि संसार को समझने के लिए हृदय में एक दृष्टि पैदा करनी चाहिए, अन्यथा आँख होते हुए भी बेनूरी (अंधापन) छायी रहेगी। भारत में अस्पृश्यों (अछूतों) की स्थिति भी नरगिस की तरह ही थी। हजारों सालों बाद उन्हें उनकी सुंदरता और गुण का आभास दिलाने के लिए दीदावर के रूप में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म हुआ था।

बाबा साहेब ने अपने ग्रंथ 'अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने?' में अस्पृश्यता के कारणों का ऐतिहासिक विवेचन किया है। बाबा साहेब ने छुआछूत की उत्पत्ति का कारण स्पष्ट करते हुए एक नये सिद्धांत को प्रस्तुत किया। छूआछूत की उत्पत्ति के नये सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अछूतों को मूलतः बौद्ध सिद्ध किया है। बौद्ध होने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के कारण ही छितरे हुये लोगों को अछूत घोषित किया गया था। बाबा साहेब के शब्दों में, ''यदि हम स्वीकार कर लें कि ये छितरे व्यक्ति बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धम्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धम्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि अछूत ब्राह्मणों को अशुभ क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मुहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते? इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये छितरे व्यक्ति क्यों अछूत समझे गये? ये छितरे व्यक्ति ब्राह्मणों से घृणा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धम्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन छितरे आदमियों को अछूत बनाया। क्योंकि ये बौद्ध धम्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता के मूल कारणों में से एक कारण घृणा भाव है, जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा किया। ''(बाबा साहेब डॉ.

आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खण्ड-14, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, पृष्ठ 86) तथाकथित सवर्ण स्पृश्य लोग भारत के बहिष्कृत लोगों के साथ छूआछूत का बर्ताव करते थे। लेकिन स्वयं स्पृश्यों के बीच में भी अस्पृश्यता की स्थिति पायी जाती है। इस संदर्भ में बाबा साहेब ने सन् 1928 में मुंबई में आयोजित एक जनसभा में भाषण देते हुए कहा था, ''ब्राह्मणों के अलावा अन्य सभी जातियों को अस्पृश्यता का थोड़ा-बहुत संताप झेलना ही पड़ा है और वे झेल रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच भी जातिविशिष्ट अस्पृश्यता और ऊँच-नीचता का भाव है। पूजा करते समय पलसीकर ब्राह्मणों के आने से अपवित्रता छा जाती है, ऐसा चित्पावन ब्राह्मण मानते हैं। कायस्थ महिला के स्पर्श से अपने कपड़े अपवित्र न हो जाएँ, इसलिए ब्राह्मण महिला कुमकुम की डिब्बी जमीन पर रखती है और कायस्थ महिला जमीन पर रखी डिब्बी से उठाकर कुमकुम का तिलक लगा लेती है। इस तरह स्पृश्य जातियों में भी अस्पृश्यता फैली हुई है।'' (बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर, खंड 38, पृष्ठ 143)

अस्पृश्यता के अतिरिक्त जातिप्रथा भी हिंदू समाज का कोढ़ है। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक 'जातिप्रथा का विनाश' में जातिप्रथा की उत्पत्ति और उसके विनाश का तथ्यपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जातिप्रथा के कारण ही हिंदू समाज के लोगों में एकता का अभाव है। यही नहीं, स्वयं अस्पृश्य लोग भी आपस में एक नहीं हैं। सन् 1937 में पंढरपुर (सोलापुर) में आयोजित एक जनसभा में भाषण देते हुए बाबा साहेब ने कहा था, ''अस्पृश्यों में शामिल महार, चमार, भंगी आदि जो जातियाँ हैं, उनमें एकता नहीं है। इस एकता न होने का कारण हिंदू समाज का जातिभेद ही है।'' (बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण वांग्मय, खंड 39, पृष्ठ 59) अस्पृश्यों के बीच व्याप्त जातिभेद को कैसे नष्ट किया जा सकता है? इसके बारे में बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने अपने आलेख 'मुक्ति कौन पथे?' में लिखा है, ''क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि अस्पृश्यों के बीच व्याप्त जातिभेद को कैसे नष्ट किया जा सकता है? सहभोजन करने से या कभी-कभार सहविवाह करने से जातिभेद नष्ट नहीं होता। जातिभेद एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक व्यथा है। इस मानसिक व्यथा का जन्म हिंदू धर्म की सीख के कारण होता है। हम जातिभेद का पालन इसलिए करते हैं, क्योंकि हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जिस धर्म का पालन करते हैं, वह धर्म हमें ऐसा करने के लिए कहता है। अगर कोई चीज कड़वी हो, तो उसे मीठा बनाया जा सकता है। नमकीन, कसैली हो, तो उसका स्वाद बदला जा सकता है। लेकिन विष को अमृत नहीं बनाया जा सकता। 'हिंदू धर्म में रहते हुए जातिभेद को नष्ट करेंगे', कहना लगभग विष को अमृत बनाने की बात कहने जैसा ही है। अर्थात् जिस धर्म में इंसान को इंसान से घिन करने की सीख दी जाती है, उस धर्म में हम जब तक हैं, तब तक हमारे मन में व्याप्त जातिभेद की भावनाएँ कभी भी नष्ट नहीं होगी। अस्पृश्यों में व्याप्त जातिभेद और अस्पृश्यता नष्ट करनी हो, तो उन्हें धर्म-परिवर्तन ही करना होगा। ''(बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड 38, पृष्ठ 491)

वर्तमान में अधिकांश अस्पृश्य लोगों ने धर्म-परिवर्तन करके बौद्ध धम्म को अंगीकार कर लिया है। लेकिन दुःख की बात यह है कि लोगों ने केवल धर्म बदला है, उन्होंने अपनी धारणा अभी तक नहीं बदली है। वे जातिभेद की भावना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके हैं।वे अभी तक अपनी जातियों/उपजातियों में ही रोटी-बेटी का संबंध स्थापित करते हैं। यही कारण है कि वे सही मायने में संगठित नहीं हो पा रहे हैं। बाबा साहेब इस बात

को लेकर अत्यंत चिंतित थे। सन् 1939 में आयोजित एक जनसभा में बाबा साहेब ने कहा था, ''मैं चाहता हूँ कि धर्मांतरण के बाद हमारे बीच का महार, भंगी, चमार आदि जातिभेद नष्ट हो। धर्म बदलेंगे, तो कम से कम महार, भंगी, चमार आदि नाम तो हमसे चिपकेंगे नहीं। हम सब एक होकर उन्नति की राह पर आगे चलेंगे।'' (बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड 39, पृष्ठ 240) बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे दीदावर को पाकर और उनका अनुसरण करके अधिकांश अस्पृश्यों ने आर्थिक रूप से उन्नति की है। उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नति करने की अति आवश्यकता है। इन दोनों क्षेत्रों में अस्पृश्य अभी बहुत ही पीछे हैं। अस्पृश्यों (वंचित वर्ग) को यदि अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है, तो उन्हें बौद्ध धम्म को हृदय से अंगीकार करके धम्मानुसार आचरण करना होगा।

**-देवचंद्र भारती 'प्रखर'**

विचार

**डॉ0 आर0एम0 राव 'मनोहर'**
बरेली, उत्तर प्रदेश
मोबाइल : 7060240326

# 'गोल' के अध्यक्ष की कलम से ....
# 'तीन-पाँच'

पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति और क्रमिक विकास के साथ मानव तथा उसके आधुनिक सभ्य मानव बनने तक एक लम्बा सफर है। प्रारम्भ में कबीलों में रहने के साथ ही मनुष्य में सामाजीकरण की प्रक्रिया शुरु हो गयी थी। जब दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहने लगे, तो धीरे-धीरे आपसी हितों में टकराव होना स्वाभाविक था। साहचर्य, जन्म, बीमारी, मृत्यु आदि जीवन की विभिन्न स्थितियाँ जहाँ एक तरफ आपसी सम्बन्धों की वजह बनीं, वहीं टकराव का कारण भी बनीं। कालान्तर में एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ी, तो आपसी हितों के कारण साथ-साथ रहने के लिए तौर तरीके और नियम बने होंगे, जो रीति-रिवाज और मर्यादा निर्धारित किये जाने तक पहुँचे। सभ्यता के साथ-साथ परिवार और समाज भी सुदृढ़ हुये और सामाजिक मर्यादाएँ भी रेखांकित हुई। परन्तु दूसरी तरफ प्रारम्भ हुआ वर्चस्व का द्वंद भी। अनेक उतार-चढ़ाव आये अस्तित्व एवं वर्चस्व के संघर्ष में। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य में सीखने की ललक भी बलवती होती गयी। साथ ही संवेदनशीलता भी बढ़ी। अपने-पराये का दायरा बढ़ा, जिसने मनुष्य को आपस में जोड़ा भी और तोड़ा भी। जिसके फलस्वरुप लोगों में यदि जिज्ञासा, प्रेम सहयोग बढ़ा, तो संघर्ष भी बढ़ा। फिर राजा-प्रजा की व्यवस्था में सख्त नियम/विधान भी बने। उल्लंघन पर दंड के नियम भी निरुपित किये गये। इसके साथ न्याय-अन्याय जैसे सवाल भी उठने लगे। लोगों को अनुशासित रखने के लिये क्रमशः धर्म और विधान अस्तित्व में आये। लोगों की जीवनशैली धर्म से नियंत्रित होने लगी, पता ही नहीं चला।

किसी की भी अति पुनः गर्त में ले जाती है, और यही प्रत्यक्ष घटित होने लगा। अनेक अलग-अलग सभ्यतायें जन्म लेने लगी, जो शासक और शासन के अनुसार परिवर्तित होती रही। भारत में अनेक वाह्य शक्तियों के आवागमन से भी अस्थिरता जन्म लेने लगी। इसी के मध्य बुद्ध हुये और जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे उससे लोगों को आलोकित करने लगे और आज से लभगभ ढाई हजार वर्ष पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित त्रिशरण और पंचशील खास लोकप्रिय हुये। जैसा की आप जानते हैं कि त्रिशरण में तीन बातें तीन बार कही जाती हैं अर्थात् बुद्ध (ज्ञान), धम्म और संघ। सामाज में व्यापक प्रभाव हुआ और इनकी ग्रहयता लोगों में बढ़ती चली गयी।

मध्य वर्ग और वैज्ञानिकता/तार्किकता के पक्षधर होने के साथ ही समता, स्वतंत्रता, बन्धुता के लक्ष्य ने त्रिशरण को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया।

सोने पर सुहागा तब हुआ, जब बुद्ध ने कर्मकाण्ड के बदले पंचशील के पालन करने को ही आम जनता का धम्म बताया। पाँचों शील अर्थात् चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ और नशा से विरत रहने के पालन करने को मर्यादा और धम्म कहा। इसके साथ मूर्तिपूजा, चढ़ावा, कर्मकाण्ड, आडम्बर कुछ भी नहीं था और यही कारण है कि कालान्तर में सम्राट अशोक भी युद्ध में रक्तपात, नरसंहार से विचलित हो धम्म को अंगीकार कर भारत में शान्ति स्थापित करने में सफल हुये ही, विश्व में शांति का संदेश देने में भी सफल हुए। मनुष्य की दुर्बलता-वर्चस्व एवं लोभ ने पुनः बाजी पलट दी। जब शुंग अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा करते हुये येन-केन-प्रकारेण उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में सफल हुआ, जो भारत में जाति-वर्ण की व्यवस्था, भगवान और भय को स्थापित करते हुये लोगों में भेद भाव और पाखंड पनपा दिया, जिससे लोग आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसके लिये सीधे प्रचार के साथ उलटे ठंग भी अपनाये गये। त्रिशरण और पंचशील का उपहास और बदनाम करने के साथ हतोत्साहित किया जाना भी सम्मिलित है और दुर्भावना पूर्वक लोकोक्ति ''ज्यादा हमसे तीन-पाँच तो करो नहीं'' गढ़कर प्रचारित किया गया। इसे आम आदमी बिना सत्यता जाने धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है।

भारत से अंग्रेज 1947 में गये और 1950 में संविधान लागू हुआ, जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। संविधान किसी और ने नहीं, बल्कि इसके निर्माता स्वयं बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर हैं, जिन्होंने तमाम धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात बुद्ध के धम्म को उपयुक्त समझा और 1956 में स्वयं अंगीकार कर पुनः स्थापित एवं प्रचारित किया। आज समय की माँग है कि पाखण्ड, आडम्बर का रास्ता छोड़ पुनः समता, बन्धुता के लिये त्रिशरण, पंचशील यानी तीन-पाँच करना प्रारम्भ कर दें और सम्भव हो, तो थोड़ा और आगे बढ़ 'तीन-पाँच' के साथ 'आठ' (अष्टांगिक मार्ग) का तेजी से अनुशरण करें।

**भवतु सब्ब मंगलमं!**

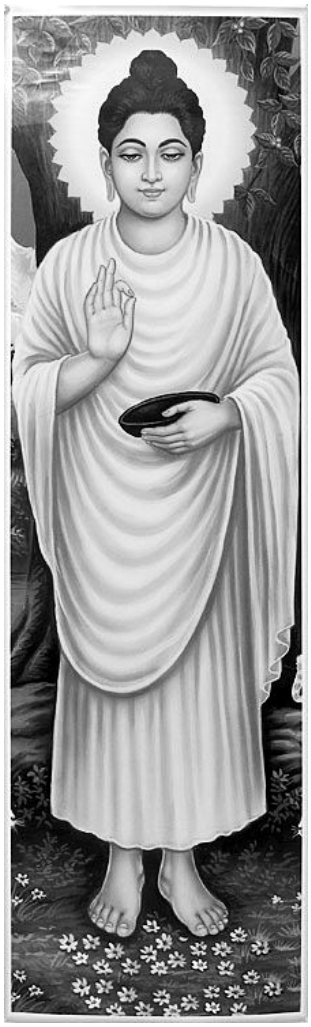

आलेख

बोधिसत्व बाबा साहेब
डॉ. भीमराव आंबेडकर

# बाबा साहेब डॉ0 भीमराव आंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण

## बात राष्ट्रवाद की, कृति जातिवाद की

''अस्पृश्यों के हकों पर डाका डाल कर राजनीति की दृष्टि से उन्हें पूरी तरह ठगने के बाद जहाँ भी संभव हो वहाँ, हर तरह से अस्पृश्यों का मनोबल कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के बड़े प्रमाण हमें मिलने लगे हैं।

मुंबई में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अस्पृश्य छात्रों के सामने कई तरह की मुश्किलें आती हैं, इसलिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने सोचा कि अस्पृश्य छात्रों को खास रियायतें मिलें। इसलिए 'पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना कर उसके जरिए सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया जाए। कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से ग्रैंट ली गई और मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई है। जून में यह कॉलेज शुरू होने जा रहा है। अस्पृश्यों के लिए विशेष रियायतों वाले कॉलेज की स्थापना हो रही है और वह खुल भी रहा है। यह देख कर सवर्ण हिंदुओं में जलन पैदा हो चुकी है। हिंदू धर्म रूपी पेट के अंदर इस द्वेषरूपी जलन के कारण जो घपले पैदा हो रहे है। उसकी आवाज 26 मार्च, 1946 के दिन केंद्रीय विधानसभा की बैठक में सुनाई दी।

1932 में पुणे करार का बोझ अस्पृश्यों के गले बांधने से पूर्व गांधी जब आखरी सांसें ले रहे थे, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने शब्दों के सहारे डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के मानो चरण ही पकड़ रखे थे। जिन लोगों के कहे को मान कर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने गांधी को जीवनदान दिया था, उनमें पंडित मदन मोहन मालवीय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं मालवीय साहब के सुपुत्र ने कुत्सित बुद्धि से सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में सवाल पूछे और कहा कि इस प्रकार के कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि, अस्पृश्यों की शिक्षा संबंधी सारी जरूरतें हिंदू समाज पूरी कर रहा है। पंडित गोविंद मालवीय के सवालों का डॉ. बाबा साहेब ने विधानसभा में जो जवाब दिया, उसे हम यहाँ दे रहे हैं''- संपादक, जनता।

अध्यक्ष महोदय,

फाइनांस बिल पर चल रही चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिए जाने के लिए पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ, वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अब तक हुई चर्चा में मेरे विभाग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई, इसका मुझे संतोष है। इसके बावजूद मैं बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ। कल फाइनांस बिल के बारे में बोलते हुए मेरे मित्र पंडित गोविंद मालवीय अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे कॉलेज की योजना के बारे में भी बोले थे, जिसकी वजह से आज मुझे

बोलना पड़ रहा है।

कॉलेज की योजना का निरीक्षण शिक्षा विभाग ने किया और फाइनांस विभाग ने उसे मान्यता दी, इसलिए इन विभागों को ही अगर इस विषय में खुलासा करने दिया होता, तो बेहतर होता। मैंने उस योजना को केवल लागू किया था। इसके बावजूद मेरे मित्र गोविंद मालवीय द्वारा उपस्थित किए मुद्दों का जवाब देने की जिम्मेदारी ऊपरिनिर्दिष्ट विभागों पर न डाल कर मैं खुद जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसकी केवल एकमात्र वजह है और वह है कि इस योजना की समीक्षा करते हुए मेरे मित्र ने उसे राजनीतिक लबादा उढ़ाने की कोशिश की है।

इस योजना के बारे में शुरू में ही मेरे मित्र ने कहा, 'मुझे इस योजना के बारे में आश्चर्य होता है।' मैंने जब उनका पूरा भाषण पढ़ा, तब मुझे लगा कि उन्हें आश्चर्य लगने की वजह खुद उनकी धारणा है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में दलीय अंधानुकरण का भूत घुस आया है। इस मामले में, मैं अपने मित्र को एक मशहूर कहावत याद दिलाना चाहूँगा कि- कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इस कहावत के जरिए जो कहा जा रहा है, वह पंडित जी समझ पाएंगे या नहीं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पंडितजी राष्ट्रवाद की बातें बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सादे हिंदुओं की बात तो दूर रही, जिनके साथ अपना क्षेत्र-गोत्र नहीं मिलता, उन ब्राह्मणों के हाथ का पानी तक न पीने का जिगर न रखने वाले पंडितजी जैसे आदमी राष्ट्रवाद की चर्पटपंजरी सभागृह के सदस्यों को और मुझे सुनाते हैं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।

धर्मांधता में सनी पवित्रता को किसी ओर की छुआछूत न हो, इसका ख्याल रखने वाले को राष्ट्रवाद-जातिवाद का हल्ला मचाते हुए किसी और पर जातिवाचकता का, पार्टी का अंधानुकरण करने का, पक्षपात का आरोप करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पंडितजी का गहरा ताल्लुक था या है, इस बात को वे न भूलें। मैं पंडितजी से पूछता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या जातिवाचक संस्था नहीं है? बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सभी हिंदुओं के लिए नहीं है, वह केवल हिंदू धर्म की एक विशिष्ट जाति की देखरेख में चलने वाली और खास उन्हीं के लिए चलाई जाने वाली संस्था है। इस विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ब्राह्मणेतर लगभग हैं ही नहीं, इस बात से क्या वे इनकार कर सकेंगे?

1916 में इस विश्वविद्यालय द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में क्या यह पक्के तौर पर तय नहीं किया गया था कि हिंदू धर्मशास्त्र का अध्यापकत्व केवल ब्राह्मणों को ही मिले, किसी अन्य को न मिले, भले उस विषय में उसकी शैक्षिक योग्यता ब्राह्मण अध्यापक से श्रेष्ठ क्यों न हो? बहुत दूर की नहीं, अभी हाल ही में एक कायस्थ लड़की को ब्रह्मज्ञान के पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश न दिए जाने पर उसे अनशन करना पड़ा था। कम से कम इस बात को मेरे मित्र भूले नहीं होंगे। इन सभी उदाहरणों से क्या यही साबित नहीं होता कि यह जातीय अंधानुकरण है, पक्षपात है, धर्मांधता है? पंडितजी के पास इसका कोई जवाब है?

अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना को लेकर कल हुई चर्चा की रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा ध्यान अपने एक और मित्र मा. अयंगार के वक्तव्य की ओर गया। मा. अयंगार का ध्यान अपने

शहर में क्या चल रहा है, इस तरफ शायद नहीं गया हुआ दिखाई देता। मैं उनसे कहता हूँ कि वे इसी महीने की 12 तारीख का मद्रास से निकलने वाला 'हिंदू' अखबार पढ़ें। उसमें उन्हें पता चलेगा कि सालेम में उनके जातभाइयों ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें यह तय किया गया कि वास ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना की जाए और उस संस्था द्वारा ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हो। ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोला जाए, उद्योग चलाए जाएँ और ब्राह्मणों की इस परिषद के अध्यक्ष कौन? सर सी. पी. रामस्वामी अय्यर जैसी विभूति!

इस देश का हर आदमी मुंह से राष्ट्रवाद की जय बोलता रहता है। लेकिन उसके काम जातीयता, अंधानुकरण से भरे होते हैं।

जिस समाज को अपने संकट भरे, आत्यांतिक कठिन जीवन के बारे में पहली ही बार अहसास हुआ है, वह अस्पृश्य समाज इन संकटों से अपनी मुक्तता करवाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा पाने हेतु शैक्षिक संस्था स्थापन करने की सोचते हैं। तब जो सदस्य अपने बारे में यह कहते नहीं थकते कि, 'हमने जनता के कल्याण का बीड़ा उठाया है' वही सदस्य 'पक्षांधता- जात्यांधता' मचाई जाने के विरोध में हल्ला बोल कर विरोध दर्ज करते हैं।

सभी सदस्यों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात साफ करना चाहता हूँ कि यह कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों का है, यह कहना पूरी तरह गलत होगा। अन्य सभी कॉलेजों की तरह इस कॉलेज में भी हर किसी को शिक्षा पाने की इजाजत है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के लिए जिन अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, उनमें सभी जातियों को शामिल किया गया है। उनमें हिंदू ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणेतर भी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं। इस बात की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जिस समय इस कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के सामने अर्जी रखी गई, उस वक्त बिना किसी आशंका के विश्वविद्यालय ने तुरंत मान्यता दी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई थी। खासतौर पर कहने की विशेष बात यह है कि इस कॉलेज की स्थापना, अध्यापक वर्ग तथा अन्य व्यवस्था विश्वविद्यालय को इतनी पसंद आई है कि मुंबई विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज को आज तक पहले साल में ही सभी कक्षाएँ चलाने की अनुमति नहीं मिली थी। वह इस कॉलेज को पहले साल में ही सभी कक्षाएँ चलाने की अनुमति नहीं मिली थी वह इस कॉलेज को पहले ही साल में दी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी मायने में इस कॉलेज को 'केवल अस्पृश्यों का कॉलेज' नहीं कहा जा सकता। इस कॉलेज में प्रवेश, वजीफे और होस्टल में रहने की जगह आदि विशेष सुविधाएँ अस्पृश्यों को उपलब्ध कराई जाएँगी। इस कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह मैं अब बताना चाहता हूँ।

मुंबई प्रांत में छात्रों की संख्या में कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस बारे में शायद सदस्यों को जानकारी न हो। सामने बैठे मेरे मित्र गाडगिल को पता है कि पिछले ही साल एक ही साल में मुंबई विश्वविद्यालय को उन्नीस नए कॉलेज खोलने की अनुमति देनी पड़ी। इससे आप जान पाएँगे कि किसी कॉलेज में प्रवेश पाना छात्रों के लिए कितनी मुश्किल बात हो गई है। अस्पृश्य छात्र खासकर इस कठिन स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैट्रिक पास करने के बाद अस्पृश्य छात्रों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। यही वजह थी कि अस्पृश्य छात्रों

की मुश्किल की ओर मुझे सरकार का ध्यान दिलाना पड़ा और मैंने अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल दूर करने वाली संस्था की स्थापना के बारे में बताया। इसलिए कहता हूँ कि जिस 'सिद्धार्थ कॉलेज' की कल्पना और योजना के संदर्भ में आपत्तियाँ उठाई जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं।

मेरे मित्रों ने एक और बात पर चर्चा के दौरान ध्यान दिलाया था। उन्होंने चर्चा का रूख राजनीति की ओर क्यों मोड़ा, यह समझना मुश्किल है। हाल ही में हुए चुनावों के बारे में बोलते हुए मैं बुरी तरह लड़खड़ाया, ऐसा उनका कहना है। यह कह कर उन्हें क्या हासिल हुआ, यह तो वे वुद ही जानें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगा होगा कि भारत सरकार को मेरे कथन के साथ सहमत नहीं होना चाहिए था। जो हो, कहा चाहता हूँ कि यह बसंत ऋतु के आगमन से पूर्व की स्थिति है। मेरा आंदोलन अमर है।

चुनाव परिणामों के बारे में बोलते हुए मेरे मित्रों ने कहा कि अस्पृश्यों की सभी आरक्षित सीटें काँग्रेज ने जीत लीं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जिन तरीकों से ये सीटें जीती हैं क्या उन तरीकों की काँग्रेस ने कभी पड़ताल की है? क्या तरीके अपनाए गए थे, यह मैं बताता हूँ और सबूतों के साथ बताया हूँ।

कई जगहों पर, वास कर सातारा जिले में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। सभी सदस्यों को इस बात का पता तो होगा ही कि सातारा जिला वही जगह है, जहाँ पत्री सरकार थी। 361 गाँवों के अस्पृश्य मतदाताओं को गाँव वाले गाँव की कचहरी में लेकर गए। डरा धमका कर उनसे पूछा गया कि आप काँग्रेस को वोट देंगे या नहीं? अस्पृश्य मतदाताओं ने काँग्रेस को वोट देने से साफ इनकार किया। उन्हें कचहरी में ही बंद करके रखा गया। उन पर पहरा बिठाया गया, ताकि वे वहाँ से हिलें नहीं। इस तरह के कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। यह तो कुछ भी नहीं, काँग्रेस के विरोध में खड़े रहे अस्पृश्य उम्मीदवारों के साथ मारपीट भी की गई। अभी हाल में आगरा में चुनाव हुए, वहाँ की बात ही लीजिए। चुनाव के दिन अस्पृश्यों के पचास मकान जलाए गए। अस्पृश्य मतदाता, मतदान केंन्द्र पर वोट देने गए, तो पीछे 20 लोगों के घरों को लूटा गया। नागपुर में सात लोगों के कत्ल हुए और यह सब काँग्रेस के स्वर्ण हिंदुओं ने किया। चुनाव जीतने के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए। ये सीटें काँग्रेस ने जीते यह केवल चुनाव परिणामों के आधार से तय करना केवल मूर्खता होगी। क्योंकि समाज में अस्पृश्यों की संख्या 5 प्रतिशत है और हिंदुओं की संख्या 95 प्रतिशत है। ऐसे हालात में कौन किसका प्रतिनिधि है, यह कैसे तय किया जा सकता है? इसीलिए, चुनाव परिणामों की कसौटी प्राथमिक चुनावों के परिणामों से ही तय की जानी चाहिए। क्योंकि, अस्पृश्यों के प्राथमिक चुनाव अलग चुनाव क्षेत्र के आधार पर हुए हैं। इन प्राथमिक चुनावों के परिणाम क्या निकले? यहाँ बैठे लोगों को पता चले इसलिए मैं यहाँ कुछ जगहों के परिणाम बताता हूँ। आप यह बहुत गौर से सुनिए-

पंजाब में तीन जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। मुंबई में तीन सीटों के लिए, मध्य प्रांत में चार जगहों पर, मद्रास में दस जगहों पर और संयुक्त प्रांत में दो जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। सदस्य एक बात ध्यान में रखें कि प्राथमिक चुनाव अपरिहार्य नहीं होते। अस्पृश्यों के पाँच उम्मीदवार जब तक चुनाव में नहीं उतरते, तब तक प्राथमिक चुनाव नहीं हो सकते। चुनावों में अंट-शंट खर्चा होता और उतने

रूपए न होने के कारण अस्पृश्य प्राथमिक चुनाव ही नहीं चाहते। कुछ 22 जगहों के लिए प्राथमिक चुनाव हुए। हर सीट के लिए काँग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। इन 22 सीटों में से 19 सीटों पर शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट मिले। मुंबई में दो जगहों पर तो अस्पृश्य उम्मीदवार की तुलना में काँग्रेस के उम्मीदवार को नगण्य वोट मिले। भायखला विभाग में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवार को 11334 वोट मिले जबकि काँग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2096 वोट मिले ओर मुंबई जी. और उपनगर में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवार को 12899 वोट मिले जबकि काँग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2088 वोट मिले। मध्य प्रांत के केवल दो जगहों के ही आंकड़े में देता हूँ। नागपुर चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवार को 1933 वोट मिले जबकि काँग्रेस के उम्मीदवार को केवल 270 वोट मिले। भंडारा विभाग में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन को 3187 वोट मिले और काँग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिला कर 976 वोट मिले। आगरा विभाग में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन को 2248 वोट मिले और काँग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिला कर 840 वोट मिले। पंजाब-लुधियाना-फिरोजपुर विभाग में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन को 1900 वोट मिले और काँग्रेस को 500 वोट मिले। (डॉ. बाबा साहेब बोल रहे थे तभी काँग्रेस पार्टी के विधायक दीवान चमनलाल ने बीच में ही उठकर कहा, 'डॉ. आंबेडकर कोरी गप सुना रहे हैं।' सुनकर डॉ. बाबा साहेब गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उनके शब्दों पर आपत्ति की। उस वक्त उन्होंने दीवान चमनलाल से कहा कि, जब मान्यवर डॉ. अम्बेडकर अपनी बात मुद्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तब बीच में ही उठकर इस प्रकार हल्ला मचाना ठीक नहीं है। सदन में उपस्थित किए गए मुद्दों का जब जवाब दिया जा रहा हो, तब शांतिपूर्वक उनको सुना जाना चाहिए। उनकी बात बीच में काटते हुए- वे गप हाँक रहे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार कान खींचे जाने पर दीवान चमनलाल ने अपना कथन वापिस लिया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब ने अपना कथन जारी रखा) मद्रास प्रांत के केवल एक ही जगह का आंकड़े मैं देता हूँ। अमलापुरम विभाग में शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवार को 10540 वोट मिले और काँग्रेस के उम्मीदवार को 2383 वोट मिले। प्राथमिक चुनावों से संबंधित आंकड़ों का यह हाल है। इसके आधार पर एक बात सहज ही साबित होती है कि प्राथमिक चुनाव के परिणामों को ही प्रतिनिधित्व की असली कसौटी मानी जानी चाहिए।

इन चुनावों में काँग्रेस ने सप्रमाण साबित कर दिया कि चुनाव नहीं, यह तो साफ धोखाधड़ी थी। इसके साथ ही, आज तक मैं अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जो लड़ाई लड़ते आया हूँ। उसे इस चुनाव के कारण भारी बल मिला है।

पंडित मालवीय ने एक और बात बताई कि हिंदू लोग अस्पृश्योद्धार की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। अस्पृश्यों के नैतिक उद्धार और विकास के लिए वे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बारे में, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है, उसे पल भर के लिए छोड़ भी दें और इस सदन की चारदीवारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसके आधार से अगर तय करें, तब कोई भी निष्पक्ष आदमी यही कहेगा कि मालवीय के उपरिनिर्दिष्ट कथन में कोई तत्व नहीं है। यह बात सही है कि इस सदन में मुझे आए कुछ दिन ही बीते हैं, लेकिन इस

सदन की रिपार्ट मैं नियम से और ध्यान से पढ़ता रहा हूँ। जो भी पढ़ने लायक है वह सब मैं पढ़ चुका हूँ। उसमें मैने पाया कि गाँव-गाँव में हर रोज अस्पृश्यों पर होने वाले अन्याय-अत्याचार के संदर्भ में किसी भी सदस्य द्वारा सदन में एक भी सवाल नहीं उठाया गया है। किसी रिपोर्ट में यह पढ़ने में नहीं आया, ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक सदन पटल पर नहीं रखाा गया है, जिसमें कहा गया हो कि अस्पृश्यों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वैसे, अपवादस्वरूप 1933 में सामने बैठे कछ सदस्यों ने अस्पृश्यता हटाने के कुछ प्रयास किए थे। मंदिर प्रवेश के संदर्भ में एक बिल रखा गया था। वाइसरॉय ने जब उसे मान्यता देने से इनकार किया तब बहुत हल्ला मचा था। इस बिल को पारित नहीं किया गया तो आत्महत्या करने की धमकी भी कई सदस्यों ने दी थी। लेकिन जब बिल को मान्यता दी गई तब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं?

बिल वापिस लिया गया। रंगा अय्यर की हालत देखने लायक थी, क्योंकि उन्होंने ही वह बिल सदन के सामने रखा था। साथियों ने दगा दिया, तो वे भड़क गए। उन्होंने अपने साथियों को खूब गालियाँ सुनाई। आखिरकार बेचारे को मुँह की खानी पड़ी। मुझे याद है कि दो बार और अस्पृश्यों से संबंधित सवालों का जिक्र हुआ था। पहला, 1916 में माणेकजी दादाभाई ने 'अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में एक पूछताछ समिति नियुक्त करने' के बारे में प्रस्ताव रवा था। उस वक्त आज की इस चर्चा की शुरूआत करने वाले गोविंद मालवीय के पिता ने ही उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। दूसरा प्रसंग साल 1927 का है। स्वः लॉर्ड बर्नहेड ने उस वक्त कहा था कि अस्पृश्य अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन ...

जब-जब हम खुद लड़ाई छेड़कर अपने अस्तित्व के बारे में लोगों को अहसास कराते हैं, तब-तब उन्हें हम पर बहुत दया आती है। हम जब- अलग चुनाव क्षेत्र की माँग करते हैं, नौकरियों में निश्चित अनुपात में आरक्षण की, शिक्षा के लिए ग्रेट की माँग करते हैं तभी हिंदुओं को पता चलता है कि हम भी जिंदा हैं। वरना वे हमें मरा हुआ ही मान कर चलते हैं। बाकी समय वे लोग हमें पूछते तक नहीं, हम उनकी गिनती में कहीं नहीं ठहरते। हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक हक देने से इनकार करते हुए वह कहते हैं कि आप तो हिंदू ही हैं। यही बंधुभाव व्यक्त करते हुए अगर अपनी जेब से कुछ जाने वाला हो, तो तब हम उनके 'चाचा के मामा के भतीजे के भांजे' बन जाते हैं। कुछ भी खर्च न होने वाला हो, उनका फायदा होने वाला हो, तब हम उनके भाई होते हैं, वहा रे वाह इनका बंधुत्व!

आखिर में बस इतना ही कहता हूँ, और खास तौर पर जोर देकर कहता हूँ कि हिंदुओं की दी हुई भिक्षा पर जीने की अब हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उनक दान-धर्म हमें नहीं चाहिए। हम इस देश के वासी हैं। सरकारी खजाने पर जिस प्रकार अन्य जातियों का अधिकार है वैसे ही हमारा भी अधिकार है।

## बौद्ध धर्म के अलावा अछूतों के उद्धार का और कोई रास्ता नहीं

दिनांक 10 जून, 1950 के दिन डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर का एक और भाषण कोलंबो के टाऊन हॉल में हुआ। टाऊन हॉल का समारोह पूरे सिलोन शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की ओर से आयोजित किया गया था। सिलोन के अस्पृश्य का बड़ा समुदाय समारोह में उपस्थित था। इस अवसर पर डॉ. बाबासाहेब का सम्मान किया गया। जवाब में

अपने जातिबंधुओं को संबोधित करते हुए कहा-

''सिलोन बौद्धधर्मियों का देश है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने में ही अस्पृश्यों की मुक्ति का मार्ग है। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मुझे लगता है कि आप एक तरह से सौभाग्यशाली देश में हैं। सिलोन की बौद्धधर्मीय जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि अस्पृश्य वर्गीय बंधुओं को आप मन से जोड़ कर बौद्ध धर्म में शामिल कर लें और अपनाए हुए बच्चे की तरह उनके हितों की रक्षा करें।''

''केवल सिलोन के बारे में बोलना हो तो, मैं कहूँगा कि सिलोन बौद्धधर्मीय देश होने के कारण यहाँ 'अस्पृश्यों का संगठन' बनाकर आपको यहाँ अलग से संगठित होने की जरूरत नहीं है। भारत में शेड्यूल्ड देश में खुद को अस्पृश्य समझने की जरूरत नहीं। क्या आप खुद को अस्पृश्य समझें? क्या आपकी यही पहचान हो?- इस बारे में सोचने जैसे हालात अब पैदा हुए हैं। हमें राजनीतिक अधिकार मिलें, विधिमंडल में हमें जगह मिले और समाज हमारे साथ समानता का व्यवहार करे, इसलिए भारत में हम एक लम्बी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अभी सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब यही है कि राजनीतिक संग्राम से हमें अभी मुक्ति नहीं मिली है।

पिछले 35 सालों से मेरी ये राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में मुझे उच्चवर्णीय हिंदुओं से लोहा लेना पड़ रहा है। इसी दौरान मैंने दुनिया के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की और अब, आखिर मैं एक अपिहार्य निर्णय तक आ पहुँचा हूँ। निर्णय यही है कि बौद्ध धर्म के अलावा अस्पृश्यों के लिए मुक्ति की कोई और राह नहीं है। केवल बौद्ध धर्म में ही अस्पृश्यता निवारण का चिरकालीन उपाय है। आप अगर समानता का सिद्धांत चाहते हैं, तो बौद्धवाद के अलावा अन्य कहीं ठौर नहीं।

सिलोन के सम्माननीय नागरिक बनने का मौका आपको कानूनी तौर पर मिला हआ है। यह बात भी सही है कि इस कानून के कुछ अनुच्छेदों के खिलाफ शिकायत करने की कई जगहें हैं। लेकिन, मुझे यकीन है कि भारत सरकार और सिलोन सरकार के आपसी सहयोग से, स्नेहभाव से अन्यायकारी प्रावधानों का निवारण किया जा सकता है।''

## बौध धर्म दर्शन पर चर्चा में, मैं किसी भी प्रकांड पंडित को परास्त कर सकता हूँ।

आयु फुंग, वीचार्न ऑफ थाईलैंड की अध्यक्षता में दिनांक 4 दिसंबर, 1954 को रंगून में तीसरे जागतिक बौद्ध धर्म अधिवेशन की शुरूआत हुई। इस अवसर पर अमेरिका, इंग्लैंड, सिलोन, मलाया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने बौद्ध धर्म और उसकी सीख विषय पर भाषण किए। अध्यक्ष ने डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की पहचान भारत के प्रतिनिधि, नेता और के सात करोड़ दलितों के नेता के तौर पर कराते हुए उनका सम्मान किया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने करीब 50 मिनट भाषण किया। पहले उन्होंने इस परिषद् में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा,

यहाँ इकट्ठा हुए बुद्ध के अनुयायी हैं। दुनिया के इतने बड़े राष्ट्रों में बौद्ध धर्म भले ही प्रचलित रहा हो, उसका प्रसार जितनी तेजी से होना चाहिए, उतनी तेजी से हुआ नहीं है यह मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है। आज यहाँ जिन राष्ट्रों के

प्रतिनिधि उपस्थित हैं उन सभी राष्ट्रों में सिलोन और ब्रह्मदेश ये दो राष्ट्र बौद्ध धर्म मानने वाले राष्ट्रों में आगे हैं ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दो राष्ट्रों का बौद्ध धर्म के प्रसार का तरीका प्रशंसायोग्य नहीं है।

यहाँ की अमीर महिलाएँ खूब सारा धन दान में देती हैं। धर्म के नाम से इकट्ठा होने वाले हजारों रूपए वे धार्मिक उत्सव के प्रसंगों पर बेकार खर्च करते हैं। घरों में, बाहर, पेड़-पौधों पर बिजली के लट्टू जलाते हैं। इस शृंगार-सजावट में जितना पैसा खर्च होता है, वह सब बौद्ध धर्म के प्रसार के काम पर खर्च होना चाहिए। यह अपनी राय मैं यहाँ साफ तौर पर बता देता हूँ। ऐश्वर्य और शोभा ये दो बातें भगवान बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जिन देशों में इस धर्म का नाम भी नहीं है, वहाँ धर्म प्रसार की संस्थाएँ स्थापित कर उनके जरिए भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा का बीज बोएं। ये सिलोनी बंधु ऐसा क्यों नहीं करते, इस बारे में मुझे बड़ा अचरज लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मदेश के लोग भी धार्मिक उत्सवों पर हजारों रूपए खर्च करते हैं। वे रूपए भी अगर धर्म प्रसार के काम में खर्च किए जाएँ, तो अल्पावधि में ही हम बौद्ध धर्म का भरपूर प्रसार कर सकेंगे।

भारत के बारे में बोलना हो, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जिस देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उसके धर्म का लोप जैसी घटना क्यों घटे? यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियों के राष्ट्रों में से बहुत कम राष्ट्रों को इस बात का अहसास होगा कि भारत में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कई वर्षों तक बनाये रखा। लेकिन आज मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूँ कि उनमें से कोई भी प्रकांड पंडित बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में चर्चा करे। मुझे यकीन है कि उसे मैं हरा दूंगा। (तालियाँ)

प्राचीन समय में हिंदू धर्म में यज्ञ में गायों की बलि चढ़ाने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण बताया करते थे। मैं खुलेआम उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार जितनी समयावधि में स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, उससे भी अधिक जल्दी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते अपने पिता की बलि चढ़ाई जाए। फिर ये लोग क्यों अपने पिता की बलि नहीं चढ़ाते? किसी समय इस प्रकार व्यवहार करने वाले ब्राह्मण आज गोहत्या प्रतिबंध का प्रचार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के अहिंसा सिद्धान्त की यह सबसे बड़ी विजय थी।

ब्राह्मणों के अलावा अन्य पक्ष भारत में बहुत हैं। धर्मों के बारे में उनकी स्थितियाँ भी बड़ी दयनीय हो गई हैं। ब्राह्मणों ने इस देश में हजारों भगवान और देवियाँ निर्माण की हैं। किस भगवान की उपासना करने से, किस भगवान की भक्ति करने से मोक्ष या मुक्ति मिलेगी, यह उनकी समझ में भी नहीं आता। अपने बौद्ध धर्म में मोक्ष, स्वर्ग आदि मूर्ख कल्पनाओं के लिए स्थान नहीं है। अपना बौद्ध धर्म बताता है कि अगर मानवी जीवन सुख से, संतोष के साथ बिताना हो, तो मानव को चाहिए कि वह आचरण शुद्ध रखे, अहिंसा, समता और बंधुत्व को धारण करें। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इन बातों को गौतम बुद्ध के धर्म के सिद्धांत कहा जाता है और मैंने यही सिद्धांत अपने छह करोड़ अनुयायियों से कहे हैं। पैसों की कमी के कारण मैं आज उनके लिए कुछ भी कर नहीं पाया। लेकिन जब मेरे पास अल्पावधि में ही योग्य साधन उपलब्ध होंगे, तब बौद्ध धर्म का प्रसार मैं भारत में जरूर करूँगा। (तालियाँ)

पार्लियामेंट में था, तभी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बाते मैंने कर दी हैं। मैं

भारतीय संविधान का शिल्पकार हूँ। मैंने वह संविधान बनाया है। एक बात यह कि उसमें पाली भाषा के उत्थान का प्रबंध मैंने कर रखा है, और दूसरी बात यह कि राष्ट्राध्यक्ष के राजवाड़े के ऊपर गौतम बुद्ध के उपदेशों में से पहला चरण- धम्मचक्र परिवर्तन लिखा दिया है। ब्रह्मदेश के अध्यक्ष डॉ. जी.पी. मल्लशेखर के ध्यान में मैंने यह बात ला दी है। देखकर उन्हें भी बड़ा अचरज लगा।

तीसरी बात यह कि भारतीय पार्लियामेंट के निशान पर भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को संविधान में मान्यता दिला दी है। यह सब करते हुए मुझे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। इतना सुस्पष्ट और हर मुद्दे का विश्लेषण करने वाला मैंने पार्लियामेंट में किया था।

इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठा आए अठ्ठाईस राष्ट्रों में से क्या किसी एकाध राष्ट्र ने तो ऐसा किया है? इतना करके मैं रुका नहीं, मुंबई शहर में मैंने सिद्धार्थ नाम से एक बड़े कॉलज की स्थापना की है। इसी प्रकार अजंठा-वेरूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले औरंगाबाद शहर में भी दूसरे कॉलेज की स्थापना की। मुंबई के कॉलेज में 2900 और औरंगाबाद के कॉलेज में 500 छात्र पढ़ रहे हैं।

इन छात्रों से गौतम बुद्ध के जीवन पर एक शोध प्रबंध लिखवाकर सबसे अच्छे शोध प्रबंध को रू. 1000 पुरस्कार स्वरूप देने की मेरी मंशा है। शोध प्रबंध लिखवाने का उद्देश्य यह है कि वे बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन करें, ताकि बौद्ध धर्म का व्यवस्थित प्रसार हो। इस प्रतियोगिता में पारसी, मुसलमान, हिंदू आदि धर्मों के छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं।

साथ ही, मेरी इच्छा है कि अगर काफी पैसा इकट्ठा हो जाए, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास इन शहरों में बुद्ध विहार स्थापित कर हर रविवार को लोगों की उपासना के लिए सुविधा मुहैय्या कराई जाए। मेरे द्वारा स्थापित किए गए दोनों कॉलेजों के लिए भारत सरकार से 22 लाख रूपयों का कर्ज मैंने लिया है। मेरी मृत्यु तक मैं यह कर्ज चुका पाऊँगा, इस बारे में मुझे थोड़ा शक है। (हंसी)

इस प्रकार इस धर्म को लेकर मेरी कोशिश जारी है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत कम समय में किया जा सकता है। किसान जमीन की पहचान करने के बाद ही उसमें बीज बोता है। उसी प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए कुछ आवश्यक अनुकूल बातें हैं। मेरी आप सभी से विनती है कि उसका हम सभी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता का उपयोग करना चाहिए। मैं इस सभागार में वचन देता हूँ कि कोई सहायता करे अथवा न करे मैं अपनी राह पर आगे बढ़े बगैर नहीं रहूँगा। (तालियाँ)

डॉ. बाबासाहेब का भाषण दुनिया के 28 देशों के प्रतिनिधि शांति से और एकाग्रता से सुन रहे थे।

## बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जमीन-आसमान का फर्क है।

''भारतीय बौद्धजन समिति के तत्वावधान में और आयु. मंगलदास पक्वासा, पूर्व राज्यपाल, मुंबई की अध्यक्षता में 8 मई, 1955 को शाम 7 बजे, नरे पार्क, सेंट्रल रेल वर्कशॉप के सामने परेल, मुंबई- 12 इस स्थान पर बड़ी धूमधाम से भगवान गौतम बुद्ध जयंति उत्सव आयोजित किया जाना है। जुलूस के लिए तीन मार्ग तय किए गए हैं। उसके अनुसार विभिन्न जगहों के लोग इस जुलूस में

शामिल होने की कृपा करें। शाम 4.30 बजे जुलूस निकलेगा और शाम सात बजे तक नरे पार्क आएगा, इसका जुलूस में शामिल लोग खयाल रखें। अन्य लोग सीधे नरे पार्क मैदान पर शाम सात बजे तक पहुँच जाएँ।'' समिति के सचिव ने 'जनता' के 7 मई 1955 के अंक में इस बात की जानकारी प्रकाशित की है।

इस घोषणा के अनुसार दिनांक 8 मई, 1955 को मुंबई के नरे पार्क में बुद्ध जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 80 हजार लोग उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा-

अध्यक्ष महाराज, बहनों और भाइयों,

आज मैं यहाँ अचानक ही आ गया हूँ। इस सभा में मेरी उपस्थिति की उम्मींद नहीं थी। आज-कल में मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान था। संयोग की बात है कि 12 तारीख तक का टिकट उपलब्ध न होने के कारण मैं यहीं रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझसे विनती की गई कि मैं इस सभा में उपस्थिति रहूँ। उनकी विनती का सम्मान करते हए मैं आज उपस्थित हूँ।

पूर्व गवर्नर अध्यक्ष हैं, सो मुझे इस सभा में नहीं आना चाहिए था। मेरे आने से सभा को महत्व प्राप्त होगा, ऐसा मुझे नहीं लगा था। लेकिन लोगों का कहना न मानना योग्य नहीं होता। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखकर मुझे खुशी हुई। आप सब लोगों को आंदोलन के प्रति गर्व है। वह माफगाँव के अड्डे पर रहता है। मैं भायखला की पीली चाल में रहता हूँ। कोई कार्यक्रम अगर होना है। तो वह मेरे ठिकाने पर ही हो, ऐसी मंशा रखते हैं। अपनी-अपनी गली में कोई न कोई समारोह-कार्यक्रम करते हैं। इस रूढ़ि को भुलाकर एक राय से इस कार्यक्रम का आयोजन किया इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने नई शुरूआत की है। हर साल बुद्ध जयंती इसी प्रकार मनाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ।

आज मैं अन्य बातों का जायजा लेने वाला हूँ। पिछले एक महीने से मैं मुंबई में हूँ। मुंबई के अखबार मैं पढ़ता हूँ। कुछ मुझे इनकी कटिंग्स भी भेजते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकारने को लेकर कई लोगों की राय पढ़ने में आती हैं। लगभग हर अखबार में आलोचना आती है, कहा जाता है कि - अस्पृश्य लोगों को इस काम के लिए बरगलाया जा रहा है, उनके अज्ञान का फायदा उठाते हुए डॉ. आंबेडकर उन्हें बहका रहे हैं। उस धर्म का अपनाने के बाद आपका नुकसान होगा। डॉ. आंबेडकर पागल है, उसके जाल में मत फंसना। अगर उसकी बातों में आओगे, तो खड्डे में जाओगे, वगैरह बातें कही जाती हैं। सार्वजनिक काम में आलोचना करने का अधिकार सबको है। ऐसी बात नहीं कि मुझे इस बात का खेद है। मेरा जीवन लोगों की आलोचना सहने में बीता। छोटे बच्चे को नजर न लगे, इसलिए जैसे उसकी माँ काजल का टीका लगाती है। उसी प्रकार ये लोग मुझे हमेशा कालिख लगाते हैं। मुझे इस बात का कुछ बुरा नहीं लगता।

हममें से कई लोग अज्ञानी और कुछ लोग ज्ञानशील हैं। उनपर अखबारों में लिखे का असर होता होगा। इसलिए अखबारों में जो लिखा जाता है। उस पर टीका-टिप्पणी जरूरी है। हालांकि, मैं एक बात आपको बताना-चाहता हूँ कि सोचिए, आलोचना करने का हक किसे पहुँचता है? कौन किसकी आलोचना करे? जिसके पास सहानुभूति है, उसी को आलोचना करने का अधिकार भी है।

सुरक्षा करने वाले को ही आलोचना करने का अधिकार है। जान से मार डालने वालों को आलोचना करने का अधिकार नहीं।

भगवान बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त शिकारी था। उसे शिकार करने का शौक था। तीर-कमान लेकर वह पंछियों का शिकार करता था। भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी। देवदत्त की करनी भगवान को पसंद नहीं थी। वह कहते- निरपराध जानवरों की जान मत लेना। अन्य लोग उनसे कहते, तुम नामर्द हो। तुम क्षत्रिय नहीं हो।

इस बार देवदत्त ने शिकार के लिए जाना तय किया। तब बुद्ध ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ शिकार पर चलूंगा। लेकिन मैं एक तरफ बैठा रहूँगा। आप लोग शिकार करें। वे शिकार के लिए निकले। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे। देवदत्त वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद जब आकाश से एक पंछी नीचे गिरा। भगवान बुद्ध वहाँ बैठे थे। उन्होंने गिरता पंछी देखा। उस पंछी को तीर लगा था। भगवान ने उसके सीने में गड़ा तीर निकाला, उसे पानी पिलाया। अपनी छाती से चिपकाकर उसे गरमाहट दी। उसे होश में ले आए। तब तक देवदत्त पंछी को खोजता हुआ वहाँ आया। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, एक उड़ते पंछी को मैंने तीन मारकर गिराया। वह कहाँ गिरा, क्या तुम्हें पता है? वह तुम्हारे आसपास ही गिरा होगा। भगवान ने कहा, पंछी मेरे पास है। उसके पेट में बाण था, जिसे मैंने निकाल दिया। उसके जख्म को धोया, गरमाहट देकर उसे होश में ले आया।

देवदत्त ने कहा, यह मेरा पंछी है। इस बात को लेकर विवाद हुआ। देवदत्त ने कहा, शिकार का यह नियम है कि जो जानवर को मारता है, वह उसका मालिक होता है। मैंने इसे मारा है इसलिए मैं इसका मालिक हूँ। बुद्ध ने कहा, जो मृतप्राय जीवन की रक्षा करता है, वही उसका मालिक होता है। मैं इसका मालिक हूँ। जो मारनेवाला होता है, वह उसका मालिक नहीं होता। दोनों में लंबे समय तक विवाद हुआ। दोनों ने बात पंचायत के सामने जाना तय किया। दोनों ने अपना पक्ष पंचायत के सामने बयान दिया। पंचायत ने बुद्ध के पक्ष में निर्णय दिया। जो रक्षा करता है, वही असली मालिक होता है। यही असली नीति है।

इसीलिए अखबार वालों से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे रक्षक हैं या भक्षक? आप हैं कौन? हजारों सालों से हम समाज में रह रहे हैं। कोई सामने आकर बताए कि हमने अस्पृश्यों के लिए कुछ किया। अस्पृश्यों के उद्धार के लिए जिन्होंने अपनी एक उंगली तक उठाने का कष्ट नहीं किया, उन्हें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि, मुँह बंद करके बैठें। हमें अगर गड्ढे में गिरना हो, तो हम गिरेंगे। अब तक आप लोग हमें गड्ढे में ढकेलते आए हैं। अब हमें खुद जाकर गड्ढे में गिरने की आजादी दीजिए। गड्ढे में गिरने का अधिकार, गलतियाँ करने का अधिकार हमें दीजिए। आपने किसी प्रकार की मदद नहीं दी। क्या आपने कभी अस्पृश्यों के बच्चों को विलायत भेजा? उन्हें ये जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वे मैंने दिलाई हैं। ये ऊसर जमींने क्या आपने अपनी मर्जी से दी हैं? हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने एक ही सुधार किया, वह यह कि रेल से सफर करते हुए वे हमारे डिब्बे में बैठते हैं। वह भी इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता। (हँसी)।

पेशवा के समय में कौन किस प्रकार के कपड़े पहने इस बारे में कानून थे। मेरी माँ बताया

करती थी, महार अगर कपड़ा खरीदना चाहते थे, तो उन्हें उसे दूर से ही देखना होता था, दूर से ही कीमत पूछनी होती थी। दुकानदार दुकान में ही कपड़ा हिलाया करता। उस आदमी ने अगर कपड़ा खरीदा, तो लोटे में पानी ले आता, कपड़े पर छिड़कता, नया कपड़ा कीचड़ में घसीटता। क्योंकि महार नया कपड़ा नहीं पहन सकते! मिट्टी में घसीटी हुई साड़ी में दो उंगलियाँ फँसाकर उसे दो फाड़ करते। फिर महार पैसे रखता और कपड़ा लेकर जाता। हम लोग लँगोट पहनते हैं। पेशवा का ही वह हुकूम था। ब्राह्मण दोनों तरफ से झालरवाली धोती पहनते, ब्राह्मणेतर केवल पीछे की तरफ झालर बना सकते थे। भंडारी लोग बड़ा रूमाल कूल्हों पर लपेटते - ऐसे नियम थे।

अंग्रेज सरकार के आने पर मुंबई पर उनका अधिकार बना। सुनारों पर पेशवाओं की नजर थी। सुनारों का कहना था कि वे ब्राह्मण हैं। पेशवे कहते हम ब्राह्मण हैं। सुनार ब्राह्मणों की तरह धोती पहनते। उन्हें इस प्रकार धोती नहीं पहननी चाहिए, उनके कारण भ्रष्टाचार हुआ इस प्रकार सभी अखबारों में छप गया। अंग्रेजों ने धर्म डुबाया कहकर सब लोग हल्ला मचाने लगे। अंग्रेज बौखला गए। पेशवा की शिकायत उन्होंने सुनी। पेशवा ने कहा, हमारे प्रजाजनों पर पहले प्रतिबंध थे। आपके आने के बाद वे कासोटा पहनने लगे हैं। तब ईस्ट कंपनी भारत में आई ही थी। वालकेश्वर में महाजन लोग रहते थे। मुख्य अधिकारी ने शिकायत सुनी। उन्होंने महाजनों को बुलाकर पूछताछ की। बात सामने आई कि सुनार झालरवाली धोती पहनने लगे थे। हुकम हुआ, सुनार ऐसी धोती नहीं पहनेंगे। पंचों ने उन पर पचास रूपयों का जुर्माना लगाया। अब लोग कोट-पतलून पहनने लगे हैं।

गाड़ी में बैठने लगे हैं, इसके अलावा इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। फिर ये लोग क्यों आलोचना करते हैं? ये कैसे हमारे हितचिंतक हुए? वे कहते हैं कि आपने अगर बौद्ध धर्म अपनाया, तो आपको मिलने वाली स्कॉलरशिप्स बंद हो जाएगी। मिलों में काम करने वालों को स्कॉलरशिप्स की अहमियत क्या पता चलेगी? जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स की अहमियत होती है। पत्रकारों को ऐसा क्यों लगता है? कहते हैं, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी। अरे उसे दिलाने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ ना! (तालियाँ) मेरे मरने के बाद जो होना है, सो होता रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक डरने की कोई वजह नहीं। सिक्ख अस्पृश्यों को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप धर्म पर निर्भर नहीं है। वे दीनता पर निर्भर करती है और आपने दी ही कितने दिन? 'यावच्चंद्रदिवाकरौ' ऐसा तो नहीं? चांद-सूरज जब तक हैं, क्या तब तक स्कॉलरशिप्स मिला करेंगी? वे साल भर के लिए होती हैं या फिर दो साल, तीन सालों के लिए होती हैं। कुमकुम लगाना है तो पति जिंदा रहेगा या नहीं, इसका भरोसा होना चाहिए। सरकारी नौकरी कितने सालों तक टिकेगी? मैंने कुछ कहा और पांच सालों के बाद मुन्शी साहब के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने मुसलमानों को दी गई रियायतें वापिस लीं। ईसाईयों को भी रियायतें मिली हुई थीं। लेकिन उनका एक आदमी था जो गवर्नर बनना चाहता था। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उनके कागजात मेरे पास आए। मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया और लोग सोने का हार पहनते हैं, तो क्या हम गले में फांसी लटका लें? मैंने लिखकर दिया, नहीं हो सकता। आज तक हमने उसे रखा, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं।

इसमें से एक व्यक्ति इंजीनियर बनने के

काबिल है। लेकिन अब तक उसे इंजीनियर नहीं बनाया गया है। हमारे मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। राजा ही अगर प्रजा को मारने लगे, तो प्रजा किसके पास जाए? भूस के लड्डू, जिसने खाए, वह फँसा। जिसने नहीं खाए, वह भी फँसा।

मैं पढ़े-लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ। महार लोग क्या किया करते थे? रात में उठकर वे घूमते। सुबह का कुछ बचा-खुचा रात में खाते। फलटण गांव में महार थे। उनके पास 24 बीघा जमीन थी। वहाँ एक मंदिर था। उसमें भण्डारा हुआ करता था। हमारे एक मंत्री थे। इस भंडारे में वह एक गाड़ी भर लड्डू, जलेबी, रोटियाँ आदि दिया करते थे। महार लोग मंदिर के दरवाजे के पास बैठते और जूठन लेकर जाते। इतना मिलने के बाद महारों को जमीन पाने की जरूरत ही क्या थी? कुछ दिनों के बाद खाना देना बंद कर दिया गया तब इन महारों ने कहा, 'हमारी इतनी जमीन थी। मराठों ने वह हडप ली।' मंदिर से जूठन मिला करती थी, वह भी बंद हुई। ऐसी उनकी हालत थी।

जलगाँव में श्राद्ध होता, तो महार भिखारियों की तरह कचरे पर बैठते। लोग मुझसे कहते- ये तो ईसाई बना, इसका निवाला छिन गया। इसका अब कैसे होगा? मेरा एक ब्राह्मण विरोधी था। वह हर रोज का हिसाब बताता। जानवरों का मांस, सींग, चमड़ा, हड्डियां आदि की दो-चार हजार की कीमत बताता और कहता, 'डॉ. आंबेडकर ने महारों का इतना नुकसान किया' यह केसरी में छप कर आता। हालांकि मैंने कभी इसका जवाब नहीं दिया।

एक बार संगमेश्वर में सभा थी। महारों की सभा में इस ब्राह्मण ने मेरी पूछताछ की। मैं खाना खाने बैठा था। मैंने कहलवाया, खाना खाने के बाद आता हूँ। यह भी कहलवाया कि अगर उनके पास समय हो तो वह अंदर आ सकते हैं। उस आदमी ने कहा, काम थोड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। उसने कहा, ''आप इन सभी लोगों से कहते हैं कि मांस मत खाइए, मरे जानवरों को मत उठाइए, महारों का आप यह जो नुकसान कर रहे हैं क्या यह ठीक है?'' मैंने कहा, ठीक है। पूछा, आपके सवाल का जवाब मुझे अभी देना है या सभा में दूँ? उसने कहा, सभा में जवाब दीजिए। मैंने लोगों से कहा, इन्हें सवाल पूछने हैं, आप उनके सवालों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने हिसाब लगा कर बताया कि आपका आंदोलन नुकसानदायी है। उसका हिसाब सही था। उनका कहना था कि उनका एक हजार रूपयों का नुकसान हो रहा है। उनका यही सवाल था। मैंने उनसे कहा, मैं आपको एक हजार रूपए देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मरे जानवर ढोएंगे, तो एक हजार रुपयों का इनाम भी दूंगा। लेकिन उनके साथ आपको काम करना होगा।

स्वाभिमान बहुत जरूरी है। कोई महिला कामाठीपुरा जाए, तो सोने-चांदी के गहने लाती है और सुबह होटल वाले को पुकार कर कहती है- ए, आधा प्लेट कीमा, एक स्लाइस रोटी लाओ। चार बजे चाय। शाम को पौडर लगा कर बैठना। वहाँ का जीवन सुखमय होता है। लेकिन वेश्या का कोई मान नहीं। उसकी कोई इज्जत नहीं। इस बात को ध्यान में रखें।

हमें स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए। उसमें अगर दरिद्रता मिले, तो भी कोई परवाह नहीं। मैं 48 नंबर की चॉल में 50 नंबर के कमरे में रहता था। सोने के लिए जगह नहीं। तकिया और धोती लेकर ऊपर छत पर सोने जाता था। खाने-पीने को मिलता है तो वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। स्वाभिमान की जिंदगी का महत्व है। कीड़ों-मकोड़ों की जिंदगी हम

नहीं जिएंगे। मेरे बौद्ध धर्म में जाने को लेकर कुछ लोग कहेंगे, पॉलिटिक्स का कीड़ा गया। लेकिन पॉलिटिक्स का यह कीड़ा नहीं जाएगा। रहेगा और इन लोगों को लेकर ही जाएगा।

बौद्ध धम्म के बारे में मेरी कल्पना अलग है। इस धर्म के लोग वकील, बैरिस्टर, प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यह धर्म पावन करेगा। पथभ्रष्ट करने वाले लोगों की कोशिशों पर ध्यान ना दें।

ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं है। सो इसमें जो अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? अच्छी बातों का अनुसरण हमें क्यों नहीं करने देते? कोई यह न बताए कि बौद्ध धर्म बुरा है। कोई यह कह नहीं सकता कि यह धर्म बुरा है। पूरे भारत देश को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही हैं यह सरासर गलत है। उसमें जमीन-आसमान का फर्क है। इसे साबित करने के लिए मैं पांच-सात मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूँ। हिन्दू धर्म में कई भगवान हैं। तैंतीस करोड़ भगवान हैं। उनका भगवानों के बगैर काम नहीं चलता। सृष्टि कैसे बनी? कोई कहता है, किसी ने अण्डा डाला लेकिन किसी को भी यह पता नहीं है। भगवान ने कहा, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कहा नहीं जा सकता। यह महत्वपूर्ण मसला नहीं है। किसी चीज से उसका निर्माण किया गया या जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब किया गया यह दो विकल्प हो सकते हैं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है।

यह बात असंभव है कि दुनिया में जब कुछ भी नहीं था, तब उसका निर्माण किया गया। ईश्वर सृष्टि का निर्माणकर्ता नहीं था। हिंदू धर्म में ईश्वर है, बौद्ध धर्म में नहीं है। यही प्रमुख भेद है। बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं, हिंदू धर्म में है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, आत्मा कैसी है? जवाब मिला, आत्मा ऐसी है, जिसे लोहे के काटने से भी घाव नहीं बनता। लोहे से लोहा काटा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा ऐसी चीज है कि जिस पर लोहे से घाव नहीं किया जा सकता। श्रीकृष्ण ने जवाब में यह भी कहा कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। उसका कहना है कि आत्मा को क्लेश होते। बुखार-खांसी आते हैं जुकाम भी होता है यह सब झूठ है। इसमें कोई सत्य नहीं। भगवान ने एक बार पूछा, आत्मा कितनी बड़ी है? उसकी साइज क्या है? लंबाई-चौड़ाई कितनी है? आत्मा होती कहाँ है? याज्ञवल्क्य से हजारों सवाल पूछे गए। ब्राह्मणों ने ग्रंथ बनाकर ब्रह्म है, इस बात को लोगों के गले में ठूंसा है।

तीसरी बात- हिंदू चारवर्णो को मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में चातुर्वर्ण्य या जाति भेद नहीं हैं। एक बार लोहित ब्राह्मण ने भगवान से पूछा, तुम शूद्रों को विद्या क्यों देते हो? असल में होना यह चाहिए कि जो योग्य है उसे विद्या मिले और जो योग्य नहीं है उसे नहीं मिले। लेकिन ब्राह्मण धर्म ऐसा नहीं है। एक बार बुद्ध ने अपनी माता से पूछा, संकट के समय हत्या करना ठीक कैसे हो सकता है? बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है। वैश्य क्योंकर दगाबाजी कर सकते हैं? बौद्ध धर्म में जातिभेद, असमानता, चातुर्वर्ण्य नहीं हैं। जातिवाद समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। लेकिन वे बस उससे आगे नहीं बढ़ते। उस पर अमल करने के लिए कहो तो वे नहीं करते। जातिवाद के कारण अपरिमित हानि हुई है। जातिवाद को समाप्त कीजिए। सभी नेक राह अपनाएँ, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते।

भाइयों और बहनों, शिवाजी के अष्ट प्रधान

ब्राह्मण थे। उसकी कहानी अलग है। वे मराठों को अपने साथ भोजन करने नहीं देते थे। शिवाजी ने बालाजी आवजी को यह बात बताई। उसने कहा, जब तक आप राज्याभिषेक नहीं करवा लेते, तब तक आपका दरजा स्तर बढ़ेगा नहीं। आखिर शिवाजी ने कहा, जो भी करना हो आप ही कीजिए। तब मोरोपंत पिंगले मुख्य प्रधान था। उसने कहा, 'क्यों रे बच्चू, तू हमारा राजा बनेगा!' उसने शिवाजी की बेइज्जती की। आखिर बालाजी आवजी राजपुताने की ओर गया। वहाँ उसने शिवाजी की वंशावली बनाई। काशी से ब्राह्मणों को लाकर राज्याभिषेक करवाया।

जातिवाद के गोबर के कीड़े गोबर में ही रहेंगे। उनकी उससे उबरने की इच्छा नहीं। उनकी अकल जायेगी, तब वे हमारे पास आएंगे। उन्हें लगता है, हिंदू समाज से केवल दो ही लोग जाएंगे। डॉ. आंबेडकर और उनकी पत्नी। लेकिन बौद्ध धर्म को लेकर बहुत बार मतपरिवर्तन हुए हैं। अगले साल सारनाथ में बुद्ध के शिष्य जमा होंगे। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार 35 लाख रूपए खर्च करने वाली है। भारत सरकार दो करोड़ रूपए खर्च करने वाली है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा देश है। उसे पूर्वी गोंडबन-आर्यावर्त कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पैंतीस लाख रूपए यानी केवल कोंपले हुईं। कोई कुछ करे या न करे, बौद्ध धर्म इस देश में आएगा। कोई उसकी राह में नहीं आ सकता। इस बाढ़ में सभी बह जाएँगे। इस देश की सभी जनता अज्ञानी थी। ब्राह्मणों ने किताबों में क्या लिखा है, इसका उन्हें पता नहीं था। 2-4 आने में ये किताबें मिलती हैं। यहाँ आने से पहले मैं भागवत पढ़ रहा था। उस पर ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी किताबें कैसे लिख सकते हैं?

आप अज्ञानी हैं। आपमें से जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, वे भी अज्ञानी हैं। दो-तीन दिनों पहले मैं उपनिषद पढ़ रहा था। उसमें से छांदोग्य उपनिषद में गुरु-शिष्य संवाद है। शिष्य अपनी शंका पूछता है। लेकिन उसका शक हटाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। गुरु जवाब देते हैं कि, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं इसलिए तुम्हें शक करने का भी अधिकार नहीं है। तो बताइए, हमारे विद्वानों को इसका क्या ज्ञान हो सकता है?

बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि केवल मैं कहता हूँ इसलिए आप इस धर्म को ना अपनाएँ। व्यवहार में यह धर्म चल सकता है ऐसा अगर आपको लगे तभी आप इस धर्म को अपनाएं। अपनाएँगे तब आपको एक जान, एक चित्त बन कर रहना होगा। इसी राह से अपना उद्धार होगा।

बौद्ध धर्म में दो तरह के लोग हैं। इस धर्म का अनुसंधान करना मेरा मार्ग नहीं। हमारा मुख्य कार्य है प्रचार करना हम लोगों को बुद्धिस्ट बनाना चाहते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। दो-चार दिनों पहले हमने एक संस्था की स्थापना कर उसे रजिस्टर करवाया है। आपसे विनती है कि आप इस सभा के सदस्य बनें। उच्च वर्ग के लोग चंदा देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है। कार्य की शुरुआत होना जरुरी है। इसीलिए सबको समिति के सदस्य बनना होगा। इसके लिए एक रुपया देना होगा। हमें विहार बनाने होंगे। वहाँ महिलाएँ और पुरुष जाकर भक्तिभाव से पूजा करेंगे। हममें कुछ मुफ्तखोर लोग भी हैं। ऐसा अब यहाँ नहीं चलेगा। बिना रसीद के कोई पैसे न दे। आयु. बी.एस. गायकवाड़, आयु. का.वि. संवादकर, बालू कबीर आपसे फॉर्म भरवा कर आपको रसीद देंगे।

आलेख

**एल.एन. सुधाकर**
शाहदरा, नई दिल्ली
मोबाइल : 9582113814

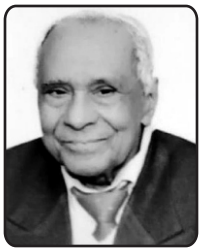

# राष्ट्रनायक डॉ0 आंबेडकर

लोक-मंगल की कामना को विश्व-प्रांगण में त्याग और बलिदान के मार्ग पर आरूढ़ होकर प्रस्फटित करने के लिए जीवन के प्रति क्षण में जिन्हें पग-पग पर प्रतिकूल परिस्थितियों तथा दुष्कर विपत्तियों का सामना करना पड़ा, बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए लोकहित को ही सर्वोपरि समझ कर, जिन्होंने सहज ही सुलभ सुख-वैभव को तिनके के समान तुच्छ समझ कर सर्वदा के लिए तिलांजलि दे दी, यह महान् त्याग एवं वीरता का कार्य है। ऐसे पराक्रमी दानवीर और त्यागी पुरूषों का जन्म दुर्लभ है। कौन ऐसा कृतघ्न होगा, जो ऐसे अनोखे मानव-पुत्र को महामानव और लोकनायक कहे बिना रह सके? ऐसे ही बिरले महामानव प्रज्ञा-प्रदीप प्रज्ज्वलित कर तथा सत्यनिष्ठा के रम्य रथ पर आरूढ़ होकर मानव समाज को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों को परखने की क्षमता प्रदान कर जीवन के पावनतम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दिशा-निर्देश करते हैं।

इसी सत्य का साक्षातकार करने के लिए सुकरात को जहर का जाम पीना पड़ा, मार्टिन लूथर को जिन्दा ही आग में जला दिया गया, ईशामसीह को सूली पर झूलना पड़ा और हजरत मुहम्मद को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। ज्ञान, शील, करुणा और मंत्री की भव्य-भावना से ओतप्रोत, समानत्व और स्वतंत्रता के अग्रदूत गौतम बुद्ध को पग-पग पर अपार कष्ट सहने पड़े। परन्तु वे सब मर कर भी अमर हो गये। आज संसार में उनकी यशोगाथायें कोटि-कोटि मानवों की प्रेरणा-स्त्रोत बन गई। बोधिसत्व बाबा साहेब डा0 भीमराव आंबेडकर भी ऐसे ही विरले महापुरुष थे। जिन विकट सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में डॉ0 आंबेडकर पैदा हुए और अपने 65 वर्ष के संघर्षमय जीवन में उन्हें जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ऐसे संकट शायद ही किसी अन्य महापुरुष के जीवन में घटे हों।

कल्पना कीजिए कि एक तरफ भारत के प्रायः सभी राजनैतिक, धार्मि तथा सामाजिक हिन्दू नेता इस बात पर तुले हुए थे कि अछूतों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। उधर डा0 अंबेडकर सिंह की तरह दहाड़ कर कह रहे थे कि सम्पूर्ण मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने तथा सम्मान पूर्वक जीवन बिताने के लिए भारत के दलितों-शोषितो संघर्ष जारी रखो। समता, स्वतंत्रता के आधार पर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने हाथ में बन्दूक लेकर शपथ ली थी कि यदि मैं दलित समाज का उत्थान करने में असमर्थ रहा तो मैं गोली मार कर आत्म-हत्या कर लूँगा। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि दलित समाज ने जो अभूतपूर्व उन्नति की है। उसका एकमात्र श्रेय डॉ0 अंबेडकर को ही है।

वास्तव में यदि आदमी में अदम्य उत्साह और कुछ कर दिखाने की पवित्र अभिलाषा हो तो परिस्थितियाँ आदमी को गुलाम नहीं बना सकती।

बाबा साहेब का जीवन-प्रवाह इसका ज्वलन्त उदाहरण है। स्वयं डॉ0 आंबेडकर ने जस्टिस गोविन्द रानाडे के 101वें जन्मोत्सव पर एक महापुरुष की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा था

''एक महापुरुष में सत्यनिष्ठा का होना आवश्यक है, क्योंकि यह उन सभी गुणों का सार है जिनसे मनुष्य महान् कहलाता है। परन्तु एक मनुष्य को महान बनाने के लिए उसके पास मात्र सत्यनिष्ठा के अतिरिक्त कुछ और भी होना आवश्यक है। एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हुए भी मूर्ख हो सकता है और एक मूर्ख एक महापुरुष के गुणों से बिल्कुल विपरीत होता है। वह मनुष्य महान है जो आपत्ति काल में समाज की सुरक्षा का मार्ग बनाता है। परन्तु वह क्या वस्तु है जो उसे मार्ग प्रदान करती है? वह केवल प्रज्ञा के बल पर ही मार्ग प्राप्त कर सकता हैं। प्रभा प्रकाश है। इसके अतिरिक्त और कोई गुण लाभदायक नहीं हो सकता। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रज्ञा और सत्यनिष्ठा के समन्वय के अभाव में कोई मनुष्य महान् नहीं बन सकता।'' निसन्देह डा0 आंबेडकर में ये सारे ही सद्गुण मौजूद थे। बिना शील के प्रज्ञा दुधारू तलवार के समान है जो किसी की हत्या तक कर सकती है। परन्तु बाबा साहेब डॉ0 आंबेडकर प्रज्ञा से प्रदीप्त तथा शील से सम्पन्न करुणा के कगार पर खड़े, मानव को 'जीओ और जीने दो' का शाश्वत एवं लोकोपकारी सन्देश जीवन पर्यन्त देते रहे।

विद्या-वारिधि, दुखियों-दलितों के भाग्य-विधाता, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता एवं प्रथम विधिमंत्री परमपूज्य, नित्य-वन्दनीय बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर एक महान समाज सुधानक, महान विचारक, सच्चे मानवता के आधारक, उच्चकोटि के लेखक-भावुक तथा सच्चे देश-भक्त थे। वे बीसवीं सदी के युग-निर्माता, युग-पुरुष और लोकनायक थे।

भारत में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने हर सम्भव प्रयत्न किया। अनीति और अत्याचारों को समूल विनाश करने के लिए तथा प्रेम-बन्धुता एवं मैत्री की भव्य-भावना का सम्पूर्ण राष्ट्र में संचार करने के उद्देश्य से उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। एक बार उन्होंने कहा भी था- ''मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो जाति-पाति या धार्मिक भेद-भाव में विश्वास रखता हो, नेता मानने के लिए तैयार नहीं।'' वे दूसरों को ही नहीं कहते थे अपितु उसे सर्वप्रथम अपने जीवन का सिद्धान्त बना लेते थे। विरोधी भावनाओं का अनावश्यक वे कभी भी स्वागत नहीं करते थे अपितु एक-राष्ट्र एवं सार्वजनिक अन्तरात्मा का सदा समर्थन करते थे। मद्रास में ''जस्टिस पार्टी'' की एक सभा में उन्होंने कहा था- ''मैं अब्राह्मणों से कहता हूँ- एकता सर्वाधिक मूल्यवान है। समय रहते इस शिक्षा को हृदयङ्गम कर लो।''

सदियों से दबे-पिछड़े और दलित, अछूत, अत्यंज तथा आदिवासी आदि अपेक्षित यदि आज प्रगति-पथ पर अग्रसर हुए हैं तो इसका श्रेय बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर को ही दिया जा सकता है। क्या यह दलितोद्धार का कार्य किसी देशद्रोही का हो सकता है? क्या दलित इस देश के अभिन्न अंग नहीं हैं? और यदि दलित इस देश के अभिन्न अंग है, तो क्या उनके हृदय-सम्राट एवं परम हितैषी डॉ0 आंबेडकर एक सच्चे देशभक्त नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक नहीं दिया जा सकता है। कुछ गांधीवादी व्यक्ति उनकी देशभक्ति पर सन्देह प्रकट

करते हैं और उनको राष्ट्र-नायक मानने से इनकार करते है। क्योंकि उन्होंने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता-संग्राम में भाग नहीं लिया और न ही जेल ही गये। ''जाति-पॉति तोड़क मंडल'' में देने के लिए तैयार किये गये भाषण में उन्होंने इस बात का सही उत्तर दिया था- कि स्वराज्य संग्राम जब आप लड़ते हैं तो सारा राष्ट्र आप के साथ होता है किन्तु इस जाति-भेद-विनाशक संग्राम में स्वयं मंडल को सारे राष्ट्र से संघर्ष करना होता है और वह राष्ट्र भी कोई दूसरा नहीं स्वयं अपना ही। मेरे विचार में तो मंडल का यह कार्य स्वराज्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है। उस स्वराज्य से क्या लाभ यदि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते।'' उनका कहना था कि पहले हम अपने ही देश के सदियों के गुलाम अछूत तथा आदिवासियों को दासता से मुक्त कर अपने बराबर मानवोचित अधिकार दें और सम्पूर्ण राष्ट्र एक होकर विदेशी सत्ता को क्षण भर में अपनी विशाल सामूहित शक्ति से उखाड़ फेंके। क्योंकि अछूत एवं आदिवासी दोहरी गुलामी की जंजीरों से जकड़ें हुए हैं, एक सवर्ण हिन्दुओं से दूसरे फिरंगियों से। परन्तु गांधी जी तथा अन्य हिन्दू नेताओं को इन बिना पैसे के गुलामों को आजाद करने में लाभ दिखाई नहीं दिया। स्पष्टता बाबा साहब ने कहा था- ''ब्राह्मणों ने सुव्यवस्थित ढंग से समाज का शिकार किया है और धर्म से अनुचित लाभ उठाया। पुराण और शास्त्र, जिनकी उसने छकड़ों भर रचना की, सब ऐसे विधानों से पूर्ण हैं, जिनका उपयोग उसने गरीब, अशिक्षित और अन्धविश्वासी जनता को मूर्ख बनाने, ठगने और धोखा देने के लिए किया।'' भदन्त आनन्द कौशल्यायन ने ठीक ही लिखा है-

''हिन्दुस्तान को तो स्वराज्य मिल गया। हिन्दुस्तान के दलित वर्ग को सामाजिक स्वराज्य कब मिलेगा?''

बाबा साहब क्या चाहते थे? इसका सही उत्तर उन्हीं के एक परम अनुयायी एवं सहयोगी श्री एन. शिवराज के सन् 1958 में कानपुर में एक सार्वजनिक सभा में दिए गए भाषण में मिल जाता '' उन्होंने कहा था- ''हमें देश में एक महान परिवर्तन लाना है। वह परिवर्तन होगा भारत की अस्सी फीसदी जनता के हाथों में सच्चे स्वराज्य को सौंपकर आजादी की नींव को मजबूत करना।'' तथाकथित लोग उक्त बात को लेकर यदि बाबा साहब की देशभक्ति पर सन्देह करते हैं तो मैं कहूँगा कि ये लोग मूर्ख है! धूर्त है!! कूप मंडूक और संकुचित हृदय हैं। ऐसे लोग स्वयं ही देशद्रोही हैं। जो लोग चन्द मुट्ठी भर लोगों की आजादी को सम्पूर्ण राष्ट्र की आजादी मानते हैं; देश के माथे पर कलंक है। ऐसे लोग स्वराज्य की रक्षा नहीं कर सकते। इसी लिए स्वराज्य की चर्चा करते हुए बाबा साहब ने कहा था- ''आजादी मुझे भी प्यारी है। मैं भी आजादी चाहता हूँ, मुझे यह कहने की आज्ञा दीजिए कि लन्दन की गोलमेज सभा में आजादी के लिए मैं जितना लड़ा और झगड़ा हूँ और अंग्रेजी हकूमत की मैंने जितनी नुकताचीनी की है, वैसी किसी ने नहींकी। लेकिन मैं देश की आजादी से जरूरी अपने अछूत भाइयों की आजादी समझता हूँ।'' इतनी गम्भीर मर्मस्पर्शी ''बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय'' की भावनाओं की अभिव्यक्ति कोई महान देशभक्त एवं राष्ट्रनायक ही कर सकता है, कोई देशद्रोही नहीं। देशद्रोही तो विध्वंश की भावना भरेगा। डॉ0 आंबेडकर की भाँति राष्ट्र-निर्माण की कामना नहीं करेगा।

कांग्रेस के विरोधी वे अवश्य थे, परन्तु उन्हीं बातों के जो पक्षपातपूर्ण या अबौद्धिक होती थी। उन्होंने एक बार उक्त विचार स्पष्ट करते हुए कहा था, ''निःसन्देह मैं कांग्रेस का विरोधी रहा हूँ। लेकिन साथ में विरोध के लिए विरोध करने में विश्वास नहीं

करता। जहाँ सहयोग करने में कछ प्राप्त होता हो, वहाँ हम में सहयोग की भावना होनी चाहिए।'' यही कारण है कि जब स्वतंत्रता भारत की प्रथम सरकार बनी तो उन्होंने कांग्रेस का विरोधी होने पर भी मंत्रीमंडल से त्यागपत्र देते समय दिये गये भाषण से हो जाती है। उन्होंने कहा था- ''प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को केवल इसलिए स्वीकार कर लिया कि जब मुझे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में कुछ सहयोग देने के लिए कहा जा रहा है तो मुझे इन्कार नहीं करना चाहिए।'' कोई देशद्रोही इस पुनीत राष्ट्र-निर्माण के कार्य को करने के लिए उद्यत हो ही नहीं सकता। यह कार्य तो कोई सच्चा-सहृदय देशभक्त ही पूरा करने का संकल्प कर सकता है।

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का कार्य भी उनको ही सौंपा गया और उन्होंने इस पुनीत महान कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण कर दिखाया। उस समय तत्कालीन भारत के वित्तमंत्री श्री टी0टी0 कृष्णमाचार्य ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ0 अम्बेडकर का आभार प्रकट करते हुए सदन में स्पष्ट किया था कि- ''सभा को शायद यह मालूम है कि उसने जो सात सदस्य नियुक्त किये थे उनमें से एक ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति रखा गया। एक ही मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक सदस्य अमरीका में था और एक सदस्य राजकार्य में व्यस्त रहा। एक या दो व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और सम्भवतः अस्वस्थ होने की वजह से उपस्थित नहीं हो सके। अन्त में विधान का मसौदा तैयार करने का भार डॉ0 अम्बेडकर पर आ पड़ा। निःसन्देह हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्य को प्रशंसनीय ढंग से पूरा कर दिखाया।'' क्या यह महान कार्य किसी देशद्रोही को सौंपा जा सकता था? यह पवित्र राष्ट्र-निर्माण का कार्य ही नहीं बल्कि संविधान राष्ट्र की आधारशिला है। यह कार्य बाबा साहब सदृश देशभक्ति की भावना से भरपूर व्यक्ति ही कर सकता था। एक बार बाबा साहब ने हिन्दुओं को चेतावनी देते हुए कहा था-''एक अकेला क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा, यह कितनी आत्मघात की व्यवस्था है। एक के हाथों में तलवार देकर उस पर विश्वास रखने के लिए दूसरों को कहा गया। फलस्वरूप जब-जब क्षत्रियों का पराभव हुआ, सम्पूर्ण देश शत्रुओं ने पदाकान्त कर लिया।'' इसी ऐतिहासिक तथ्य को ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने लोकसभा में संविधान प्रस्तुत करते समय कहा था- ''26 जनवरी को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, परन्तु जो देश एक समय अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, वह फिर दूसरी बार अपनी स्वतंत्रता क्या खो बैठेगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। हिन्दी राष्ट्र की स्वतंत्रता नष्ट हुई थी, इसका मुझे दुख है ही, परन्तु अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता से वंचित हुए, इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास अपने को दुहरायेगा? इस विचार से मेरा मन चिन्ताग्रस्त है। क्या हिन्दी जनता अपने पंथ या पक्ष की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी? या देश की अपेक्षाा अपना पंथ या पक्ष-श्रेष्ठ समझेगी। यदि पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर एक बार मुसीबत में फँस जायेगा। इस आपत्ति से हमें दृढ़ता के साथ देश की रक्षा करनी चाहिए। रक्त की अन्तिम बूँद तक हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।''

कितनी चिन्ता थी बाबा साहब को अपने देश की। कितनी प्यारी थी उनको स्वतंत्रता और स्वराज्य। उनके इस भाषण में उनका देश-प्रेम छलक उठा है।

भारत अनेक मत मतान्तारों का देश है।

उन्होंने सभी धर्म वालों के लिए समानाधिकार का विधान बनाया। इस महान संवैधानिक धर्म निर्पेक्षता के कारण ही भारत एक 'धर्म निरपेक्ष' देश कहलाता है। सम्पूर्ण देशवासियों की सुख-शान्ति का उन्होने संविधान में ध्यान रखा। भारतवर्ष का संविधान समता-सम्पन्न, प्रज्ञापूर्ण जन-हितकारी एवं विश्वशान्ति का द्योतक है।

बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्रायः विदेशों में ही प्राप्त की थी। अपने जीवन में अनेक बार वे विश्व-यात्रा पर भी गये। परन्तु उन्होंने स्वदेश की किसी भी अन्य देश में निन्दा नहीं की। अपितु जहाँ भी गये, भारत माता के भाल को ऊँचा ही किया। उनकी शील-सम्पन्नता, उच्च-आचरण और अपरिमित विद्या-बल विश्व विध्यात है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ प्रायः अक्षरसः सत्य हुई हैं।

सन् 1954 में उन्होंने आतंक-वादी चीन के विषय में कहा था- कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। परन्तु नेहरू जी के पंचशील का नारा लगाने वाले और ''हिन्दू-चीनी भाई-भाई'' का नारा लगाने वालों ने बाबा साहब की बात सुनी अनसुनीकर दी। परन्तु आज वही चीन भारत का महान शत्रु बन कर भारत पर घात लगाए बैठा है और काले विषधर की भांति फुफकार रहा है।

पाकिस्तान का बँटवारा भी उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंग से करने का सुझाव दिया था और भारत का बँटवारा नाम की पुस्तक लिख कर देश को खून-खराबा से बचाने का प्रयत्न किया था। किन्तु उनकी बात नहीं मानी गई। अन्त में पाकिस्तान बन कर ही रहा और हजारों प्राणियों के रक्त से होली खेली गई। वसुधा रक्त-रंजित हुई। न जाने किनी माताओं की गोदी के लाल लुट गये। ललनाओं के माथे के सिन्दूर सर्वदा के लिए धुल गये और न जाने कितनी बहिनें बिन भाई की हो गई। राष्ट्र और राष्ट्र की प्रजा के हितों का ध्यान एक देशभक्त ही कर सकता है। देशद्रोही को अपनी स्वार्थपूर्ति से ही काम होगा, राष्ट्र और राष्ट्र की प्रजा उसके लिए चाहे भाड़ में जाये।

जब उन्होंने धर्म-परिवर्तन की घोषणा की, तब ईसाई मिशनरियों और मुसलमानों की ओर से निजाम हैदराबाद ने बहुत बड़े-बड़े लालच भी दिये कि वे उनके धर्म को अपना लें। परन्तु महान देशभक्त और दूरदर्शी बाबा साहब ने यह कहकर साफ इन्कार कर दिया कि मैं किसी भी विदेश-धर्म को किसी भीशर्त पर अपनाने के लिए तैयार नहीं। इसी कारण उन्होंने महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध के सद्धर्म को ही अपनाया और अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध हो गये। बुद्ध और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हुआ था, अतः वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये। इस कार्य के लिए उन्होंने किसी भी अन्य बौद्ध धर्मावलम्बी देश से सहायता की याचना नहीं की। यद्यपि उस समय भारत बौद्धों से प्रायः शून्य ही था।

हमारे राष्ट्र-पताका के मध्य में अशोक चक्र (भगवान बुद्ध के धर्म-चक-प्रवर्तन का चिन्ह) उन्हीं के एक सुझाव का परिणाम है। भारतीय मुद्रा पर अंकित चार शेर का चिन्ह बौद्ध धर्म के इतिहास को दुहराता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो पंचशील विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया वह भगवान बुद्ध का ही उपदेश एवं प्रेरणा है। निःपक्ष-हृदय से गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर ज्ञात होता है कि बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर भारत के अतीत गौरव को आज विश्व प्रांगण में प्रदर्शित कर भारत के गौरव को बढ़ाया है।

आलेख

**बुद्ध शरण हंस**
पटना (बिहार)
मो.: 9507826323

# आंबेडकरवादी साहित्यकारों के नाम संदेश

आंबेडकरवादी साहित्य अपमान का इतिहास, दर्द का दस्तावेज और वंचितोत्थान का संविधान है। प्रातः स्मरणीय बाबा साहेब आंबेडकर के विचार (पथ प्रदर्शन) के अतिरिक्त इस देश के करोड़ों वंचित पीड़ित जनता के लिये अन्य कोई सहारा नहीं है। आंबेडकरवादी साहित्यकार बाबा साहेब के विचारों (पथ-प्रदर्शन) के वाहक, प्रचारक और प्रसारक हैं। अतः आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका जीवन अभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक जीना है।

## साहित्यकार अध्ययनरत हों-

आपने स्कूल, कॉलेज की शिक्षा कितनी अधिक पाई है, यह ज्यादा महत्व की चीज नहीं है। आपने बाबा साहेब का साहित्य कितना ज्यादा और कितनी गहरायी से पढ़ा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हमलोग बाबा साहेब द्वारा रचित साहित्य को जीवन भर पढ़ते रहें, समझते रहें, समझते रहें, तदनुकूल जीवन जीयें और तब साहित्य का सृजन करें। चाहे जिस भाषा में आपकी समझ और पकड़ हो, बाबा साहेब द्वारा स्वयं का लिखा प्रकाशित साहित्य अनिवार्य रूप से लें, पढ़े और समझें। मैं इस लेख के द्वारा महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। जिसने बाबा साहेब द्वारा रचित सम्पूर्ण साहित्य, उनके द्वारा भाषित सम्पूर्ण भाषणों को पुस्तकाकार प्रकाशित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनायी। आज हम साहित्यकारों के पास वे ही प्रकाशित पुस्तकें पूँजी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

## साहित्यकारों का संगठन होना चाहिए-

हम आंबेडकरवादी साहित्यकार स्वान्तः सुखाय के लिए साहित्य का सृजन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम बहुजन हिताय के लिए है। जब हम बहुजन हिताय के लिए लिख रहे हैं, तब हमारी सोच में एकरूपता होनी चाहिए, तारतम्य होना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आंबेडकरवादी साहित्यकारों को संगठित होकर लिखना चाहिए। इसके लिए साहित्यकारों के संगठन की जरूरत मैं महसूस करता हूँ। संगठन छोटा हो, बड़ा हो, क्षेत्रीय हो, जैस भी हो, मगर हो। आंबेडकरवादी साहित्यकार, ब्राह्मणवाद के विरूद्ध साहित्यिक युद्ध लड़ हैं। इस साहित्यिक युद्ध को लड़ना और जीतना हमारा फर्ज बनता है। यह युद्ध हमारे अस्तित्व-रक्षा के सभी युद्धों से भारी और महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संगठित होकर इस साहित्यिक युद्ध को लड़ें और जीतें।

## साहित्यकारों का जीवन आदर्शमय हो-

साहित्यकार साहित्य का सृजन करते हैं। वे हमेशा समाज को कुछ कहते रहते हैं, देते रहते हैं। देना महानता का द्योतक है। लोग हमारे विचार और संदेश को तभी ग्रहण करेंगे, जब हम साहित्यकारों का जीवन आदर्शमय हो। बाबा साहेब के संघर्ष की सफलता का राज उनकी विद्वता और आदर्शमय जीवन में है। उन्हें चुनौती देने की गुंजाइश किसी को मिली नहीं। हम साहित्यकारों का जीवन भी बहुजनों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। जब हमारा जीवन उनके लिए अनुकरणीय होगा, तभी हमारे विचार भी उनके लिए अनुकरणीय होंगे। हमें बाबा साहेब के इस महान आदर्श को अपनाना चाहिए।

## साहित्य सहज हो और ग्राह्य हो-

आंबेडकरवादी साहित्य आज जनता के जीवन का साहित्य है। यह दर्द से उपजा हुआ साहित्य है। यह अपमान से अंकुरित और असहाय पीड़ा में पैदा हुआ साहित्य है। इस साहित्य में कृत्रिमता नहीं है। इसीलिए इस साहित्य को सहज और ग्राह्य होना जरूरी है। साहित्य सरल होगा, आम आदमी इसे पढ़ेगा, समझेगा। अनुकूल सुखमय, सम्मानित जीवन जीने का प्रयास करेगा। हमें अपने साहित्य के द्वारा जन-जन को जगाना है। इसलिए यह जरूरी है कि उनकी समझ की भाषा और भावना में साहित्य का निर्माण करें। मैं साहित्यकारों से अपील करता हूँ कि वे बच्चों के लिए कम पढ़े-लिखे आम जनता के लिए साहित्य का निर्माण यानी लेखन-प्रकाशन ज्यादा से ज्यादा करें। आंबेडकरवादी साहित्य की बुनियाद बाल साहित्य बने। अभी जो साहित्य पैदा हो रहे हैं, वे विद्वद्जनों के बीच पढ़ा और समझा जाने वाला साहित्य बन रहा है। आम जनता के बीच पढ़ा और समझा जाने वाला साहित्य नहीं बन रहा है। आम जनता के बीच आप, हम साहित्यकारों का साहित्य न पढ़ा जा रहा है, न समझा जा रहा है। आंबेडकरवादी साहित्य का लक्ष्य बहुजन बने, न कि विद्वद्जन।

ब्राह्मणवादियों ने दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, राम कथा, कृष्ण कथा, गीता कथा, रामायण-कथा, महाभारत कथा, भक्त प्रह्लाद नाटक, रामलीली, कृष्ण लीला, हरिश्चन्द्र नाटक, संगीत, कीर्तन, आरती, भजन लिखकर बहुजनों के दिलों-दिमागों में ऐसी धमाध्यता पैदा कर दी है, जिसको मिटाने के लिए ऐसे ही सहज आम साहित्य पैदा करने, प्रकाशित और प्रचारित करने की जरूरत है।

जहाँ तक मेरा अनुभव है, अभी तक बुद्ध कथा, रविदास कथा, कबीर कथा, नानक कथा, ज्योतिराव फूले कथा, सावित्री बाई फुले कथा, आंबेडकर कथा, माता रमाबाई कथा, रामास्वामी नायकर कथा जैसी कोई पुस्तक न बच्चों के हाथ में आ पायी है, न बहुजन के हाथ में। तब हम किसके लिए लिख रहे हैं? यदि हम साहित्यकार अपने-अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। वास्तविकता यही है कि अभी मात्र हम साहित्यकार ही एक दूसरे के साहित्य को पढ़ रहे हैं।

हम साहित्यकार बहुजन की ओर मुड़े। हम अपने बच्चों के लिए, माँ-बहन-बेटियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए आंबेडकरवादी साहित्य का निर्माण, प्रचार, प्रसार करें। यह जरूरी है और इसे जरूर करना है।

**साहित्य सस्ता हो-**

हम आंबेडकरवादी साहित्यकार जो साहित्य लिख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, वह कम कीमत वाला हो, वरना आम आदमी उन्हें अपना नहीं पायेंगे। ब्राह्मणवादी साहित्य की देखा-देखी हम भी अपनी पुस्तकों में कागज अच्छा देते है। मढ़ाइ, सिलाई, छपाई अच्छा देते हैं और 100 पेज की पुस्तक की कीमत 100/-रू. रखते हैं। यह नकल आंबेडकरवादी की मौत के लक्षण हैं। हम बिना कहे, बिना बुलाये, बिना समझे बूझे ब्राह्मणवादी साहित्यकारों के षड़यंत्र में, जाल में फँसते जा रहे हैं। सावधान मेरे भाइयों! यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तब आंबेडकरवादी साहित्य सोने की आलमारी में बन्द हो जायेगा और आंबेडकरवादी साहित्यकार ब्राह्मणवादी पुस्तकार पा-पाकर ब्राह्मणवादी साहित्यकारों का मोहताज बनकर रह जायेगा।

इस बात का हम साहित्यकार ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य ब्राह्मणवादी साहित्यकारों से प्रतिद्वन्द्विता, प्रतियोगिता करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जनसेवा, जन-जागरण है। हमारे पाठक ब्राह्मणवादियों की तरह न सामंत हैं, न धनवान। हमारे साहित्य के पाठक हमारी पीड़ित जनता है। हम अपनी रचना उनके लिए लिखें और उन्हीं के लिए छापें। इसलिए हमारा साहित्य मार्गदशक हो, सहज हो, सुन्दर हो, किन्तु सस्ता हो। प्रेमचन्द की कहानियाँ तुलसी का मानस कभी आर्ट पेपर में नहीं छपीं। वे साहित्य सहजता से छपे और सस्ते में बिके। इसलिए आम आदमी के पास पहुँच गये। आंबेडकरवादी साहित्य को जनता के बीच पहुँचाने के लिए यह बहुत जरूरी है, कि ये साहित्य सहजता से छपे और सस्ते में बिके, ताकि आम जनता में पढ़ा जाय, समझा जाय।

आलेख

**भूप सिंह भारती**
महेनद्रगढ़ (हरियाणा)
मो.: 9416237425

# बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे : डॉ. भीमराव आंबेडकर

भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, सर्व समाज के हितों के रक्षक और मजलूमों के मसीहा भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में इन्दौर के निकट महू छावनी में 15 अप्रैल सन् 1891 में महार जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालो सकपाल और माँ का नाम भीमाबाई था। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। ये अपने माता पिता की चौदहवी सन्तान थे। ये केवल 6 वर्ष के ही थे, जब इनकी माँ का देहान्त हुआ।

**प्राथमिक शिक्षा-**

बालक भीम को प्राथमिक शिक्षा के लिए सतारा के प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया। छुआछूत के दंश के कारण बालक भीम को प्रतिभावान होने के बावजूद कक्षा में नहीं बल्कि कक्षा के बाहर अन्य छात्रों के जूते निकालने वाली जगह बैठकर पढ़ना पड़ता था। जातिवादी भेदभाव के जहर के कारण प्यास लगने पर भी खुद मटके से पानी नहीं पी सकते थे। इन तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए भीमराव ने सन् 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली।

**उच्च शिक्षा -**

हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई से हुआ। सन् 1912 में इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बी ए की परीक्षा पास की। सन् 1913 में इनके पिता का देहान्त हो गया तो ऐसा लगा मानो भीमराव के सब सपने धरे के धरे रह गए, लेकिन महाराजा बडोदा सयाजी राव गायकवाड़ की मदद से भीमराव को सन् 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। वे भारत के प्रथम अछूत थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए। अंबेडकर ने अपनी लगन, कड़ी मेहनत व धैर्य से कठिन परिस्थितियों का बड़ी दिलेरी से सामना करते हुए शिक्षा की बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त की।

**'मूकनायक' का प्रकाशन -**

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपने समाज दी दशा और अपने विचारों को सबके सामने रखने के लिए 31 जनवरी 1920 को एक पाक्षिक समाचार पत्र की शुरूआत की, जिसका नाम था 'मूकनायक' अर्थात गूंगो का नेता। इसके द्वारा बाबा साहब ने दलित समाज के दर्द को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। 'मूकनाक' द्वारा बाबा साहब बताते हैं कि भारत को केवल स्वतंत्र कराना ही पर्याप्त नहीं है अपितु स्वतंत्र भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें सभी को समान अधिकार मिले और जिसमें सभी को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने को मौका मिले। अपने लेखो में उन्होंने कहा कि जिस स्वराज में दलितों के

लिए मौलिक अधिकारों को गारंटी नही हो, वह उनके लिए स्वराज नहीं होगा। अपितु यह एक नई गुलामी होगी।

**'बहिष्कृत भारत' पत्रिका का प्रकाशन -**

डॉ. आंबेडकर ने सन् 1927 में 'बहिष्कृत भारत' नामक एक पाक्षिक पत्रिका शुरू की, जिसके माध्यम से उन्होंने जातिवाद का खंडन किया। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए जातियाँ बनाई है, भारत को छोड़कर विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मानव को प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को अछूत कहकर प्रयोग न करने दिया हो। आंबेडकर कहते हैं कि मानव जन्म से पंडित या अछूत नहीं हो सकता। उन्होंने अछूतों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया।

**जल सत्याग्रह -**

हिंदुओं के धार्मिक स्थानों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों में पशु-पक्षी तो पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, परंतु उसी तालाब से एक अछूत अपनी प्यास नहीं बुझा सकता चाहे वह प्यासा ही क्यों न मर जाए। सदियों से चली आ रही इस असमानता के खिलाफ डॉ. आंबेडकर ने मार्च 27 को महाड नामक स्थान पर वंचितों की एक विशाल सभा आयोजित कर 'जल सत्याग्रह' का बिगुल बजाया। जिसमें डॉ. आंबेडकर ने लोगों के स्वाभिमान को जागृत करते हुए कहा कि उन माता-पिता और पशुओं में अपने आपको दास मत बनाओ, हमारी उन्नति तब होगी, जब हम अपने अंदर स्वाभिमान का भाव पैदा करेंगे। डॉ भीमराव आंबेडकर अपने लोगों को चवदार तालाब पर लेकर गए और वहाँ जाकर के पानी पीया और अछूतो ने सवर्णो के तालाब से पानी पीकर सदियों से लगे प्रतिबंध का खात्मा किया। इस घटना ने पूरे भारत के अछूतों में अभूतपूर्व हिम्मत पैदा कर दी। डॉ आंबेडकर भूरि-भूरि प्रशंसा हुई।

**मनुस्मृति का दहन -**

डॉ. भीमराव आंबेडकर को अपने गहन अध्ययन से ज्ञात हुआ कि भारत में अछूतों के साथ भेदभाव का मूल कारण प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें अमानवीय तथा निंदनीय बातें भरी पड़ी है। इन ग्रंथों में अछूतों और महिलाओं के साथ छुआछूत तथा दुर्व्यवहार के धार्मिक कानून मौजूद हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से समाज में भेदभाव की भावना को बल मिलता है और इनमें सबसे अधिक हानिप्रद पुस्तक मनुस्मृति है। यही पुस्तक ब्राह्मणी धर्म का संविधान है, जिसकी रचना देश के मूलनिवासियों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए की गई थी। नारी की गुलामी का मुख्य कारण भी यही पुस्तक है। डॉ. आंबेडकर ऐसे इतिहास पुरुष थे, जिन्होंने इस पुस्तक की विनाशक मान्यताओं से सभी को अवगत कराया और सावधान किया। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड नगर में डॉ. आंबेडकर ने अपने अनुयायियों की उपस्थिति में इस काले कानूनों वाले कलंकित ग्रंथ को आग की लपटों के हवाले कर ब्राह्मणी धर्म के काले कानूनों के विरूद्ध बिगुल बजाकर ऐसे समाज का स्वप्न दिखाया, जिसमें सब के लिये समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा हो।

**पूना पैक्ट -**

गांधी जी का कहना था कि वे हरिजनों की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि आंबेडकर का आरोप था कि अछूतों के लिए कुछ नहीं हो रहा। अछूतों के चारों ओर के द्वार बंद हैं

उनकी कोई नहीं सुनता। वे समाज में रहकर भी समाज से दूर हैं। भारत तो गोरों का गुलाम है परंतु अछूत गोरों और कालों का गुलाम है। डॉ. आंबेडकर के अथक प्रयासों से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्राट ने डॉ. आंबेडकर द्वारा रखी गई मांगों-अछूतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकारों में प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना आदि सभी मांगों को स्वीकार कर लेने पर आंबेडकर की खुशी का ठिकाना नही ंरहा। लेकिन गांधी जी को आंबेडकर की ये मांगें रास नहीं आई और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। आंबेडकर पर गांधी जी के जीवन की रक्षा करने का चौतरफा दबाव पड़ने लगा। पंडित मदन मोहन मालवीय और कस्तूरबा गांधी ने डॉक्टर आंबेडकर से कहा- 'आंबेडकर, गांधी जी से समझौता कर उनकी जान बचालो। तुम अपने मांग पत्र पर पुनः विचार करो। 'डॉ0 आंबेडकर ने गांधी जी के साथ समझौता कर उनकी जान बचाई। गांधी-आंबेडकर समझौते में वंचितों के अधिकारों की पूरी व्यवस्था की गई।

## मजदूरों के मुक्तिदाता -

डॉ. भीमराव आंबेडकर को जून 1942 में वायसराय हिंद ने अपनी कार्यसाधक काउंसिल में शामिल किया और उन्हें लेबर विभाग का कार्य सौंपा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर में बर के पद पर रहते हुए बाबा साहब ने मजदूरों की भलाई के लिए अंग्रेजों से अनेक सुविधाएं हासिल की। जैसे- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को असेंबली में 1946 में पेश किया और पास करवाया। मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजना की शुरूआत करवाई। मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करवाई। महिला मजूदूरों को वेतन के साथ प्रसूति छुट्टियों की सुविधा दिलवाना। काम करते हुए मजदूर को चोट लगने, अंग कटने या मृत्यु होने पर उचित मुआवजे की व्यवस्था करवाना। अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करने का अधिकार दिलवाया। बाबा साहब ने श्रम मंत्री रहते हुए पूरे देश में रोजगार कार्यालय स्थापित करवाए।

## संविधान निर्माता-

आजाद भारत के लिए स्वतंत्र व नए संविधान को बनाने की कवायद में डॉ0 आंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति के सदस्यों का कोई सहयोग न मिलने के बावजूद डॉ0 अम्बेडकर ने इस महान एवं पुनीत कार्य को सम्पूर्ण करने में दिन-रात एक कर दिया। भारत के हर नागरिक को ध्यान में रखकर अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया, जो देश में कानून का शासन स्थापित करे, सब को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दे और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सदियों से अन्याय की चक्की में पिसते वंचितों, मजदूरों और नारियों का उद्धार किया।

भारतीय संविधान की धाराओं में डॉ0 आंबेडकर ने अपनी कलम से अछूतों के लिए ऐसा रक्षा कवच बनाया कि जिसे पहनकर आज महिलाएं, मजदूर, अछूत और शोषित अपना सर्वोंगीण विकास कर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी दे रहे हैं।

जब डॉ0 आंबेडकर ने संविधान बनाकर राष्ट्रपति महामहिम राजेंन्द्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा तो महामहिम ने प्रसन्न होकर कहा- हम डॉ0 आंबेडकर के बहुत आभारी हैं। जैसा संविधान इन्होंने बनाया है वैसा शायद कोई नहीं बना पाता। 'पंडित नेहरू ने कहा- 'डॉ0 आंबेडकर संविधान के शिल्पकार हैं। इतिहास के पन्नों में इन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और जब तक भारत का नाम रहेगा तब तक डॉ0

आंबेडकर का नाम भी रहेगा सभी नेताओं ने भारतीय संविधान के शिल्पकार के इस अनुपम कार्य की भूरी-2 प्रशंसा की। आंबेडकर निर्मित संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉक्टर आंबेडकर को आजाद भारत का प्रथम कानून मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने दलितों और मजदूरों के साथ एक और शोषित वर्ग महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भी भरसंक प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिंदु कोड बिल बनया, लेकिन सत्तारूढ़ दल के कट्टरपंथी नेताओं ने जब इस बिल को संसद में नामंजूर कर दिया, तो बाबा साहेब डॉ0 आंबेडकर ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने कहा था कि यह बिल महिलाओं को उनकी खोई हुई गरिमा वापिस दिलाएगा और लड़के और लड़कियों को समान अधिकार देने की बात करता है। मजदूरी के 8 घंटे निर्धारित कर मजदूरों के शोषण पर लगाम लगाई।

## हिन्दू धर्म का त्याग -

आजीवन मिले छुआछूत के कड़वे घूंट में व्याप्त हृदय विदारक वेदना ने उनके मन में हिन्दू धर्म के प्रति कड़वाहट इतनी अधिक आ गई कि 14 अक्टूबर 1956 में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और लोगों को ढोंग, पाखण्ड और अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक सोच को आत्मसात करने का सन्देश दिया।

## निधन-

6 दिसम्बर 1956 को इस महान पुरुष ने अपने निवास स्थान दिल्ली में अंतिम सांस ली। इनके मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें सन् 1990-91 में देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। लोग प्यार व सम्मान से इन्हें 'बाबा साहेब' कहते है। डॉ. भीमराव आंबेडकर का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि आज लोग 'जय भीम' कहकर आपस में अभिवादन भी करते है। आज 'जय भीम' का नारा समता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, भाईचारे और एकता का जयघोष बन चुका है। वास्तव में डॉक्टर आंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।

आलेख

**देवचंद्र भारती 'प्रखर'**
असिस्टेंट प्रोफेसर
हिंदी विभाग, हरिनंदन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मोहरगंज (चंदौली) उत्तर प्रदेश
मो.: 9454199538

# जातिप्रथा का विनाश तथा अछूत कौन और कैसे?

महान दार्शनिक डॉ0 भीमराव आंबेडकर जी का सामाजिक-दर्शन समतामूलक समाज की स्थापना' के उद्देश्य पर आधारित है। समतामूलक समाज से तात्पर्य है कि समाज के सभी लोग एक-दूसरे के प्रति समता का व्यवहार करें। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि समता और समरसता में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए भारतीय समाज की संरचना को समझना आवश्यक है, विशेष रूप से हिंदू समाज की संरचना को। भारतीय हिंदू समाज में जाति-पॉति और छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयाँ प्राचीन समय से व्याप्त हैं, जिनके कारण मानव-मानव में पारस्परिक प्रेम और बंधुत्व का अभाव दिखाई देता है। आधुनिक भारत के निर्माता एवं भारतीय संविधान के जनक महान राष्ट्रनायक डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने गंभीर चिंतन और मनन के परिणामस्वरूप जातिप्रथा के विनाश का उपाय खोजा तथा अस्पृश्यता के कारण और निवारण का तथ्यपूर्ण विचेन प्रस्तुत किया है।

**1. जातिप्रथा का विनाश कैसे संभव है?**

प्राचीन हिंदू समाज वर्ण-व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण चार थे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप कुछ भी हो, लेकिन कालांतर में वह जन्म पर आधारित हो गयी। ब्राह्मण भले ही मूर्ख हो, लेकिन वह केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही श्रेष्ठ माना जाने लगा। यह मनु के विषमतापूर्ण सामाजिक दर्शन का ही परिणाम था कि अन्य तीनों वर्णों पर ब्राह्मण वर्ण का वर्चस्व था। ब्राह्मण के इसी विशेषाधिकार युक्त वर्चस्व ने 'ब्राह्मणवाद' को जन्म दिया। जब ब्राह्मण वर्ग ने अपने को एक 'बंद वर्ग' में बदल लिया, तो उसने अपने ही वर्ग में विवाह करना, विधवा के विवाह पर रोक लगाना, विधवा को उसके मृतक पति के साथ जलाकर सती प्रथा अथवा जौहर प्रथा का नाम देना और बाल विवाह को मान्यता देना आदि प्रारंभ किया। ब्राह्मण वर्ग जब बंद वर्ग के रूप में परिणत हो गया, तो 'अंतर्जातीय विवाह' और 'सहभोज' पर प्रतिबंध लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप 'जातिप्रथा' का प्रचलन हुआ।

भारत में जाति-प्रथा एवं जाति-प्रथा उन्मूलन के बारे में डॉ0 आंबेडकर जी बहुत ही तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं। इस विषय में उनकी दो पुस्तकें हैं- 'कास्ट इन इंडिया' और 'एनीहिलेशन आफ कास्ट'। 'कास्ट इन इंडिया' (भारत में जातिप्रथा) एक शोध प्रबंध है, जिसे मई 1916 ई0 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉ0 गोल्डेनबीजर की एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार के समक्ष उन्होंने पढ़ा था। यह पुस्तक सन् 1917 ई0 में प्रकाशित हुई थी। 'एनीहिलेशन आफ कास्ट' (जातिप्रथा का उन्मूलन) लाहौर के जाति-पाँति तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन (जनवरी 1936 ई0) हेतु लिखा गया

अध्यक्षीय भाषण था, जो पुस्तक के रूप में सन् 1937 ई0 में प्रकाशित हुआ था। डॉ0 आंबेडकर जी के शब्दों में, ''खेद है कि आज भी जातिप्रथा के समर्थक मौजूद हैं। इसके समर्थक अनेक है। इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जातिप्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह दलील दी जाती है कि जातिप्रथा में कोई बुराई नहीं है। इस विचार के विरूद्ध पहली बात यह है कि जातिप्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन भी है। इसमें संदेह नहीं है कि सभ्य समाज को श्रम का विभाजन करने की आवश्यकता है। किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम के विभाजन के साथ इस प्रकार के पूर्णतः अलग वर्गों में श्रमिकों का प्राकृतिक विभाजन नहीं होता। जातिप्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है। किसी भी अन्य देश में श्रम के विभाजन के साथ श्रमिकों का इस प्रकार का क्रम नहीं होता।'' (1)

जातिप्रथा कैसे समाप्त की जाए? इसके जवाब में डॉ0 आंबेडकर ने लिखा है, ''जाति-प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि जाति-व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उप-जातियों को समाप्त किया जाए। यह विचार इस उप-धारणा पर आधारित है कि जातियों के बीच तौर तरीकों और स्तरे के अपेक्षाकृत उप-जातियों के तौर-तरीकों तथा स्तर में अधिक समानता है। मेरे विचार से यह एक गलत धारणा है। ... लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि उप-जातियों का विलय संभव है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उप-जातियों के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप जातियाँ निश्चित रूप से समाप्त हो जाएँगी। इस स्थिति में उप-जातियों के समाप्त होने से जातियों की जड़े और मजबूत हो जाएँगी और वे शाक्तिशाली बन जाएँगी। परिणाम स्वरूप वे अधिक हानिकारक सिद्ध होंगी। अतः यह उपाय न तो व्यवहार्य है और न ही कारगर। यह उपाय निश्चित रूप से गलत सिद्ध होगा। जाति-व्यवस्था समाप्त करने की एक और कार्य-योजना है कि अंतर्जातीय खान-पान का आयोजन किया जाए। मेरी राय में यह उपाय भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी अनेक जातियाँ हैं, जो अंतर्जातीय खान-पान की अनुमति देती हैं। इस विषय में सामान्य अनुभव यह रहा है कि अंतर्जातीय खानपान की व्यवस्था जाति-भावना या जाति-बोध को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका वास्तविक उपचार अंतर्जातीय विवाह ही है।'' (2)

## 2. अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने?

अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने? इस विषय पर डॉ0 आंबेडकर जी ने इसी नाम से एक किताब लिखी, जो सन् 1948 ई0 में प्रकाशित हुई? डॉ0 आंबेडकर जी के शब्दों में ''प्रमाणित होता है कि आरंभ से ही अछूत गाँव के बाहर रहते आये हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अछूत बनाया गया हो और तब उन्हें गाँव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किया गया हो। वे आरंभ से ही गाँव के बाहर रहते आये हैं, क्योंकि वे किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे, जो ग्रामवासियों से भिन्न था। इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है, वह यह प्रश्न है कि अछूत सदा अछूत ही क्यों चले आये हैं? यह समस्या तब तुरंत हल हो जाएगी, जब एक बार यह बात समझ में आ जाए कि आज के अछूतों के पूर्वज

अछूत नहीं थे बल्कि गाँववासियों की तुलना में छितरे हुए लोग थे। उनमें और दूसरे लोगों में यदि कोई भेद था, तो इतना ही कि वे पृथक कबीलों के लोग थे। (3)

भारत के अछूतों के समानांतर स्थिति क्या संसार में अन्य जगहों पर भी है? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है, ''भारत के अछूत और आयरलैंड के फयुदहिर और वेल्स के अल्तयुद के उदाहरण में पूरा तालमेल है। जिस कारण से आयरलैंड में फयुदहिर और वेल्स में अल्तयुद लोगों को गाँव से बाहर रहना पड़त था, उसी कारण से भारत के अछूत गाँवों से बाहर रहते आये हैं। (4)

छितरे हुए लोगों की बस्तियाँ अन्यत्र कैसे विलुप्त हुईं और भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने लिया है, ''यह बात सत्य है कि आयरलैंड के फयुदहिर और वेल्स के अल्तयुद छितरे लोग थे। यह भी बात ठीक है कि वे पृथक बस्तियों में रहते थे, लेकिन यह भी सत्य है कि उन छितरे लोगों की अलग बस्तियाँ लुप्त हो गईं और वे स्थायी रूप से गाँवों में बसी हुई जातियों के भाग या अंग बन गये और उन्हीं में धुल मिल गये। जो एक अनोखी बात है। अभी तक जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसके अनुसार, छितरे लोगों को गाँव से बाहर इसलिए बसाया गया था, क्योंकि वे भिन्न कबीलों के थे। बाद में उन्हें उन कबीलों ने अपने में कैसे शामिल कर लिया? भारत में भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जो स्वाभाविक हैं और जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर यही है कि छुआछुत के विचार से पलड़ा भारी हो गया और इससे संबंधी तथा असंबंधी कबीलों और बाहरी होने के भेद अर्थात छूत और अछूत के भेद को एक-दूसरे रूप में सनातन बना दिया। यह एक नई चीज आ गई, जिसने आयलैंड और वेल्स का सा तालमेल भारत में नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर गाँव में एक पृथक बस्ती होना, भारतीय गाँव का एक आवश्यक अंग हो गया है। (5)

क्या छुआछूत की उत्पत्ति व्यवसाय जन्य है? बिल्कुल नहीं। डॉ0 आंबेडकर जी के शब्दों में, ''दासों के लिए निश्चित हुए कर्तव्य की ओर ध्यान दें, तो यह परिवर्तन किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं है। उनका अब भी यही मतलब रखा कि यदि एक ब्राह्मण दास बने, एक क्षत्रिय दास बने, एक वैश्य दास बने अथवा एक शूद्र दास बने तो उसे झाड़ू लगाने का काम करना ही होगा। हाँ, एक ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्र के घर में झाड़ू नहीं लगाएगा। किंतु वह एक ब्राह्मण के घर भंगी का काम करेगा, वह एक शूद्र के घर में नहीं करेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, जो निश्चित रूप से आर्य हैं, गंदे से गंदा भंगी का काम करते हैं। यदि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गंदे पेशों को करना छुआछुत का कारण है। इसलिए यह सिद्धांत कि गंदे पेशे में लगना अस्पृश्यता है, निराधार सिद्ध होता है। (6)

तो फिर, छुआछूत की उत्पत्ति का कारण क्या हैं? डॉ0 आंबेडकर जी ने छुआछूत की उत्पत्ति का कारण स्पष्ट करते हुए एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया। छुआछूत की उत्पत्ति के नए सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अछूतों को मूलतः बौद्ध सिद्ध किया है। बौद्ध होने और अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहने के कारण ही छितरे हुए लोगों को अछूत घोषित किया गया था। उन्हीं के शब्दों में, ''यदि हम स्वीकार कर ले कि ये छितरे व्यक्ति बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के

बौद्ध धम्म पर हावी होने जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धम्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि अछूत ब्राह्मणों को अशुभ क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मुहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते? इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये छितरे व्यक्ति क्यों अछूत समझे गये? ये छितरे व्यक्ति ब्राह्मणों से घृणा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धम्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन छितरे आदमियों को अछूत बनाया। क्योंकि ये बौद्ध धम्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता के मूल कारणों में से एक कारण घृणा भाव है, जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा किया। (7)

एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि केवल छितरे हुये लोग ही अछूत क्यों बने? अन्य लोग क्यों नहीं? इसके उत्तर में डॉ0 आंबेडकर जी ने लिखा है, ''केवल छितरे व्यक्ति ही अछूत क्यों बने? इसका मुख्य कारण यही था कि वे बौद्ध तो थे ही, उसके साथ उन्होंने अपनी गो-मांस खाने की नई आदत भी बना ली थी। इससे ब्राह्मणों को अपनी नई गो-भक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुँचाने का और अवसर मिल गया। (8)

गोमांसाहार को छुआछूत का कारण होने के सिद्धांतों को स्वीकार करने से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे कि - हिंदुओं का गोमांसाहार के विरूद्ध घृणा का कारण क्या है? क्या हिंदू सदा से ही गोमांसाहार के विरूद्ध रहे हैं? क्या हिंदू गोमांस नहीं खाते थे? इस संदर्भ में डॉ0 आंबेडकर जी ने लिखा है, ''एक समय हिंदू गो-हत्या करते रहे हैं और गो-मांसाहार भी करते रहे हैं, यह बात बौद्ध सूत्रों में दिये गये यज्ञों के वर्णन से बहुत अच्छी तरह सिद्ध होती है। बौद्ध सूत्रों का समय वेदों और ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में जो हत्याकांड किया, उसका हिसाब लगाना असंभव है। इस पाशविकता का अनुमान लगाना आकाश के तारे गिरने के समान है। फिर भी बौद्ध-वाङ्मय से इसके संकेत अवश्य मिलते हैं।'' (9)

यदि ब्राह्मण गोमांसाहार करते थे, तो उन्होंने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने? डॉ0 आंबेडकर जी ने इन प्रश्नों का बहुत ही सटीक उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है, ''बौद्ध धम्म सामान्य रूप से पशु बलि का विरोधी था। उसका गो के लिए ही कोई आग्रह नहीं था। इसलिए अशोक को इस बात की कोई खास आवश्यकता नहीं थी कि वह गो-रक्षा के लिए कानून बनाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि गो-वध को महापातक घोषित करने वाले गुप्त नरेश हुये, जो हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक हुये, उस हिंदू धर्म के, जो यज्ञों के लिए गो-वध की अनुज्ञा देता है। ... प्रश्न उठता है कि एक हिंदू नरेश को क्या पड़ी थी कि वह गो-वध के विरूद्ध अर्थात् मनु के नियमों के विरूद्ध नियम बनाता? उत्तर यही है कि ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि बौद्ध भिक्षुओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वे वैदिक धर्म के अपने एक अंश से पिंड छुड़ा लें। (10)

जब ब्राह्मणों ने गोमांस खाना छोड़ दिया, तो फिर छितरे हुए लोगों ने गोमांस खाना क्यों जारी रखा? डॉ. आंबेडकर जी के शब्दों में, ''गुप्त राजाओं ने गो-वध के विरूद्ध जो कानून बनाया था, वह उन लोगों के लिए था, जो गो-वध करते थे। यह छितरे हुए आदमियों पर लागू नहीं होता था, क्योंकि वे गो-वध नहीं करते थे। वे केवल मृत गाय का मांस खाते

थे। उनका आचरण गो-वध निषेध के विरूद्ध नहीं पड़ता था। ..... उन्होंने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का अनुकरण क्यों नहीं किया? इसके दो उत्तर हैं। पहला तो यह कि यह नकल करना उनके लिए अत्यधिक महँगा सौदा था। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस उनका प्रधान जीवनाधार था। इसके बिना वे भूखे मर जाते। दूसरा, मृत गायों का ढोना, यद्यपि आरंभ में यह एक अधिकार था, किंतु बाद में उनका यह कर्तव्य हो गया था, क्योंकि उन्हें मृत गाय को ढोना ही पड़ता था, इसलिए वे जैसा पहले खाते रहे, उसी तरह अब भी उन्होंने उसका मांस खाते रहने में कोई आपत्ति नहीं समझी।'' (11)

गो-वध कब एक अपराध घोषित किया गया? गोमांसाहार से छुआछुत की उत्पत्ति क्यों हुई? और छुआछूत की उत्पत्ति कब हुई? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ0 आंबेडकर जी ने लिखा है, ''हम जानते हैं कि मनु ने न तो गो-मांसाहार का निषेध किया और न गो-वध को अपराध ठहराया। जैसा कि डी0आर0 भंडारकर ने स्पष्ट किया है कि चौथी ईस्वी में किसी समय गुप्त नरेशों द्वारा गो-वध प्राण दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसलिए हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छुआछूत 400 ई0 के आसपास किसी समय पैदा हुई तथा बौद्ध धम्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष में से पैदा हुई है।'' (12)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डॉ0 आंबेडकर जी का सामाजिक दर्शन प्रथमतः समतामूलक समाज की स्थापना पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उन्होंने वर्णव्यवस्था, ब्राह्मणवाद और जातिभेद आदि विषयों पर अपना शोधपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया है। जातिव्यवस्था और जातिगत भेदभाव का विनाश किये बिना सामाजिक समता की कल्पना करना असंभव है। इसी के साथ डॉ0 आंबेडकर जी ने अछूतों के इतिहास को भी उजागर किया। अछूत लोग बौद्ध थे, इसलिए उन्हें वर्णव्यवस्था के बाहर रखा गया तथा उन्हें अछूत घोषित करके उन्हें सदैव अपमानित किया गया। उनका दोष यही था कि वे ब्राह्मण वर्चस्व को स्वीकार नहीं किये तथा उनके द्वारा बनाये गये वर्ण व्यवस्था के नियमों के अनुसार आचरण नहीं किये। डॉ0 आंबेडकर जी ने अस्पृश्यता के निवारण हेतु विकल्प के रूप में बौद्ध धम्म का उल्लेख किया है। यदि अस्पृश्य लोग बौद्ध धम्म को अंगीकार कर लें और बौद्ध धम्म के अनुसार जीवनयापन करें, तो उन्हें अस्पृश्यता का दुःख झेलना नहीं पड़ेगा।

**संदर्भ :**


1. बाबा साहेब डॉ0 आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खण्ड-1, भारत में जाति-प्रथा एवं जाति-प्रथा उन्मूलन, पृष्ठ 54
2. वही, पृष्ठ 77-78
3. बाबा साहेब डॉ0 आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खण्ड-14, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, पृष्ठ 45
4. वही, पृष्ठ 4
5. वही, पृष्ठ 51
6. वही, पृष्ठ 51
7. वही, पृष्ठ 86
8. वही, पृष्ठ 89
9. वही, पृष्ठ 98
10. वही, पृष्ठ 123-124
11. वही, पृष्ठ 130
12. वही, पृष्ठ 135

आलेख

**भिक्खु आलोक**
पीएच.डी. शोधार्थी
(पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
E-mail: shakyaalok563@gmail.com

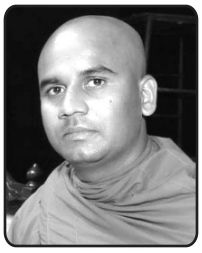

# जाति व्यवस्था, राष्ट्र निर्माण तथा बौद्ध धम्म : एक चिन्तन

वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रवाद के नाम पर देश में राजनैतिक तथा सामाजिक स्तर पर बहुत उथल-पुथल मची हुई है। जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए किसी तरह के उचित कदम नहीं उठाये जा रहे, जहाँ कहीं प्रयास किये भी जा रहे हैं तो वे कहीं से भी सार्थक प्रयास प्रतीत नहीं होते। वर्तमान में किए जाने वाले प्रयास राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र निर्माण के नाम पर अतीत की विकृति को पुनः स्थापित करने के प्रयास मात्र प्रतीत होते हैं। समाज में अतीत से लेकर वर्तमान समय तक वह विकृति विद्यमान है। समाज कि उस विकृति को चतुवर्ण व्यवस्था के नाम से समझ सकते है। भारतीय समाज इसी चतुवर्ण व्यवस्था द्वारा तथागत बुद्ध के काल से पूर्व ही शोषित होता आ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर समाज में अराजकता देखने को मिलाती है। इस सामजिक रूढ़िवादी मानसिकता को तथागत बुद्ध ने सिरे से नकार दिया तथा मानव-मानव एक समान बनाये रखने के लिए कर्म आधारित हीन और श्रेष्ठ का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जब सभी को समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त होंगे तभी एक सुदृढ़, शक्ति सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण सम्भव अर्थात् बौद्ध धम्म के अनुशीलन से भारत देश में एक समृद्धशाली समाज व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इसका सबसे बड़े उदाहरण के लिए डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा विशाल समुदाय के साथ धर्मान्तरण तथा उसके परिणाम बहुत ही स्पष्ट है।

अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जाति व्यवस्था का क्या स्थान रहा यह बहुत विचारणीय है। जिसके उपरान्त पूर्व से स्थापित जाति व्यवस्था पर बौद्ध धम्म के विचार आदि पर भी विचार करना आवश्यक है।

जाति व्यवस्था, जिसे कि भारतीय समाज में व्याप्त एक विकृति ही कहा जाना उचित है। भारत देश में व्याप्त चतुवर्ण व्यवस्था के कारण देश ने बहुत कुछ खोया है। भारत देश के अतीत से वर्तमान तक तथाकथित तौर पर 'ब्रह्मा' द्वारा रचित चतुवर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया जाये, तो वह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण में घातक ही सिद्ध होगी। राष्ट्र निर्माण के सम्बन्ध में समझना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है, अतः राष्ट्र निर्माण के तत्त्वों से अवगत होना आवश्यक है। 'राष्ट्र' शब्द का आशय एक विशाल जनसंख्या का एक भौगोलिक तथा सामाजिक सीमाओं से है, जिसे राजनैतिक तथा अधिकारिक तौर एक परिधि तक निश्चित किया गया है। जिसके बाद यदि राष्ट्र निर्माण शब्द को देखा

जाये, जो कि उक्त निर्माण राष्ट्र के विकसित तथा शक्ति सम्पन्न होने से है। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि तथा शक्ति सम्पन्नता को राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों से नहीं जाना जा सकता। अपितु राष्ट्र की सीमाओं में निवास करने वाले प्रति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से राष्ट्र के विकसित होने आदि का पता लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति को केंद्र में रखकर भारत देश को सम्पन्न राष्ट्र तथा राष्ट्र निर्माण की भावनाओं को विकसित करना चाहिए।

भारत देश के लिए चतुवर्ण व्यवस्था सबसे बड़े अभिशाप के रूप में व्याप्त है। यह चतुवर्ण व्यवस्था अतीत के काल से ही भारत देश को कमजोर करते आ रही है और इसकी जड़ें वर्तमान समय तक स्पष्ट रूप से देखि जा सकती है। शोषण की विचारधारा से प्रेरित व्यवस्था ने एक चतुवर्ण व्यवस्था को जन्म दिया जिसे तथाकथित तौर से ब्रह्मा द्वारा रचित माना गया। इस जातीय विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा ने जनम से ही व्यक्ति को उसमें निहित अभिक्षमाताओं के अनुरूप ही किसी भी वर्ण में जन्म दिया है। यह चतुवर्ण व्यवस्था इस प्रकार से वर्णित थी यथा-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों वर्णों के जाति के अनुरूप कार्यों को निश्चित किया जा चुका था। यदि कोई भी व्यक्ति अपने विहित कार्यों के अतरिक्त कार्य करता, तो उसके लिए दण्ड का प्रावधान भी था। यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि इस व्यवस्था का स्वघोषित रूप से ब्रह्मा का प्रतिनिधि ब्राह्मण था। ऐसी जाति व्यवस्था के कारण देश ने बीती सदियों में करोड़ों प्रतिभाओं को खो दिया। अपने लेख में भरत सिंह उपाध्याय लिखते हैं कि ''यही कारण है कि सच्चे अर्थों में जन-जीवन का विकास वैदिक युग में सम्भव न हो सका''। अतः जब ऐसी जाति-व्यवस्था में विकास सम्भव न हो सका। फिर उस विचारधारा को अपनाये रहना तथा प्रश्य देने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी यह विचाराधारा अब तक पोषित की जा रही है। समय-समय पर इस विचारधारा के खण्डान में बहुत से महापुरूषों ने प्रयास किए हैं। उन सभी प्रयासों के प्रतिफल में यदि देखा जाये तो समय-समय पर सभी वर्गों में विभिन्न प्रतिभाओं से सम्पन्न महापुरूषों का जन्म हुआ है। उनकी प्रतिभाओं तथा विद्वानता ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर तक अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर तथाकथित ब्रह्मा विरचित जाति व्यवस्था को झूठा सिद्ध कर दिया और उनके स्वघोषित प्रतिनिधियों के लिए एक सबक भी दिया की यदि वे सही में राष्ट्र निर्माण में सहायक होना चाहते हैं, तो उस विकृति से बहार आकर स्वयं को मनुष्य समझने का प्रयास करें। एक विशेष बिन्द पर चर्चा आवश्यक है कि किसी भी राष्ट्र में विभिन्न धर्म, संस्कृतियों, भाषाओं, मान्यताओं, उपासनाओं, वेश-भूषा आदि प्रकार से जीवन निर्वाहन करने वाले लोग निवास करते हैं। इन सभी में धर्म शब्द का गहरा प्रभाव है, जब धर्म में ही विकृति होगी, तो समाज सुदृढ़ होने की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए वर्तमान समय में सम्पूर्ण जागरूक समाज को स्वयं तथा अपने परिवार में यदि एक सुदृढ़ सांस्कृतिक परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें मानव कल्याण के किसी भी पैमाने पर खरा उतरने वाले बौद्ध धम्म की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य के जीवन पर सबसे पहले प्रभाव धर्म तथा संस्कृति का पड़ता है जिससे व्यवहार उक्त धर्म-संस्कृति के अनुरूप ही होता है। इसलिए कुशल मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले

बौद्ध धम्म तथा उसकी संस्कृति की ओर आकर ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण सम्भव है।

समाज में व्याप्त इस भेद-भाव के विरूद्ध भारत भूमि पर जाति व्यवस्था का सबसे पुरजोर खण्डन समस्त संसार को सर्वप्रथम मानवता का पाठ पढ़ाने वाले विश्वगुरू शाक्यमुनि तथागत सम्यकसम्बुद्ध ने किया। इसलिए यहाँ तथागत बुद्ध के रूढ़िवादी जाति-व्यवस्था सम्बन्धित विचार प्रस्तुत करना ही उचित है। तथागत बुद्ध यह भली-भांति समझ चुके थे कि समाज में व्याप्त यह वर्ण व्यवस्था रूपी रूढ़ी के कारण से समाज का समान विकास नहीं हुआ है। इसी कारण से उन्होंने अपने भिक्षु संघ में समस्त वर्ण तथा वर्णों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी। तथागत बुद्ध ने अपनी समस्त शिक्षाओं में समस्त मानव तथा जीव जगत की समानता पर बहुत अधिक बल दिया। जाति-व्यवस्था के इस अमानवीय तथा असमान व्यवस्था के निर्मूलन में बहुत से सुत्तों में उल्लेख किया है। इसके साथ ही कर्म की प्रधानता को स्थापित करते हुए मनुष्य को कर्म से श्रेष्ठ तथा हीन बताया न कि वैदिक समाज व्यवस्था के अनुरूप जन्म से श्रेष्ठ बताया। तथागत बुद्ध जन्म से श्रेष्ठ होने को अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने जन्म आधारित श्रेष्ठता का खण्डन करते हुए कहा **''न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिंज मत्तिसम्भव''** अर्थात माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। इसके साथ ही बुद्ध ने बताया कि न कोई जन्म से वृषल (नीच) होता है **''ल जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो अर्थात** न कोई जन्म से वृषल होता है और न ही कोई जन्म में ब्राह्मण होता है। कर्म की प्रधानता को स्थापित करते हुए कहते है कि **''कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो''** अर्थात् कर्म से ही कोई वृषल होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। वही बासेट्ठ सुत्त में हजारों वर्ष पूर्व इस जाति-व्यवस्था के विरुद्ध मानवाधिकारों की संकल्पना को व्यवस्थित क्रम में उपदेशित किया। हमारे वातावरण में रहने वाले जीव अपनी भिन्न-भिन्न प्रजातियों से जाने जा सकते है, उनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है उसमें किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं है न ही मनुष्य में किसी प्रकार के भेद-बोधक चिन्ह दिखाई देते हैं। अतः मनुष्य को आरोपित जाति वर्ण में जन्म लेने से उसे उस जाति से नहीं जानना चाहिए उदाहरण यदि कोई ब्राह्मण गौ पालक है उसकी जीविका बाही है तो उसे ब्राह्मण नहीं बल्कि गौ पालक ही जानना चाहिए। वर्तमान समय में जो भी समाज को तोड़ने एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे अनैतिक कार्य कर रहे वे सभी नीच, हीन तथा कर्म से शुद्र ही मानें जाने चाहे भले ही वे किसी भी वर्ग में क्यों न जन्में हों।

इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने जो सामाजिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया, उसे उन्होंने अपने संघ में यथावत् अपनाया भी, भिक्षु तथा भिक्षुणी संघ में तथाकथित ब्राह्मण से लेकर शुद्र तक लोग थे और वह अपने कर्म बल से सभी समान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। सभी निर्वाण प्राप्त करने के अधिकारी थे। जिस प्रकार से बौद्ध धम्म में सभी के प्रति मैत्री रखने की शिक्षा दी वह समाज में समरसता लाने का एकमात्र एवं महत्त्वपूर्ण मार्ग है। वर्तमान समय में व्याप्त सामाजिक विद्वेष की स्थिति में अपने दार्शनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के संबर्धन के लिए बौद्ध धम्म के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। यदि वर्तमान समय

में राष्ट्रा निर्माण का जो लोग सपना देख रहे हैं, उन्हें तथागत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट शिक्षाओं को अनुपालन करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सभी तत्त्वों को आत्मसात करना होगा। जिस तरह से समय-समय पर बौद्ध धम्म तथा भारतीय संविधान के प्रति दूषित मानसिकता प्रदर्शित की जाती है, उससे स्पष्ट हो जाता है वे लोग कभी राष्ट्र निर्माण के इच्छुक नहीं है। अपितु वे सभी पुनः वैदिक तथा मनु शासन की विकृति को दोहरना चाहते हैं, जो कि आज के समय में असंभव है। संविधान में विश्वास तथा बौद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के लिए सशक्त राष्ट्र निर्माण को संविधान में विश्वास तथा बौद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के लिए सशक्त राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए कुशल मार्ग का अनुसरण करना अति आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण का आशय प्रति व्यक्ति का विकास तथा समान व्यवहार ही राष्ट्र के निर्माण तथा विकास का मानक है। जब समाज विकसित होगा, तो राष्ट्र विकसित होगा।

**हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे।**

**मिच्छादिट्ठी न सेवेय्य न सिया लोकवड्ढानो॥**

अर्थात् - नीच धर्म का सेवन न करो, प्रमाद (आलस्य) से न रहें। मिथ्या धारणा में न पड़े तथा आवागमन का चक्र न बढ़ाएं।

आलेख

**डॉ. मुकुंद रविदास**
सहायक प्राध्यापक
स्नातकोत्तर हिंदी-विभाग
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय
धनबाद, झारखंड।

# डॉ. आंबेडकर जयंती की प्रासंगिकता

कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2004 ई. में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की एक सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम प्रथम स्थान पर था, सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉ. आंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि इसलिए भी कि करोड़ों असहाय मानव, नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर, समाज के मुख्यधारा से बहिष्कृत भारतीयों को, न केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बल्कि भारत के ही लोगों की उस सामाजिक मानसिकता से भी आजादी दिलाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यन्त संघर्ष किया था, जो केवल जन्म के आधार पर लोगों को श्रेष्ठ एवं निम्न के रूप में विभाजित करती थी। इस विषम परिस्थिति में डॉ. आंबेडकर का अछूत जाति में जन्म लेना और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित करना, यह कोई आसान संघर्ष यात्रा नहीं थी। आधुनिक भारत के अग्रणी निर्माताओं में शुमार डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों, उद्देश्यों और संदेशों की प्रासंगिकता वर्तमान में निरंतर बढ़ती जा रही है। बहुजनों के लिए अप्रैल माह बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी माह में 14 अप्रैल 1891 ई. में मध्यप्रदेश, इन्दौर-जिले के 'महू' तहसील (वर्तमान में आंबेडकर नगर) नामक गाँव में अछूत महार जाति के सूबेदार रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के चौदहवीं संतान के रूप में, भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिवेत्ता, इतिहास के युग प्रवर्तक, सामाजिक न्याय के प्रहरी, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व, महामानव, डॉ. भीमराव आंबेडकर जी का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दने के साथ-साथ इन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए जीवन-पर्यन्त संघर्ष किया। वे 06 दिसम्बर 1956 ई. को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। पिछले 131 वर्ष की एक लंबी दीर्घावधि से हम उनकी जयंती मनाते चले आ रहे हैं लेकिन क्या हम उन्हें अभी तक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए हैं? आपके मन में भी यही सवाल उठते होंगे। क्या डॉ. आंबेडकर के इस जयंती दिवस पर, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करना, चौक-चौराहों पर उनकी मूर्तियाँ स्थापित करना, जगह-जगह पर सभा, सेमिनार, विचार-गोष्ठी का आयोजन करना, सरकार के द्वारा छुट्टी की घोषणा कर देना, सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बौछारें कर देना, क्या सचमुख में बाबा साहब अंबेडकर की जायंती मनाने का यही उद्देश्य है? सच पूछिए तो नहीं। जिस सामाजिक परिवर्तन व

आधुनिक भारत के निर्माण की चाह में उन्होंने जीवन भर संर्घष किया, अपना घर-परिवार, बीबी-बच्चों के सुख और खुशियों को त्याग दिया था, उस बोधिसत्व महामानव आंबेडकर के क्या यही सपने थे? निश्चित रूप से नहीं। डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि ''मैं मूर्तियों में नहीं बल्कि किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है।'' वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके संघर्ष, त्याग और आंदोलन के मर्म को समझें, महसूस करें। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए एक सार्थक प्रयास करें और इसके लिए ही उन्होंने समाज को तीन क्रांतिकारी कथन दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।'' अगर बाबा साहब के ये तीन कथन को ही बहुजन समाज अपने जीवन में आत्मसात कर लिए होते, तो बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा हो गया होता। वर्तमान परिदृश्य में जब हम नजर डालते हैं, तो पाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में डॉ. आंबेडकर के सपनों से भी हम कोसों दूर दिखाई देते हैं। आखिर इस जयंती दिवस को मनाने का औचित्य क्या है? आखिर बाबा साहब डॉ. आंबेडकर ने क्यों कहा था कि- ''पढ़े-लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है।'' आज बाबा साहेब की वजह से राजनेता व पदाधिकारी, कर्मचारी जिस ऊँचाई पर बैठकर सुख भोग रहे है, उन्होंने ने ही बाबा साहेब के उद्देश्यों को व बहुजन समाज को भुला दिया है। डॉ. आंबेडकर ने जिस समाज के लिए अपना सब कुछ खो दिया था उस समाज के लिए हम राजनेता व उच्च पदों पर पदासीन पदाधिकारी, कर्मचारी इन 131 वर्षों में इस समाज को क्या दिया है। जबकि यह सरकारी नौकरी अपने समाज के प्रतिनिधित्व के लिए भी है। हम खुद से पूछे कि क्या हम उनके जन्मदिवस पर श्रद्धापुष्प अर्पित देने के काबिल हैं, योग्य हैं, हक है? संपूर्ण भारत आजादी का आज अमृत महोत्सव मना रहा है, परंतु यह दुखद है कि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए हमने बाबा साहब आंबेडकर को केवल बहुजनों का नेता, दलितों का मसीहा, संविधान के निर्माता बनाकर ही छोड़ दिया है। जबकि डॉ आंबेडकर एक विचारधारा बन चुके हैं, जिसे पूरी दुनिया ''नॉलेज ऑफ सिंबल'' के रूप में मानती है। वे एक महान समाजशास्त्री, विधिवेता, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्र के विद्वान थे। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदानों पर सरकार व राजनीतिज्ञयों, समीक्षकों इतिहासकारों को, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उनके विचारों को, सिद्धान्तों को, संघर्ष पूर्ण जीवनी, संस्मकरण-यात्रा को शामिल कर पढ़ने-पढ़ाने व शोध करने की आवश्यकता है। आज की राजनीतिक पार्टियाँ, पदाधिकारी, बहुजन संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा केवल बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के विचारों को दरकिनार कर केवल उनके नाम की जय-जयकार कर रही है। इससे न तो समाज का ही भला हो पा रहा है और न ही राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है। आज इस महापुरूष की जयंती दिवस पर उनकी याद करते हुए सबों को अपने आप में आत्म मंथन करने की जरूरत है। तभी आधुनिक भारत का निर्माण व समतामूलक समाज की स्थापना हो पाएगी।

आलेख

**डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय**
बरेली, उत्तर प्रदेश
मो.- 7983154558

# बौद्ध धम्म के पुनर्जीवन हेतु प्रारंभिक कार्य

भारत में बौद्ध धम्म के पुनर्जीवन हेतु जो प्रारम्भिक कार्य करना अत्यावश्यक है, मैं निम्नानुसार बता रहा हूँ। जो मेरे...

1. अनुयायी के पास हमेशा रह सके, ऐसा बौद्ध धम्म सारग्रंथ तैयार करना। बुद्ध की शिक्षाओं का गोस्पेल (सारग्रंथ) का अभाव बौद्ध धम्म के प्रचार में एक बड़ी बाधा है। सामान्य व्यक्ति पालि साहित्य के 73 ग्रंथ पढ़ेगा ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ईसा का संदेश एक छोटे से बुकलेट 'बाइबल' में होने से क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धम्म की तुलना में अधिक लाभान्वित है। बौद्ध धम्म के प्रचार के रास्ते की इस बाधा को दूर करना चाहिए। बुद्ध का गोस्पल (सारग्रंथ) तैयार करते समय बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। मुझे इसे अधिक महत्व देना है क्योंकि समाधि, गहन विचार और अभिधम्म पर अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार से भारतीयों का बौद्ध धम्म प्रस्तुत करना हमारे उद्देश्य के लिए अत्यंत घातक होगा।

2. क्रिश्चयन धर्म के बापतिस्मा जैसा संस्कार बौद्ध अनुयायी के लिए आरम्भ करना। बुद्ध के उपासक होने के लिए वास्तविक कोई संस्कार नहीं है। जो कोई संस्कार है, संघ में प्रवेश करने हेतु भिक्खु होने के लिए है। क्रिश्चयन में दो प्रकार के संस्कार हैं।

(क) क्रिश्चयन धर्म स्वीकार करने के लिए बापतिस्मा। पादरियों के लिए संस्कार।

(ख) धर्मगुरु होने के लिए-बौद्ध धम्म में बापतिस्मा जैसा संस्कार नहीं है। लोग बौद्ध होने के बाद, बौद्ध धम्म को क्यों छोड़ देते हैं? यह उसका प्रमुख कारण है। हमे क्रिश्चयन के बापतिस्मा जैसा संस्कार आरम्भ करना चाहिए, जिसमें हर उपासक बौद्ध कहलाने के पूर्व उस प्रक्रिया से गुजरे। केवल पंचशील का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति हिन्दू धर्म छोड़ रहा है और नया मनुष्य बन रहा है। ऐसा उसे महसूस होने के लिए और अन्य बातें जोड़ी जानी चाहिए।

(ग) बौद्धों को धर्म सिखाने के लिए तथा वे धर्म का कहाँ तक पालन कर रहे हैं, इसे देखने के लिए उपासको में से धर्मप्रचारक की नियुक्ति करना। ऐसे उपासक प्रचारक को निश्चित राशि देनी चाहिए और वह विवाहित भी हो सकता है। प्रारम्भ में वे अंशकालीन कार्यकर्ता हो सकते हैं।

(घ) बौद्ध विद्यापीठ की स्थापना करना, जहाँ ऐसे व्यक्ति जो प्रचारक बनना चाहते हैं, उन्हें अन्य धर्म का तुलनात्मक अध्ययन और बौद्ध धम्म सिखाया जा सके।

(ङ) प्रत्येक रविवार को विहारों में सामूहिक वंदना एवं प्रवचन का कार्यक्रम आरम्भ करना।

इस प्रारम्भिक कार्य के साथ प्रचार अभियान में मदद के रूप में अन्य कार्य, जिसे बड़े पैमाने पर किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नानुसार प्रस्तावित करता हूँ -

1. चार शहरों में विशाल महाविहारों का निर्माण करना

   क. मद्रास  ख. बंबई
   ग. नागपुर  घ. दिल्ली

2. विद्यालय और महाविद्यालय की निम्न शहर में स्थापित करना

   क. मद्रास  ख. नागपुर
   ग. कलकत्ता  घ. दिल्ली

3. लोग बौद्ध साहित्य के अध्ययन करने का उचित प्रयत्न करें। इस ओर आकर्षित करने के लिए बौद्ध विषयों पर निबंध आमंत्रित कर उनमें से प्रथम तीन को पर्याप्त राशि का पुरस्कार देना। निबंध पुरुष और स्त्री तथा समस्त लोग जैसे हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चयन के लिए खुला होना चाहिए। लोगों को बौद्ध धम्म के अध्ययन में रुचि पैदा करने का यह उचित मार्ग है।

विहार इतने विशाल होने चाहिए कि ऐसा महसूस हो कि वास्तव में कुछ बड़ा कार्य हो रहा है। उससे जुड़े हुए विद्यालय और महाविद्यालय आवश्यक हैं। उसका उद्देश्य यह है कि युवकों में धार्मिक वातावरण पैदा हो। इसके अतिरिक्त वे केवल मार्ग ही प्रशस्त नहीं करेंगे बल्कि अतिरिक्त धन भी देंगे, जिसका मिशनरी कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसे याद रखा जाए कि, क्रिश्चयन मिशनरी इस प्रकार के स्कूल कॉलेज द्वारा अर्जित अतिरिक्त राजस्व का उपयोग अपनी गतिविधियों में करते हैं।

ऊपर बताए गए प्रारम्भिक कार्य किये जाने चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि बौद्ध धम्म पुनः नष्ट न हो इसलिए भारत में बौद्ध धम्म के पुनर्जीवन-आंदोलन को प्रारम्भ करने के पूर्व क्या सावधानियाँ लेनी हैं, इसका निर्धारण करना चाहिए।

भारत में बौद्ध धम्म इसलिए नष्ट नहीं हुआ कि उसके सिद्धांत झूठ सिद्ध किए गए। भारत से बौद्ध धम्म नष्ट होने के कारण अलग हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने बौद्ध धम्म को अपने काबू में कर उसे दबा दिया। अब इसकी पर्याप्त जानकारी है कि, सम्राट अशोक के बंशज मौर्य सम्राट (बृहद्रथ) की उसके सेनाप्रमुख पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या करते हुए सत्ता प्राप्त कर ब्राह्मण को राज्य का धर्म स्थापित किया। इससे भारत में बौद्ध धम्म का लोप होना प्रारम्भ हुआ जो उसके ह्रास के कारणों में से एक है। जहाँ ब्राह्मणवाद के उदय ने भारत में बौद्ध धम्म नष्ट किया, वहीं भारत पर मुस्लिम आक्रमण द्वारा विहारों को बरबाद करना, भिक्खुओं का कत्ल करने जैसी हिंसक गतिविधियों ने बौद्ध धम्म का पूर्ण विनाश किया।

इस्लाम से बौद्ध धर्म को कोई खतरा अस्तित्व में नहीं है लेकिन ब्राह्मणवाद से खतरा अभी भी है। वह उसका प्रबल दुश्मन रहेगा। ब्राह्मण किसी भी रंग को धारण करे किसी भी पार्टी को अपनाए, ब्राह्मण,

ब्राह्मण ही रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण को स्तरबद्ध सामाजिक विषमता को बनाए रखना है। यह स्तरबद्ध विषमता ही है जिसने ब्राह्मण को सबसे ऊपर उठाया और एक के ऊपर एक का दर्जा दिया। बौद्ध धम्म समानता में विश्वास करता है। हमारे आंदोलन के प्रारिम्भक स्तर पर उन्हें दूर रखने की सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है।

बाबा साहेब आंबेडकर सम्पूर्ण वांग्मय
खण्ड-17, पृष्ठ 508

## संस्कार धर्म का आवश्यक अंग

मेंरा यहाँ आने का निश्चित उद्देश्यबौद्धों के संसकार को देखना है। संस्कार धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्धिवादी तो कुछ भी कहें, पर संस्कार धर्म का अत्यंत आवश्यक अंग है। मैंने सोचा था कि मैं बौद्ध धम्म के संस्कार जो उसके अभिन्न अंग है, को देखूँ।

25 मई से 6 जून, 1950 डब्ल्यू
एम.बी. कॅब्रडी

## बुद्ध धम्म में संस्कारवान बनाना होगा

मैं इस मत का हूँ कि उपासक का धर्मांतरण कोई धर्मांतरण नहीं है। वह केवल साधारण बात है, तथाकथित बौद्ध उपासक बुद्ध के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की भी पूजा करते रहते हैं, जिसे ब्राह्मणों ने बौद्ध धम्म को नष्ट करने के लिए बनाया था। उपासकों की ढुलमुल निष्ठा अधिकांशतः भारत से बौद्ध धम्म नष्ट होने का कारण है। इसके बाद यदि भारत में बौद्ध धम्म को मजबूती से स्थापित करना हो तो उपासक की सिद्ध उसमें ही निष्ठा होनी चाहिए। पूर्व में यह इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि बौद्ध धम्म के संघ में प्रवेश के लिए संस्कार हैं, लेकिन धम्म में प्रवेश के लिए नहीं था। क्रिश्चयन धर्म में दो संस्कार हैं। (1) क्रिश्चयन धर्म में प्रवेश करने के लिए बापतिस्मा, (2) पादरियों के लिए संस्कार। इस संबंध में भारत में प्रसार करने के उद्देश्य से क्रिश्चयन धर्म की नकल की जानी चाहिए। बौद्ध धम्म की इस खतरनाक बुराई को दूर करने के लिए मैंने नियम बनाया है, जिसे मैं धम्म दीक्षा कहता हूँ। हर कोई जिसे बौद्ध धम्म में धर्मांतरित होना है, उसे संस्कार से गुजरना होगा। अन्यथा उसे बौद्ध नहीं समझा जाएगा।

देवप्रिय बलिसिन्हा को पत्र
दि. 16.2.1955

कविता व गज़ल

# रघुवीर सिंह 'नाहर' की कुण्डलिया

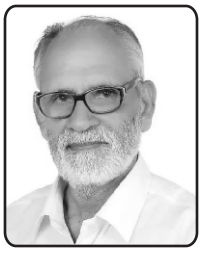

डोरी पर चलती रही, नाची बारम्बार।
भूख मिटाने के लिए, करती यत्न हजार।।
करती यत्न हजार, हुई ना तनिक कमाई।
कुनबा है लाचार, पास ना धेला-पाई।।
कह नाहर कविराज, रबड़ है नट की छोरी।
पल-पल मुड़ती जाय, चढ़ी है ऊँची डोरी।।

खिलने से पहले ढला, सब कलियों का रूप।
पत्ते भी मुरझा गये, देख जेठ की धूप।।
देख जेठ की धूप, बदन में अगन लगाए।
जीना है दुश्वार, कंठ भी सूखा जाए।।
कह नाहर कविराय, चलो बादल से मिलने।
लाओ तेज फुहार, लगें सब कलियाँ खिलने।।

झगड़ा झूठी बात का, क्यों करते हो यार।
देश बचाने के लिए, रहो सदा तैयार।
रहो सदा तैयार, सभी को पाठ पढ़ाओ।
यह बाबा का देश, किसी को नहीं सताओ।।
कह नाहर कविराय, बढ़े ना कोई रगड़ा।
करो समझ से बात, समय से निपटे झगड़ा।।

चर्चा दारू की करें, घर-घर हो उपयोग।
बिन पीये रहते नहीं, है ये कैसा रोग।।
है ये कैसा रोग, पास में बोतल होती।
रहते हैं मदहोश, घरों में नारी रोती।
कह नाहर कविराय, दिनों-दिन बढ़ता खर्चा।
बेटी हुई जवान, गाँव में होती चर्चा।।

मनिहारिन की टोकरी, चूड़िन का भंडार।
आई लेकर गाँव में, लुटा रही है प्यार।।
लुटा रही है प्यार, दिवस सावन के आये।
हरी गुलाबी लाल, सभी के मन को भाए।।
कह नाहर कविराय, लौट आओ पनिहारिन।
पहनो मिलकर साथ, छूट कर दी मनिहारिन।।

ताला अब किस बात का, लगा रहे हो यार।
घर-आँगन में चल रही, ठंडी मस्त बयार।।
ठंडी मस्त बयार, बाल सब पढ़ने जाते।
रहते घर में साथ, सभी मिल गाना गाते।।
कह नाहर कविराय, दिलों में रहा न काला।
मिटा सभी का भरम, नहीं लगता है ताला।।

**रघुवीर सिंह 'नाहर'**
अलवर, राजस्थान
मो.- 9413058580

# मनोहर लाल 'प्रेमी' की कविताएँ

(1)

सब शिक्षित जन संगठित बनो
बाबा साहब का पैगाम सुनो।

कोई काम असम्भव ना होगा,
पूरे होंगे अब अरमान सुनो।

संगठन में शक्ति होती है,
बिगड़े बन जाते काम सुनो।

एकता रही हथियार सदा,
जब होना हो मतदान सुनो।

शासन सत्ता को पाने में,
एकता के सद परिणाम सुनो।

अपना प्रिय नेता चुनने में
एकता का अहम योगदान सुनो।

संघर्ष सफल होगा निश्चित,
एकता के अनुसंधान सुनो।

(2)

संविधान की रक्षा करिये,
वोटों के हथियार से।

वोट हमारा राज तुम्हारा,
अब न चलेगी बेईमानी।
अपने वोट इकट्ठा कर सब,
अब हमको सत्ता पानी।

लोकतंत्र का युद्ध वोट से,
नहीं तीर तलवार से।

शिक्षा और समता के हक पर,
दुश्मन नजर लगाये।
सोच विषमतावादी जिनकी,
इससे भी भय खायें।

बहुत दुखी है जनता देश की,
अब इनके व्यवहार से।

**मनोहर लाल 'प्रेमी'**
राजाजीपुरम, लखनऊ
मो.- 8887792827

नाटक

**कर्मशील भारती**
दिल्ली
मो.: 9968297866

# क्रांतिसूर्य ज्योतिराव फुले

## पहला दृश्य

सावित्री बाई अपनी पाठशाला की ओर जा रही है, तभी कुछ ब्राह्मण युवा सावित्री बाई के पास आकर उस पर कीचड़, गोबर फैंकते हैं। यह वृद्ध ब्राह्मण सावित्री बाई को कहता है..धर्मद्रोही ये तो कम सजा है, इसे तो सूली पर चढ़ा देना चाहिये। कहता हुआ चला जाता है। सावित्री बाई किसी तरह से पाठशाला जाती है।

अगले दिन से वह अपने साथ एक थैला लटका कर चलती है। उस थैले में एक साड़ी रख कर ले जाती है। क्योंकि ये ब्राहमण उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे। पर सावित्री बाई उनसे डर कर पाठशाला जाना बंद नही करती है। बच्चों का पढ़ाना बंद नहीं करती है। यह सिलसिला जारी रहा। दोंनों ओर से कोई भी पीछे हटने के लिऐ तैयार न था। अब दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था (ज्योतिराव ने जब इस हालत में सावित्री बाई को देखा और सावित्री बाई की साड़ी पर कीचड़ लगा हुआ और माथे पर खून जमा हुआ तथा उसे घबराई सी देखकर ज्योतिराव उसके पास जाते है) साहस बढ़ाते हुए कहा।

**ज्योतिराव** : सावित्री ये तो अभी शुरूआत है। अभी और भी मुसीबतें सामने आएँगी और भी हालात बिगड़ेंगे। यदि हमने इस तरह से हार मान ली तो फिर बालिकाओं को पढ़ाने का जो हमने बीड़ा उठाया है यह बीच में रह जायेगा। ये सनातनी ब्राह्मण अपनी चाल में कामयाब हो जायेंगे। ये स्त्री-समाज और शूद्रातिशूद्र समाज को शिक्षा के द्वार तक कभी भी नहीं पहुँचने देंगे। क्योंकि इन्हें मालूम है जिस दिन ये शिक्षा इन लोगों तक पहुँच जायेगी उस दिन इन की गुलामी की बेड़ियाँ टूट जायेंगी और ये हमें दे भी क्या सकते है। ये सड़ा-गला समाज और कर भी क्या सकता है। ये सनातनी नहीं चाहते कि इस समाज में कुछ भी बदलाव हो और इनको मुफ्त ही दावतें, वस्त्र और धन की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे। खत्म न हो जाये। ये निक्कमें ब्राह्मण पुरोहित अपना मुफ्त का धंधा ऐसे ही बंद नहीं हो जाने देंगे? लेकिन सावित्री यदि तुम

कमजोर पड़ गई तो मैं कमजोर पड़ जाऊँगा। इन बच्चों और इनके माता-पिता के मन में एक आशा जगी है वह हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जायेगी-हौंसला रखो। धीरज रखो यह एक तूफान की तरह दिख रहा है पर हमारे हौंसलों के सामने ये टिक नहीं पाएँगें। ऐसा मेरा दावा है। ऐसा मेरा मानना है।

## दूसरा दृश्य

(ब्राह्मणों को लगा कि अब न ये पाठशाला बंद होगी औन न ही इसमें पढ़ाना रूकेगा तो उन्होंने फिर बैठक की, दूसरी कोई और चाल को कामयाब करने की बात चलाई। ज्योतिराव तो हमारी बात अवश्य ही मानेगा। चलिए उसके पास चलते हैं।)

**ब्राह्मण दूसरा :** लेकिन हम सबकी एक राय होनी चाहिये।

**ब्राह्मण तीसराः** अब की बार इसका ऐसा प्रबंध करते है कि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

**ब्राह्मण चौथा :** वो कैसे संभव है, यह कैसे होगा?

**ब्राह्मण तीसराः** होगा, क्यों नहीं होगा? जब हम गोविंदराव को डराएँगे, उसकी पीढ़ियों को नर्क में सड़ने का डर दिखाएँगें तो वह क्यों नहीं मानेगा हमारी बातः और एक बात, हम ब्राह्मणों की सारी बातें अनपढ़ और गंवार लोग ही मानते है। यह तो समझइये?

**ब्राह्मण पाँचवाः** ये बात तो आप की बिल्कुल सही है। ये तो सिद्ध कर दी है उस शूद्र ज्योतिराव, माली ने। उसने हमारे वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियाँ सभी पढ़े हैं। इसलिये वह हमारी आलोचना करता फिरता है।

**ब्राह्मण पहला :** खैर! छोड़िये उस ज्योतिराव को उससे तो बाद में निपटेंगे। चलो पहले गोविंदराव को अच्छी तरह से समझाते हैं कि तेरा बेटा हम ब्राह्मणों से झगड़ा मोल ले रहा है। वह हमारे धर्म के विरूद्ध काम कर रहा है। वह पापी है उसको हम ठिकाने लगा देंगे।

**ब्राह्मण दूसरा :** वो शूद्र, ज्योतिराव में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है और वो हमारे रास्ते का काँटा क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसे अपने पिता के घर में आराम से दो जून की जोटी मिलती है? हम गोविंदराव को ज्योति राव की पाठशाला बंद करवाने पर जोर देंगे और उससे कहेंगे कि यदि तेरा पुत्र ये पढ़ाने का काम बंद नहीं करता है तो उसे अपने घर से निकाल दे। जब वह घर से निकाल देगा, तो बच्चू को आटे-दाल का भाव याद आ जायेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। चलो अब चलते हैं।

**ब्राह्मण चौथा :** चलो भाईयों चलो। जल्दी से चलो उसके घर, उसके पास।

## तीसरा दृश्य

(और सारे ज्योतिराव को उसके घर से निकलवाने के लिए गोविंदराव के घर की ओर चल देते हैं।)

गोविंदराव अपने घर पर अकेला है तथा एक कुसी पर बैठा हुआ है तभी कुछ ब्राह्मणों को अपने घर की ओर आता देख वो समझ तो गए थे कि ये ब्राह्मण उनके पास क्यों आए हैं। लेकिन करता ऐसा अभिनय है जैसे इस बारे में वह कुछ जानता नहीं है।

**गोविंदराव :** (बड़े विनम्र भाव से) मेरे अहोभाग्य ... जो इतने भूदेवताओं की चरणधूलि मेरे घर आंगन पर पड़ी (उन्हें हाथ जोड़ते हुए) मैं तो धन्य हो गया। हे! भूदेवों मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।

**ब्राह्मण पहला : ( अपने साथियों से बातें करता है )** देखा ... हमसे कैसे भोलेपन से पूछ रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है!

**गोविंदराव :** थोड़ा मुझे भी तो पता चलें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो?

**ब्राह्मण तीसराः** क्यों बे बूडढ़े, क्या तू नहीं जानता कि तेरा बेटा और बहू क्या पाप कर रहे हैं। कैसा अधर्म फैला रहे हैं।

**ब्राह्मण चौथा :** क्या तू नहीं जानता कि तेरे बेटे ने कन्या पाठशाला खोली है और उस पाठशाला में तेरी बहू पढ़ाने जाती है। क्या तू नहीं जानता कि स्त्री शिक्षा हमारे धर्म और शास्त्रों के विरूद्ध है?

**ब्राह्मण पाँचवाः** पाठशाला जाते हुए सड़क पर वह चुड़ैल हाथ में पुस्तकें लेकर ऐसे मटक-मटक र चलती जैसे कोई गोरी मेम जा रही हो। वो तेरी बहू ही तो है।

**( एकदम से लगातार उन ब्राह्मणों के सवाल जो शूल की तरह से चुभ रहे थे, गोविंदराव के हृदय को छेद रहे थे, पर गोविंदराव को लगा कि इस समय चुप ही रने में भलाई है। तब उन्हीं में एक वरिष्ठ ब्राह्मण ने गोविंदराव से कहा।**

**गोविंदराव भला तुम यह तो सोचो कि आपका घराना कितना ऊँचा है जिस घर की बहू की नाक सूर्य भी नहीं देख सकता, उस घर की बहू दिन में खुली सड़क पर पुरूषों के सामने पाठशाला जाते हुए देखना क्या अच्छा लगेगा ... यह बात तो आपके कुल को कंलकित करेगी। तुम्हारा पुत्र ज्योतिराव तो ठहरा पुरूष। वो कुछ भी कर**

**सकता है परन्तु कोई स्त्री इस तरह निर्लज्जता का आचरण करे और वह गोविंदराव आपकी बहू हो, यह बात किसी को भी अच्छी लगेगी.....? गोविंदराव आपकी बहू आपके घराने की इज़्ज़त मिट्टी में मिला रही है... और आप अभी तक चुप हैं।)**

**ब्राह्मण दूसरा :** **(विनम्र स्वर में)** आपकी बहू पढ़-लिख कर समाज की लड़कियों को पढ़ा रही है। ऐसा पाप करके वह अपने मायके और सुसराल वालों को नर्क में सड़ाएगी यह हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब आगे जो हम कहें वह कान खोल कर सुन लो। या तो आप ज्योतिराव की पाठशाला बंद करवाएँ या उसे और उसकी बहू को घर से निकाल दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा आप से कोई झगड़ा नहीं है ... यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ..... ।

**(गोविंदराव प्रश्नवाचक मुद्रा में उनकी ओर देखता रहा)**

**वह फिर बोल आपका समाज से बहिष्कार किया जायेगा। यानी समाज का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई संबंध नहीं रखेगा ...। आपका हुक्का-पानी बंद किया जायेगा।**

**गोविंदराव** : **(गिड़गिड़ाते हुए)** नहीं-नहीं, ऐसा ही होगा भूदेवता। मैं ज्योतिराव को समझाऊँगा ये पाठशाला, ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दो। वरना ...!

**ब्राह्मण दूसराः** हम भी तो यही चाहते हैं। इसलिए आपको समझाने आए हैं।

**अच्छा अब हम चलते हैं। (और वहाँ से चले जाते है) अब गोविंदराव के मन में द्वंद चल रहा था कि कुछ देर बाद ज्योतिराव और सावित्रीबाई का घर में प्रवेश होता है। घर में आते ही गोविंदराव ने ज्योतिराव से पूछा।**

**गोविंदराव** : कर आये पाप कर्म तुम दोनों? और तुम्हारे पाप कर्मों की लपटें यहाँ तक आ पहुँची। मैं इन लपटों में झुलसा जा रहा हूँ। मुझे राख कर दिया है।

**ज्योतिराव** : पिताजी हमने कोई पाप कर्म नहीं किया है।

**गोविंदराव** : **(क्रोध में उबलते हुए)** तुमने लड़कियों की पाठशाला क्यों

खोली .... और उसमें अपने साथ बहू को भी शामिल कर लिया। यह पाप कर्म नहीं है तो और क्या है?

**ज्योतिराव** : पिताजी यह पाप कर्म नहीं यह पुण्य कर्म है .... बल्कि एक महान पुण्य कर्म है।

**गोविंदराव** : **( और क्रोध में )** तुम ऐसा पाप कर्म कर रहे हो जो पूरे शहर में अब तक किसी ने नहीं किया है। इस पाप कर्म से तुम तो नरक में जाओगे ही, साथ ही साथ हमारे पूर्वजों को भी ले डूबोगे।

**ज्योतिराव** : पिताजी, ये स्वर्ग और नर्क किसने देखे हैं? पिताजी ये इन स्वार्थी ब्राह्मणों की कोरी कल्पना है .. एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि लड़कियाँ पढ़े, तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा! क्या यह धर्म के विरूद्ध आचरण है। धर्म होता है मनुष्य के लिए और पढ़-लिख कर मनुष्य समझदार, सभ्य और ज्ञानी बनता है। इंसानियत सीखता है। ब्राह्मण के मुख से निकली बातों को ही हम अब तक धर्म मानते आये हैं। इसलिए ही तो वे हमें ठगते रहे हैं।

**गोविंदराव** : **( समझाते हुए विनम्र भाव से )** बेटा ज्योतिराव तुम यह तो जानते हो कि हमारा फूलों का धंधा इन ब्राह्मणों के सहारे ही चल रहा है, उसी से तुम्हारा भाई राजाराम, उसके बच्चे और तुम दोनों का ख़र्चा। यदि ब्राह्मण हमारा बहिष्कार करेंगे तो सोचिए फिर क्या होगा?

**ज्योतिराव** : यदि ऐसा है तो मैं आज ही घर छोड़ देता हूँ। फिर आप राजाराम और उसके बच्चों के साथ सुरक्षित रह पाओगे।

**( ज्योतिराव ने अपने पिता का घर छोड़ दिया खुशी से जिस तरह सिद्धार्थ ने एक दिन कपिलवस्तु को छोड़ दिया था। एक विवाद के कारण, दिन के समय.... महल छोड़ते समय जब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी से महल छोड़ने कि अनुमति माँगी।**

**पत्नी ने कहा-तुम ये ऐशोआराम की जिन्दगी छोड़ तो रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलती मर मेरे ऊपर आपके माँ-बाप और आपके पुत्र राहुल की ज़िम्मेदारी है। मैं यहीं रहकर उनकी देखभाल करूँगी। लेकिन आप मानव कल्याण, मानव के दुखों का अंत खोज कर आना मेरी ओर से आपको अनुमति है। )**

## चौथा दृश्य

**ज्योतिराव** : चलो सावित्री, अब तो घर का भी बंधन नहीं रहा। ये सारा संसार ही हमारा घर है। फर्क सिर्फ यह है कि घर बहुत बड़ा है और इसकी छत बहुत ऊंची है।

**सावित्रीबाई** : आपको मज़ाक सूझ रहा है और हमारी जान पर बन आई है। अब हम कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे?

**ज्योतिराव** : सावित्री ये ज़रूर है कि ये बिन बुलाई समस्या है पर मैं हूँ न तुम्हारे साथ। बस मुझे कुछ सोचने दो।

**सावित्रीबाई** : सोचो, अभी तो दिन है, जब रात होगी तब क्या होगा?

**ज्योतिराव** : मुन्शी गफ़्फार बेग आपको मालूम है ये मुन्शी जी ही थे जिनकी वजह से मैं आगे पढ़ पाया। मेरे पिता जी ने एक ब्राह्मण के बहकावे में आकर मुझे पढ़ने से रोक लिया था तब मुन्शी जी और चर्च के एक पादरी लिज़िट साहब ने मेरे पिताजी को समझाया। तब जा कर मैं आगे पढ़ पाया। चलो सावित्री ... मुन्शी जी के पास उनके घर चलते है। बस थोड़ी दूर ही है।

**सावित्रीबाई** : चलो जल्दी से उनके घर। **( बस दोनों थोड़ी दूर चले होंगे कि मुन्शी जी का घर आ गया )।**

**ज्योतिराव** : मुन्शीजी, जी मुन्शी जी। अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति सिर पर टोपी, आँखों पर चश्मा लगाए हुए निकलते है। **( ज्योतिराव को देखते ही )।**

**मुंशी बेग** : अरे! ज्योतिराव तुम! मुझे लगता है फिर कोई बड़ी आफ़त आन पड़ी है।

**ज्योतिराव** : जी मुंशी जी, मैंने लड़कियों के लिए पाठशाला क्या खोल ली, मुझे पिताजी का घर छोड़ना पड़ा।

**मुंशी बेग** : अरे वाह! ये अच्छा किया तुमने जो सीधे मेरे पास चले आये। नहीं तो एक नेक काम का मौका हाथ से चला जाता। चलो अंदर आ जाओ फिर बातें बताना। **( तीनों अंदर चले जाते है )**

**मुंशी बेग** : देखो भाई ये मेरी बेटी है फातिमा शेख़ और ये उसकी माँ है बेग़म रूख़साना। **( थोड़ी देर में चाय आ जाती है और फिर से चर्चा शुरू )**

**मुंशी जी** : मियाँ ज्योतिराव आगे क्या इरादा है तुम्हारा?

**ज्योतिराव** : मुंशी जी इरादा तो हमारा लड़कियों के लिए पाठशाला चलाना है, पर पहले अपने लिए एक घर तलाशना है।

**मुंशी जी** : इसी गंज पेठ में मेरा एक मकान

है पर पुरना आप को मैं दे सकता हूँ अग़र आप को पसंद आ जाये तो।

**ज्योतिराव** : इसी समय पसंद-नापसंद की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों सावित्री मैंने ठीक ही कहा ना।

**सावित्री बाई** : बस सर ढ़कने को एक छत चाहिए।

**मुंशी जी** : तो फिर अभी चल कर देख लो। **( इधर चाय खत्म हो चुकी थी। वो तीनों वहाँ से उठकर गंज पेठ की ओर चल पड़े )** मुंशी जी उस मकान को चाबी से ताला खोल कर उन्हें दिखाते है। सावित्री बाई अंदर से मकान को देखती है, और हाँ कर देती है।

**ज्योतिराव** : मुंशी जी बहुत बढ़िया है। सावित्री अब हम बच्चों की पाठशाला यहाँ से शुरू करेंगे। बाहर कहीं जाने का झंझट भी खत्म। क्यों मुंशी जी आप राज़ी हैं न। पर अभी हम आपको इसका किराया नहीं दे पाएँगे।

**मुंशी जी** : किराया, भाड़ा किसने माँगा है भाई, इस हाथ दे और उस हाथ ले।

**ज्योतिराव** : मैं समझा नहीं आपका मतलब।

**मुंशी जी** : भाई मतलब साफ है। तुम मेरी बेटी फातिमा को पढ़ाना इसके लिए मैं तुम्हें कोई फ़ीस नहीं दूँगा और इसके बदले में तुम मुझे इस मकान का भाड़ा नहीं देना, हुआ न हिसाब बराबर।

**सावित्री बाईः** ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया सौदा हुआ, और पढ़ाने के लिए एक और बेटी मिल गई।

**ज्योतिराव** : वाह! मुंशी जी आप जैसे लोग और मिल जाये तो महिला, शूद्रातिशूदों को शिक्षा देने का काम और आसान हो जाये।

**सावित्री बाई** : अब कुछ घरेलू सामान ख़रीद आये क्योंकि पिताजी के घर से तो हम ऐसे ही चल दिये थे।

**ज्योतिराव** : हाँ भाई घर गृहस्थी का सामान तो लाना ही है।

**मुंशी जी** : अच्छा ज्योतिराव अब मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो शर्माना बिल्कुल नहीं।

कहानी

**प्रेमचंद करमपुरी**
झूँसी, प्रयागराज
मो.: 9450225935

# माँ! मैं अड़तीस वर्ष की हो गयी

''देखो माँ, मैं आज अड़तीसवीं वर्षगाँठ मनायी यानी मैं अड़तीस वर्ष की हो गयी।'' लम्बी साँस लेकर माँ बोली, हाँ बेटी, शायद तुम सच कह रही हो। आखिर जिसकी बेटी अड़तीस वर्ष की हो गयी, जिसकी शादी अब तक नहीं हुई माता-पिता के दिल पर क्या गुजरेगी?'' ''क्यों माँ, मेरे इस शब्द से परेशान हो गयी? कोई नई बात कर दी क्या? जबसे होश संभाला है, तब से मेरा जनमदिवस मनाया जाता है। जब मैं बीस वर्ष की थी, तब से हर साल कभी हक्कीस, कभी बाईस। क्रमशः धीरे-धीरे आज अड़तीसवीं वर्षगाँठ मना चुकी हो।'' ''बेटी शायद तुम सच कह रही हो। तुमने मुझे एहसास नहीं कराया, बल्कि तुमने सोच पर हथौड़ा मारा है।'' ''क्यों माँ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो?'' ''क्या बोलती बेटी? ऐसा नहीं कि मैं माँ होकर तेरा ब्याह नहीं करना चाही। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भी नहीं कि रिश्ता नहीं आया। शादी न करने की मेरी गलती की तरह हर माँ-बाप यही गलती एक बार नहीं, बार-बार दोहराएँगे। यही सोचते-सोचते मेरा दिन अब गुजर रहा है। ''यही सोचते हुए माँ अट्ठारह वर्ष पहले बीते दिनों में चली गयी। ख्यालों में डूबी गयी। ''सुनो शर्मिला के पापा, बड़ा लड़का बाईस वर्ष का है।

लड़की अट्ठारह वर्ष से बीस वर्ष के बीच यानी उन्नीस वर्ष की है तथा सबसे छोटा लड़का सोलह वर्ष का है।'' ''ओह! तो लड़की अभी सयानी नहीं है। तुम लड़की की माँ हो। लड़की बी.ए. कर रही है। मेरे हिसाब से लड़की की अब शादी तो होनी चाहिए।'' ''देखो जी, अब लड़की की शादी होनी चाहिए। मगर मैं बेटी की शादी किसी राजपत्रित अधिकारी से नीचे नहीं करूँगी। इससे कम में मेरा समझौता नहीं होगा।'' ''क्यों जी। अगर लड़का उससे नीचे पद वाला सरकारी कर्मचारी हो, क्लास थ्री में बड़ा पोस्ट हो, तो नहीं चलेगा?'' ''नहीं जी। कह दिया, तो कह दिया। अगर लड़की की शादी होगी, तो क्लास टू अफसर से यानी गैजेटेड अफसर से।'' ''ओह! यानी बड़े साहब से तुम्हें शादी करनी थी, तो मुझसे शादी क्यों कर ली? मैं तो मामूली सा सेनेटरी इंस्पेक्टर हूँ।'' ''अरे मेरा जमाना था। मैंने चाहे जैसी जिंदगी जी ली। समझौता कर लिया तुमसे।'' ''तुमने समझौता किया कि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ मर-मरके जीया। (बड़बड़ाते हुए) ''क्या कहा? जरा जोर से कहो।'' ''क्यों जोर से कहूँ? मैं तुमसे शादी किया, तबसे क्या मैंने सुकून की रातें बितायी? सुकून की रोटी खायी? क्या पारिवारिक रिश्ता निभा पाया? भाई पिता गाँव में तरस गये कि गाँव में एक खट की अपनी झोपड़ी बना लो। मगर मजाल है तुमने झोपड़ी बनाने दिया। बस यही कहा क्यों बनाओगे?

अगर चार कमरा बनाओगे, तो एक कमरा

मिलेगा। मगर मेरे पिता तरसते रह गये कि बेटा बड़ा है, नौकरी कर रहा है। शायद गरीबी दूर हो जाएगी। भाई तरस गया। बड़े भैया हैं, तो पढ़ाई में फीस देंगे, किताब का पैसा देंगे, पाकिट खर्च देंगे। कहते-कहते आँखें भर आयीं। मगर कैसे कहें किससे कहें? तुम मेरी जैसी ही जिंदगी बच्चों को देना चाहती हो?'' ''देखो जी, मैं जो सोचती हूँ, वही करती हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी लड़की स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले के यहाँ नहीं, कार वाले के यहाँ जाए। कार से सफर करें।'' ''अरे शौक हो, पैसा हो, तो खुद ही चारपहिया न रख ले?'' ''अपनी और सरकारी गाड़ी का रूतबा कुछ और है।'' ''हाँ भाई, तु शायद सही कह रही हो। मैं ही गलत हूँ। पत्नी के आगे भला पति का क्या रूतबा? यह तुम्हें थोड़े चाहिए। अगर लड़की की जिंदगी बिगाड़नी है तो बिगाड़ लो। पिता होने के नाते, तुम्हारा पति होने के नाते जब इतनी लंबी जिंदगी जी ली, तो शेष जिंदगी बची है, वह भी कट जाएगी। बेबस होकर देखता ही रहूँगा।'' समय गुजरता रहा। भला वह क्यों रूकेगा? वह इंसान थोड़े है। ''पापा-पापा! मैं बी.ए. कर ली। अब एम.ए. करना चाहती हूँ।'' ''सच कह रही हो बेटी। मगर मैं क्या हूँ? मेरी कौन सुनता है? जो चाहो करो। रहा मेरा काम, जो बनेगा, करूँगा ही। सिवाय पैसा कमाने के और क्या कर पाता हूँ? कोई मेरी सुनता है? कोई मेरी बात मानता है?'' ''क्यों जी, कैसी बात करते हो? भला कौन तुम्हारी बात नहीं मानता?'' ''क्यों, जरा सोचो। मेरे गाँव का एक रिश्तेदार कई सल पहले आया था। वैसे, रिश्ते में पट्टीदार था। राम रूका भला था कि उस रात वह व्रत में था। फिर सोचा, सुबह जाने से पहले नाश्ता मिल जाएगा। मगर तुम उसे नाश्ता तक बना न सकी। आया, रूका, चला गया। मगर एक वक्त की रोटी नहीं खिला सका। क्या वह दुबारा मेरे यहाँ आएगा? और लोग मेरे यहाँ आएँगे?''

''तो क्या हुआ? खाना बनाती, मगर अपनी कसरत छोड़कर थोड़े बनाती। चाहे वह खाए, चाहे बिना खाये रहे या जाए।'' ''हाँ सही कहा। उसके आने का मन था। आया, फिर गया। गाँव वाला बड़ा समझकर आया था। मेरी दुर्दशा देखा। पूछ भी लिया, कैसे ऐसी पत्नी के साथ जीवन गुजर गया? क्या उत्तर देता? बस चुप रहा।'' ''यानी कि कई सालों की बात आज तक रखे हो?'' ''यही नहीं, उस व्यक्ति से तुम अपने देवर का हाल नहीं पूछी। बल्कि कह रही थी, आया था पैसा लेकर चला गया। जबकि वह छोटा भाई तुम्हारे डर से मेरे पास आता नहीं। घर पर है, फिर भी शक था। बिना मतलब का तुमने विवाद बना दिया। मुझसे भी विवाद कर लिया। जब गाँव वाला पट्टीदार सफाई न देता तो विवाद करती रहती।'' ''छोड़ो अपना काम करो।''

''हाँ भाई, अपना काम तो कर ही रहा हूँ। पति बना हूँ, मगर नौकर से बदतर जीवन है। गुलाम से बड़ा गुलाम हूँ। सरकारी काम आठ घण्टे करता हूँ। फिर खाना खाता हूँ, ऊपर से डाँट खा लेता हूँ। ऑफिस में साहब की डाँट, घर में बीवी की डाँट। बच्चों से बेकदरी। घर जा नहीं सकता। वहाँ उनसे उपेक्षा। मेरी जिंदगी का यही काम है। ''देखो जी, मैं उस तरह की पत्नी नहीं हूँ, जिसे मर्द अपनी पैर की जूती समझे, दबाकर रखे। मैं उसमें की हूँ जो अपने पति को दबाकर रखती हूँ।'' ''शायद ठीक कहा तुमने। आज जिसे तुम दबाकर रखने की बात करती हो, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम उसे क्या दबाकर रखोगी? शायद तुम्हें पता नहीं, मर्द या पति प्रेम का, सहयोग का, अपनेपन का साथी होता है। वह अगर नासमझ हो जाए, तो एक मिनट में दबाना भूलकर कटोरा लेकर सड़क पर उतर जाओगी। शायद तुम

नहीं जानती, ज्यादा रबड़ के गुब्बारे को दबाने पर, या तो हाथ से निकल जाता है या फूट जाता है। फिर न यह सुविधा, न सम्मान, न अच्छा जीवन। बस छोड़ी हुई अथवा विधवा कहीं जाओगी। खैर, बच्चों का जीवन बिगड़ जाएगा। यही सोचकर हर बात सुननी पड़ती है।'' ''अच्छा जी, तो मरना चाहते हो? आखिर मैं करवाचौथ का ब्रत रखती हूँ। ताकि आसानी से मर भी नहीं सकते। न जीने दूँगी, न छोड़ूँगी, न छोड़ने दुँगी। तुम मर्दो की यही सजा है, तो पत्नी को दबाना चाहते हैं।''

''तुम्हारी सोच ठीक है, इसे बनाए रखना। शायद भविष्य में काम आए। आखिर मैं भी तो कोई न कोई गुनाह किया होउँगा, जो इस परिवार का हिस्सा हूँ। भुगतना तो पड़ेगा।'' ''अब ऑफिस जा रहा हूँ कहकर इन्सपेक्टर साहब चले गये।

शर्मिला के पिता यानी नरेश जी अपने पत्नी कैकेयी के साथ वैवाहिक जीवन का सफर करते काफी लंबा सफर गुजार लिये। दोनों के संसर्ग से जन्मे बच्चे, बच्चियाँ कब जवान हो गये, एहसास ही नहीं हुआ। आखिर सामाजिक जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, चाहे वैवाहिक जीवन का सफर अच्छा हो या खराब। कुछ लोग समाज को अपनी पीड़ा चिल्ला-चिल्लाकर बता देते हैं। नरेश जी जैसे लोग अपने आप में अपनी पीड़ा समाहित कर लेते हैं। सिवाय इसके, जवान बेटी शर्मिला घर में थी। शादी तय करते, मगर क्लास टू का अफसर दामाद से नीचे नरेश की मैडम को पसंद नहीं था। आखिर बेबस नरेश जी अपनी जिम्मेदारी निभा नही सके।

''पापा-पापा!''

''हाँ बेटी शर्मिला, बताओ।''

''देखो भाभी की आदत ठीक नहीं है। उसे अलग कर दो।''

''शाबाश बेटा! ठीक तुम अपनी माँ पर गयी हो। क्या तुम्हारी माँ का व्यवहार कम पड़ गया, जो बेटी पूरा करने चली है? अब तक शादी के मेरे तीस वर्षों में उनका आदेश भुला पाया कि तुम्हारी आदेश शुरू हो गया। शादी तो हुई नहीं, आदेश पिता पर और चलाने लगी। बड़ा भाई तुम्हारा है, भाभी तुम्हारी है। हो सकता है, नया घर होने के कारण बहू से छोटी-मोटी त्रुटियाँ हुई होगी। आखिर तुम भी किसी के घर की बहू बनोगी। भैया और भाभी तुम माँ बेटी की व्यवहार से परेशान थे। वह तो पता नहीं किसका मुँह देख रहे थे। न जाने कब का अलग हो गये होते। अब हो जाएँगे अलग। अब मैं किसी को क्या रोक पाऊँगा? मेरी तरह बेशर्म तुम्हारे भैया और भाभी थोड़े हैं। ''एक साँस में नरेश जी बोल पड़े। इसके सिवाय क्या करते?

''क्यों जी, बेटी से क्या बहस कर रहे हो? बहू ठीक नहीं है। उसे अलग कर दो। देखो, इस घर में जगह नहीं मिलेगी।''

''क्यों? वह बेटा मेरा नहीं है? क्यों न जगह मिलेगी?''

''आप मेरे साथ रहो या अपने बहू-बेटे के साथ रहो।''

''अरे भाई, मैं किस लायक रहा, कब रहा? अगर ऐसा ही रहा होता, तो यह दिन देखने लायक नहीं रहता?''

''पापा प्रणाम!''

''हाँ बेटा! कहाँ जा रहे हो?''

''पापा मैं और मेरी पत्नी घर छोड़कर जा रहे हैं। कहीं काम करके जी लेंगे। मगर इस माँ और बहन के साथ नहीं रहना है। ताकि सुखी जीवन जी सकें। आपने अपना जीवन जी लिया, मगर मैं माँ के साथ नहीं रह सकता।''

''बेटा सही कहा। मैं इसको बुरा नहीं मानूँगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है। मैं किसके साथ अलग रहूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा? आखिर मैं इंसानी जिम्मेदारी से जुड़ा हूँ।'' लंबी साँस लेकर नरेश अपनी कुर्सी पर औंधे लेट गये। क्या करते, सिवाय सोचने के। जवान बेटी सिर परहै। उसकी उम्र बत्तीस वर्ष हो गयी। अभी शादी नहीं कर पाये।

''काश शादी के बाद एक दो साल में बच्चे नहीं हुए इस व्यवहार से अलग हो गये होते, तो कम से कम घुट-घुटकर जीना नहीं पड़ता। खैर, जो हो गया, वह वापस तो नहीं होगा। बेटी की शादी कर लूँ फिर आगे की सोच लूँगा। ''सोचते हुए कर्सी पर सो गये। वक्त गुजरा। करीब सात साल यों ही बीत गये। इसी उधेड़बुन में लड़की की शादी नहीं हो पायी। आखिर पत्नी की जिद के आगे बेबस थे।

''सुनो कैकेयी?''

''हाँ जी, बताओ।''

''आदमी की उम्र हँसने की, अच्छा जीवन जीने की, कितनी होती है?''

''यही पाचास वर्ष औरत की उम्र, पुरुष की उम्र पैंतालीस वर्ष। क्यों ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो?''

''क्योंकि मैंने सुना है, पैंतालीस वर्ष के बाद औरत की प्राकृतिक क्रियाएँ यानी मासिक धर्म से छुटकारा हो जाता है। फिर उसे माँ बनने में दिक्कत होती है, अगर अपवाद छोड़ दिया जाए।''

''कहना क्या चाहते हो?''

''यही कि लड़की की उम्र अड़तीस वर्ष हो गयी। कितनी उम्र के लड़के से शादी करोगी? क्या क्लास टू अफसर अभी भी मिल जाएगा?''

''अब क्या करुँगी, क्या नहीं करुँगी? अब लड़की की शादी चालीस वर्ष से कम के लड़के से नहीं करना है।''

''इतनी उम्र का लड़का कहाँ बचा होगा? देखा, लड़की की उम्र अड़तीस वर्ष हो गयी। लड़का अलग हो गया।''

''शर्मिला के पिताजी! शायद आप ठीक कह रहे थे। समय से जो लड़का मिल रहा था, शादी कर लेते, तो कितना अच्छा होता। हम औरतें मर्द को गुलाम बनाते-बनाते वक्त का गुलाम हो गयी। यह भूल गयी कि परिवार में प्रेस का, अपनेपन का, सहयोग का, साथी का संबेध होना चाहिए। मगर अहम में सब भूलकर, सब अपना खोकर, बहू-बेटे से अलग हो चली। न बेटा साथी रहा, न पति को अपना सकी, न बेटी की शादी कर पायी। मिला क्या इस अहम से? देखो जी, अब जो भी लड़का मिले, जिस पद-कद का, बेटी का ब्याह करना है।''

''चलो, होश तो आया। मगर समय से होश आने पर सब कुछ खोने से बचाया जा सकता है। अब बचा ही क्या है? खैर, चलो खाना खाते हैं। सुबह बाते करेंगे।''

''शर्मिला के पिता!''

''हाँ बताओ।''

''अब मुझे क्या बताना है? लड़की की उम्र अड़तीस वर्ष बीती जा रही है। गलतियाँ का एहसास होने लगा है। सजा भी मिल चुकी है। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मिली, पति को मिली। न घर रहा, न समाज। सबसे दूरियाँ बन गयीं। अब जो आप बता रहे थे, लड़का बयालीस वर्ष का है। डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता है। कम से कम कुछ कमा लेता है। बेटी का जीवन गुजर जाएगा। उसी से बात पक्की कर लो।''

''हाँ, सही कहा। बेमेल शादी, बेवक्त की शादी।''

आखिर उनतालीस साल की शर्मिला की शादी कर दी गयी। आखिर वही काम हुआ, जो पहले हो जाना चाहिए था।

कहानी

**श्यामलाल राही 'प्रियदर्शी'**
बरेली, उत्तर प्रदेश
मो.: 9456045567

# प्रतिशोध

यह बात उन दिनों की है, जब बीसवीं सदी को प्रारम्भ हुए डेढ़ दशक बीत चुका था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य पहुँचे हुए संत हिंदी, फारसी, उर्दू के प्रसिद्ध कवि हजरत अमीर खुसरो की जन्मभूमि के गाँव राजपुर में आ बसे थे। डूंगरपुर जनपद एटा का पटियाली से उत्तर गंगा की तरह एक गाँव था। गाँव मँझोले आकार का था। यह पूरा इलाका गंगा के कछार का था। डूंगरपुर में सबसे ज्यादा ठाकुर फिर अहीर चमार, धोबी, किसान, भंगी और कहार जाति के लोग निवास करते थे। ब्रिटिश काल में उन दिनों जमींदारी और सामंती व्यवस्था अपने चरम पर थी। गरीब और छोटी जातियों की महिला-पुरुषों की कोई इज्जत न थी। उनका जीवन पशुओं के तुल्य था। सामंतशाही का प्रभाव इतना था कि बिना ठाकुर और यादवों की आज्ञा के और जातियों के लोग कच्चे मकान पर मिट्टी की छत भी नहीं डाल सकते थे। उनमें नीचे की ओर खुदाई कर उसकी ऊँचाई सात या आठ फुट कर ली जाती थी। छप्पर के प्रवेश द्वार से केवल बैठकर ही प्रवेश किया जा सकता था। गरीब लोग छप्पर के ऊपर लौकी कदद की बेल फैला लेते थे, जो कभी-कभी इतनी घनी हो जाती थी कि छप्पर उनके बीच छिप जाता था।

फुलिया अभी तीस साल के आसपास की ही थी कि वह विधवा हो गयी। चौदह साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी और सोलह की उम्र में चिरौंजी  उसकी गोद में आ गया। उसके दो साल बाद छोटे, फिर एक और लड़का पैदा हुआ, जो बचपन में ही मर गया। फुलिया का पति जब तक जिंदा रहा, किसी तरह गुजर-बसर होती रही। पर एक दिन उसके पति की किसी मोटे अपराध के कारण गाँव के जमींदार ने इतनी पिटाई की कि वह मर गया। रात में ही उसकी लाश को जला दिया गया। किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। फुलिया के पति की मृत्यु के उपरांत कुछ दिन तो किसी तरह काटे। फिर गाँव के ठाकुरों के लड़के, जिनमें मुकदम का लड़का भी शामिल था। उसकी झोपड़ी के चक्कर लगाने लगे। गाँव में जहाँ भी वह काम को जाती, हर जगह उसे चुभती निगाहों का सामना करना पड़ता। फिर एक दिन तो हद ही हो गयी, जब मुकद्दम के लड़के ने उससे अश्लील हरकें शुरू कर दी। गाँव में कोई सुनने वाला न था। गाँव में झोपड़ी के अलावा कोई उसकी और संपत्ति भी न थी। फिर एक रात, आधी रात के बाद फुलिया अपने दोनों बच्चों के साथ गाँव से निकल भागी। गाँव के उत्तर में कुछ ही दूरी पर गंगा नदी थी। डूंगरपुर के बीच कोस की दूरी पर गंगा पार उसके पति की ननिहाल थी। फुलिया का गंतव्य पति की ननिहाल का गाँव सथरा ही था।

गंगा मे ंजलधारा के किनारे-किनारे चलते-

चलते राजपुर के समीप गंगा के जिस जगह पर पहुँच, वहाँ फालेज (जायद) की फसल खड़ी हुई थी। उसके दो दिन वहीं ठहरकर जायद की फसल के मालिक के यहाँ काम किया। जायद की फसल का मालिक भी एक ठाकुर था, नाम था केदार सिंह। केदार सिंह सहृदय था, अविवाहित था। उसे फुलिया में अपनी कामेच्छा पूर्ति की सामग्री नजर आयी। उसके फुलिया से सव्यवहार किया। फुलिया ने उसे गाँव से दो कोस की दूरी पर था। फुलिया अपने पति की ननिहाल सथरा चली गयी। जाते जाते उसने केदार सिंह से मिलने का राजपुर के बाजार में वायदा किया। फुलिया जब सथरा पहुँचा, तो उसके ममेरे देवर ने उसका बेमन से स्वागत किया। देवर ने उसे सथरा में एक विधुर व्यक्ति से विवाह करने का सुझाव दिया।

केदार सिंह अपनी जायद की फसल से खरबूजा और तरबूज बेचने आया था। फुलिया को लम्बा इंतजार करना पड़ा। जब केदार की बैलगाड़ी के सारे तरबूज, खरबूजा बिक बये, तब वह फुलिया को लेकर गाँव के प्रमुख व्यक्ति ठाकुर शमशेर सिंह की बैठक पर गया। ठाकुर शमशेर सिंह की दूसरी बीवी पिलुवा गाँ की थी, जो केदार के गाँव की रिश्ते में बहन लगती थ। पर हकीकत यह थी कि केदार सिंह के शमशेर सिंह की दूसरी बीवी से अनैतिक संबंध थे। इसी कारण केदार ने राजपुर में कुछ जमीन भी खरीद रखी थी, जिसे बटाई पर गाँव का एक चमार होरी करता था। केदार का अनैतिक संबंध होरी की पत्नी से भी था। केदार सिंह का शमशेर सिंह के यहाँ खूब आना-जाना था। केदार सिंह का शमशेर सिंह ने स्वागत किया। हालचाल के बाद केदार सिंह ने फुलिया बैठक के नीचे गली में खड़ी थी। शमशेर सिंह को केदार ने विश्वास दिलया कि फुलिया सुंदर है और उन दानों की भविष्य में अंक शायनी बन सकती है। शमशेर सिंह ने गाँव के चमारों का मुखिया जयराम को बुलाया और उसे चमरौटी में फुलिया को बसाने तथा उसकी मदद करने का आदेश दिया।

कुछ दिनों में फुलिया राजपुर में एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगी। झोपड़ी बनाने तथा कुछ बर्तन खरीदने में केदार ने उसकी मदद की। केदार सिंह का होरी की पत्नी के साथ तथा शमशेर सिंह की दूसरी बीवी शीला के साथ अनैतिक सम्बन्ध था। शमशेर को अपनी बीवी से केदार के सम्बन्ध का प्रमाण मिलने के बाद शमशेर ने उसे मरवा दिया और उसकी मृत्यु का इल्जाम होरी पर लगाकर उसे पुलिस से पकड़वा दिया। उसने केदार सिंह की सारी जमीन भी हथिया ली। शमशेर सिंह भी अय्याश आदमी था। उसे गरीब फुलिया में कुछ खास आकर्षण नजर नहीं आया, इसलिए वह उससे विमुख हो गया। केदार की मौत के इल्जाम में होरी को आजन्म कारावास की सजा हो गयी। फुलिया गाँव में पिसाई कुटाई करती थी।

समय गुजरता रहा। फुलिया की आयु बढ़ती गयी। उसने अपने चरित्र व स्वाभिमान की बड़े जतन से रक्षा की। चौदह साल का चिरौंजी इस नये गाँव में अपने को स्थापित करने में जुट गया। गाँव गंगा नहीं के पास होने के कारण उसमें गंगा में उग आयी झाऊँ नामक झाड़ियाँ काटकर गट्ठर बनाकर बेचना शुरू किया। इन्हें लोग ईंधन के लिए खरीद लेते थे। उसके बाद उसमें नाव पर सहायक के रूप में काम किया। जब उससे भी गुजर-बसर न हुई, तो उसने नाई का काम सीखा और अपनी जात-बिरादरी के पास-पड़ोस के गाँ में नाईगीरी करने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर सथरा के उसके ममेरे चाचा ने अपने गाँव में उसकी शादी करवा दी।

चिरौंजी को हर कोई तारीफ करने लगा। चिरौंजी का भाई छोटे भी शादी लायक हो गया था। छोटे खेती करता और सिलाई का काम भी सीखता। फुलिया और चिरौंजी की नेकनीयती व भलमनसाहत से पास-पड़ोस में उसका सम्मान बढ़ा दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बेनीपुर गाँव से छोटे की शादी भी हो गयी। छोटे की पत्नी कान्ता बहुत ही सुन्दर थी। जो भी उसे देखता, देखता ही रह जाता। छोटे ने उसे भी सिलाई सिखानी शुरू कर दी। कुछ पैसे इकट्ठे कर उन्होंने सिंगर कंपनी की एक हाथ वाली सिलाई मशीन भी खरीद ली। कान्ता और छोटे सिलाई करते और समय आने पर खेती में भी हाथ बटाते। बड़ी हंसी खुशी से समय गुजर रहा था।

ठाकुर शमशेर सिंह की लड़की की शादी होने को थी शादी में प्रयोग के लिए गेहूँ चना की सफाई कुटाई पिसाई की जानी थी। परंपरा के अनुसार यह काम गाँव के चमारों की औरतें ही करती थी। गाँव के चमारों में एक दो औरतें चरित्रहीन भी थी या जबरन चरित्रहीन बना दी गई थी। उसके शमशेर के साथ भी शारीरिक सम्बन्ध थे। फुलिया की तबीयत ठीक नहीं थी और चिरौंजी की पत्नी का पैर भारी था। इस कारण ठाकुर की बेगारी में उनका जाना संभव न था। क्योंकि चमारों के हर परिवार से एक औरत को जाना आवश्यक था। इसलिए छोटे की पत्नी कान्ता को अन्य औरतों के साथ काम करते एक सप्ताह बीत गया। इस बीच कुछ खास हुआ। वह दोपहर को जाती और दिन ढ़लने से जरा पहले आ जाती। शमशेर सिंह के जिस मकान में यह काम हो रहा था। वह उसके आवास से अलग था। एक दिन कान्ता बखारी में से गेहूँ निकाल रही थी कि शमशेर सिंह आ गया। कान्ता के साथ एक औरत और थी जो शमशेर को देखते ही बाहर आंगन में चली गयी। बाहर में दो-तीन औरतें गेहूँ साफ कर रही थीं। कान्ता और वह औरत जो शमशेर को देखते ही चली गई थी, बुखारी से गेहूँ निकाल रही थी। उस औरत के जाने के बाद कान्ता अकेली रह गयी। ठाकुर ने उसे पकड़ लिया और वहीं जमीन पर पटक दिया। कान्ता चिल्ला रही थी तथा ठाकुर की पकड़ से छूटने का प्रयास भी कर रही थी। पर ठाकुर के बलिष्ठ शरीर के आगे कुछ न चली। ठाकुर ने उसके साथ बलात्कार कर उसे छोड़ दिया। कान्ता जैसे ही छूटी बदहवास भागती हुई अपने घर चली गयी और फुलिया अपनी सास को जाकर सब बयान कर दिया। छोटे उस दिन रिश्तेदारी में गया था। फुलिया ने कान्ता को चुप रहने तथा किसी से भी जिक्र न करने को कहा। कान्ता के साथ जा औरतें काम कर रही थीं, वे सब माजरा समझ गयीं। उनमें से कई के साथ यह पहले भी हो चुका था। उन औरतों में कानाफूसी हुई और यह बात पूरे चमरटोले में फैल गयी कि छोटे की बहू के साथ ठाकुर ने जबरदस्ती कर उसकी इज्जत लूट ली है। कान्ता उस दिन पूरे समय गुमसुम रही। फलिया ने उसे बहुतेरा समझाया, पर उसने खाना भी नहीं खाया और उसी रात गाँव के बाहर एक पेड़ पर जाकर फाँसी लगा ली। पुलिस आयी और पंचनामा कर लाश को जलवा दिया। छोटे कुछ दिन बाद लौटा। जब उसे अपनी पत्नी की फाँसी लगाकर मर जाने का पता चला, तो वह बात जानने को व्याकुल हो गया कि उसकी पत्नी ने आखिर फाँसी क्यों लगा ली? उसने अपनी माँ से पूछा, तो उसने नहीं बताया। पर एक दो दिन में उसे इस बात का पता चल ही गया कि वास्तव में हुआ क्या था? असलियत जानने के बाद उसका खून खौल उठा।

छोटे उचित मौके की तलाश में रहने लगा।

उसे एक दिन मौका मिल गया। शाम होने को आ रही थी। उसके साथ वाला आदमी उस दिन काम पर नहीं आया था। शाम से कुछ पहले तक छोटे लकड़ियाँ चीरता फाड़ता रहा। फिर वह पक्के इरादे के साथ ठाकुर की बैठक पर गया। ठाकुर शमशेर सिंह एक चारपाई पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। छोटे कुल्हाड़ी लेकर उनके पास चला गया। ठाकुर ने समझा कि शायद छोटे कुछ कहना चाह रहा होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और बदस्तूर हुक्का पीता रहा। ठाकुर के पस जाकर छोटे ने उससे कहा ''ठाकुर तुमने मेरी औरत के साथ जबरन बुरा काम क्यों किया? ''छोटे के प्रश्न पर ठाकुर संभल गया और बोला, ''यह तुझसे किसने कहा?'' ''मुझे मालूम है पर मैं तेरे मुँह से सुनना चाहता हूँ।'' ''साले चमट्टे अगर मैंने तेरी घरवाली से जबरदस्ती कर भी ली है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? चमार औरतें तो टके-टके में वैसे ही मुँह काला करती फिरती हैं। साले बकवास मत कर। वरना इतने जूते मारूँगा कि तेरी खोपड़ी गंजी हो जाएगी।''

ठाकुर को छोटे के खतरनाक इरादे का पता न था। वह तो अपनी दबंगई दिखा रहा था। छोटे बहुत क्रोध में आ गया। वह बोला, ''साले हरामी तो ले बि अपने हरामपने का दंड भी भोग।'' यह कहकर उसने ठाकुर पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया। कुल्हाड़ी उसके सीने में धंस गयी छोटे ने दो, तीन, चार और वार किये तथा ठाकुर को मार डाला। फिर वह भाग खड़ा हुआ। उसे खून से लथपथ कुल्हाड़ी के साथ कई लोगों ने भागते देखा। तीन दिन बाद उसे जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शमशेर सिंह के कत्ल में उसे जेल में कर दिया। मुकदमा चला। चिरौंजी ने मुकदमे की भरपूर पैरवी की, पर नाकाम रहा। अदालत ने उसे आजन्म कारावास का दंड दिया। छोटे की बहादुरी के बाद बस्ती की औरतों की ओर ठाकुरों ने बुरी निगाह से फिर कभी नहीं देखा।

रिपोर्ट

# आंबेडकर-जयंती की पूर्वसंध्या पर हुआ ऑनलाइन कविगोष्ठी का आयोजन

ग्लोबल ऑर्गिनाइजेशन ऑफ आंबेडकराइज्ड लिटरेटियर्स (G.O.A.L) के तत्वावधान में डॉ. आंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या यानी 13 अप्रैल 2022 को सायं 6.00 बजे से 8.00 बजे तक ऑनलाइन कविगोष्ठी का

आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता गोल के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. राम मनोहर राव जी (बरेली) ने की। गोल के सचिव देवचंद्र भारती 'प्रखर' ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच का संचालन माननीय राधेश विकास जी (प्रयागराज) द्वारा किया गया। कविगोष्ठी का आरम्भ भीम-वंदन से हुआ। अलवर से आर.एस. नाहर ने 'आते न भीम देश में/कभी न खिलते फूल/नफरत के बाजार में/उड़ती रहती धूल' गाकर सुनायी। नारनौल से साहित्यकार भूपसिंह भारती ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन और उनके कृतित्व पर हरियाणवी बोली में रागनी 'ये बाब्बा साहेब बोल्ये, दिखे लोगां ने समझाकै, शिक्षा का हक थमने नई राह दिखावेगा/मानव की ज्यूँ जीणा यो आप सिखावैगा' सस्वर सुनाकर खूब तालियाँ बटोरी। लखनऊ से कवि एन.एन. प्रसाद ने 'बीच हमारे नायक बन मनुवादी हरदम वार करेंगे/मानवता के खलनायक कब वंचित जन से प्यार करेंगे' गज़ल गाकर सुनायी। वरिष्ठ साहित्यकार श्यामलाल राही ने अपनी गज़ल 'बाबा के यहाँ आते ही बत्ती सी जल गयी। जो बर्फ रुढ़ियाँ की थी, वो पल में गल गयी' गाकर सुनायी। लखनऊ से कवि मनोहर लाल प्रेमी ने भीम महिमा पर अपनी रचना पढ़ी। बरेली से साहित्यकार डॉ. राम मनोहर राव ने 'दुःख तमाम झेलकर वो स्वयं हुए बड़े/वंचितों को हक मिले वो सदा रहे अड़े' गज़ल गाकर सुनायी। कविगोष्ठी में डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन और उनके योगदान को देश के

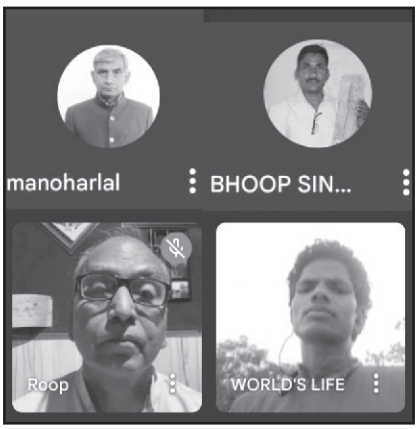


साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा प्रस्तुत किया। कवि रूपसिंह, कुँवर नाजुक, वीरेंद्र सिंह दीवाकर आदि ने भी अपनी-अपनी रचनाएँ पढीं।

रिपोर्ट

# बुद्धपूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गोल द्वारा ऑनलाइन कविगोष्ठी का हुआ आयोजन

ग्लोबल ऑर्गिनाइजेशन ऑफ आंबेडकराइज्ड लिटरेटियर्स के तत्वावधान में दिनांक 14 मई 2022 को ऑनलाइन कविगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता गोल के अध्यक्ष डॉ. राम मनोहर राव ने किया। संचालन करते हुए नीरज कुमार नेचुरल ने बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील से गोष्ठी का आरंभ किया। गोष्ठी में शामिला कवियों ने तथागत बुद्ध के जीवन चारित्रा, बौद्धधम्म, आंबेडकर-मिशन तथा समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर अपनी कविताएँ प्रस्तुत की। वरिष्ठ आंबेडकरवादी साहित्यकार एल.एन. सुधाकर ने तथागत बुद्ध का महिमागान करते हुए अपनी कविता 'आज बुद्ध के चरणों में नतमस्तक विश्व है सारा' का सस्वर वाचन किया। गोल के उपाध्यक्ष मनोहर लाल प्रेमी ने भगवान बुद्ध और बौद्ध धम्म से संबंधित दोहों को सुंदर लय में सुनाया। प्रसिद्ध गज़लकार श्यामलाल राही प्रियदर्शी ने अपनी गज़ल 'रहबर वह बनकर आये और रास्ता दिखा दिया, घनी तीरगी में गौतम बुद्ध ने दीपक जला दिया' के माध्यम से अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड और काल्पनिकता पर कटाक्ष करते हुए बौद्ध धम्म की वैज्ञानिकता को अभिव्यक्ति दी। गज़लकार बहर बनारसी ने 'जाति और मजहब से लड़ते रहे वो उम्र भर, डॉक्टर आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर' गज़ल सुनाया। नीरज कुमार नेचुरल ने अपना गीत 'अब तो बौद्ध धम्म अपनाकर सब हो जाओ होशियार' सुनाकर बौद्ध धम्म अपनाने की प्रेरणा दी और खूब वाहवाही लूटा। गोल के सचिव देवचंद्र भारती 'प्रखर' ने अपना खंडकाव्य 'परिणय' से सिद्धार्थ गौतम द्वारा गृहत्याग करते समय सिद्धार्थ-यशोधरा संवाद प्रकरण को प्रस्तुत करके यशोधरा की त्यागमयी छवि को चित्रांकित किया। रूप सिंह रूप ने अपनी लंबी कविता 'धम्मसार' के माध्यम से बौद्ध धम्म की सम्पूर्ण विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉ. राम मनोहर राव ने अपनी प्रेरक गज़ल 'मानव-मानव को देते आवाज, करुणा मैत्री भरे धम्म का हो आगाज' सुनाकर गोष्ठी का समापन किया। गोष्ठी में आलोक रंजन और वीरेंद्र सिंह दिवाकर भी शामिल रहे।

रिपोर्ट

# GOAL के तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन

ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंबेडकरराइज्ड लिटरेटिअर्स के तत्त्वावधान में दिनांक 29 मई 2022 को एक दिवसीय सेमिनार, यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन भंते करुणानंद ने त्रिशरण, पंचशील के वाचन से किया। आंबेडकरी

आंदोलन में आंबेडकरवादी साहित्य एवं संगठनों की भूमिका विषय पर आयोजित इस सेमिनार का संचालन करते हुए वरिष्ठ आंबेडकरवादी साहित्यकार डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय ने 'अनित्य संखारा' का उल्लेख करते हुए कहा कि जो लोग बुद्ध को मानते हैं, उन्हें बुद्ध की इस वाणी का पालन करते हुए सांसारिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। उन्हें दलित साहित्य की संकुचित अवधारणा को त्यागकर आंबेडकरवादी साहित्य की व्यापक अवधारणा को ग्रहण करना होगा। तभी बुद्ध-दर्शन और आंबेडकरवादी चिंतन पर आधारित साहित्य का समुचित विकास हो पाएगा। आंबेडकरवादी साहित्यकार एवं समालोचक देवचंद्र भारती 'प्रखर' ने आंबेडकरवाद और हिन्दी साहित्य विषय पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि आंबेडकरवाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है, जिसमें तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी, संत गाडगे और नारायण गुरु आदि महापुरुषों के क्रांतिकारी विचारों का समावेश है। इस प्रकार आंबेडकरवाद एक व्यापक दृष्टिकोण की विचारधारा है। अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, वैज्ञानिक चेतना, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, प्रेम, मैत्री, सामाजिक यथार्थ, अंधविश्वास की आलोचना और सदाचरण आदि आंबेडकरवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, जिनका सम्यक अनुपालन हर आंबेडकरवादी साहित्यकार को करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि माननीय रामेश्वर दयाल ने कहा कि इस सेमिनार का विषय वास्तव में बहुत ही गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्णाजी

श्रीवास्तव ने कहा कि मैं आंबेडकरवादी चेतना पर आधारित साहित्य एवं साहित्यकारों पर हमेशा शोध करवाता हूँ और करवाता रहूँगा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर टी.पी. राही ने आंबेडकरवादी साहित्य की अवधारणा को स्वीकार किया और कहा कि साहित्यिक संगठन गोल का साहित्य जगत में यह क्रांतिकारी एवं सराहनीय प्रयास है। मुख्य अतिथि माननीय आर.आर. प्रसाद ने गोल के इस साहित्यिक आंदालेन में निरंतर सहयोग करने का आश्वासन दिया। आंबेडकरवादी साहित्य से सम्मानित साहित्यकार श्रद्धेय एल.एन. सुधाकर और श्रद्धेय बुद्ध शरण हंस स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनुपस्थित रहें। इसलिए संगठन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त साहित्यकारों के घर जाकर यह साहित्यिक सम्मान उन्हें सहर्ष प्रदान किया जाएगा। सेमिनार के दूसरे सत्र में डॉ. राम मनोहर राव द्वारा संपादित पुस्तक 'आंबेडकरवादी चेतना की गज़लें' देवचंद्र भारती 'प्रखर' द्वारा संपादित एवं रचित पुस्तकें 'सुधाकर सागर सार' और 'विषमता के विरुद्ध', डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय और इं. नागेन्द्र कुमार गौतम द्वारा लिखित पुस्तकें 'मानवता के मसीहा डॉ. आंबेडकर का जीवन दर्शन' और 'धम्मपथ प्रदर्शिका' आदि पाँच पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा कविगोष्ठी हुई, जिसमें डॉ. सुरेश कुमार उजाला ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने? इस विषय पर एक लंबी कविता का सस्वर वाचन किया तथा उन्होंने मंच से

आंबेडकरवादी साहित्य की अवधारणा को सहमति प्रदान की। वरिष्ठ साहित्यकार बी.आर. विप्लवी ने अपनी समसामयिक गज़लें सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। गोल के उपाध्यक्ष मनोहर लाल प्रेमी ने भी मार्मिक विषयों पर आंबेडकरवादी कविताओं का सस्वर वाचन किया। गोल के अध्यक्ष डॉ. राम मनोहर राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सेमिनार और संगठन के उद्देश्यों को सार रुप में स्पष्ट किया तथा उन्होंने गोल की स्थापना तिथि 6 दिसम्बर को दिल्ली में अधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की। इंजीनियर नागेन्द्र कुमार गौतम ने सेमिनार में उपस्थित सभी साहित्यकारों एवं शोधार्थियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि समय की यही माँग है कि हम खुद को दलित कहने की बजाय आंबेडकरवादी कहें तथा आंबेडकरवादी साहित्य का सृजन और पाठन करें, जिससे कि आंबेडकरी आंदोलन को सही दिशा मिल सके। इस अवसर पर नीरज कुमार नेचुरल, डॉ. मिलिंद राज, रामसनेही विनय, ज्ञानप्रकाश जख्मी, आशीष सिंह (प्रकाशक, साहित्य संस्थान गाजियाबाद), जालंधर बागी (आंबेडकरवादी मिशनरी गायक), मुकेश कुमार, प्रद्युम्य राव, अनीश, गोलू, आशु, रीतिश राज, राहुल, रोहित आदि लोग उपस्थित रहे।

## 'आंबेडकरवादी साहित्य' पत्रिका के मंडल प्रतिनिधिगण

रुपचंद गौतम, दिल्ली, 9868414275
कर्मशील भारती, दिल्ली, 9968297866
विजय छाण, राजस्थान, 9983272626
प्रह्लाद मीणा, राजस्थान, 9982553620
विनोद कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 8765275887
प्रबुद्धनारायण बौद्ध, चन्दौली, उ.प्र., 9005441713
विजय कुमार, चन्दौली, उ.प्र., 9198371768
सूर्यमल बौद्ध, गाजीपुर, उ.प्र., 9919047757
नीरज कुमार नेचुरल, जौनपुर, उ.प्र., 8318543949
मुन्ना कुमार, जौनपुर, उ.प्र., 7075751143
विरेन्द्र सिंह दिवाकर, हरदोई उ.प्र., 8765076843
अमित कुमार बौद्ध, रामपुर, उ.प्र., 7983836622
लोकेश आजाद, इटावा, उ.प्र., 8847398166
पप्पूराम सहाय, झाँसी, उ.प्र., 6393572259

# आगामी अंक

**जुलाई-सितम्बर 2022**

**( आंबेडकरवादी गज़लों का स्वरुप )**

**उक्त विषय से सम्बन्धित आलेख, गज़लें, पुस्तक समीक्षा, रिपोर्ट आदि आमंत्रित हैं।**

## 'आंबेडकरवादी साहित्य' पत्रिका की सदस्यता हेतु विवरण

**सदस्यता शुल्क :**

वार्षिक : 350/-
त्रैवार्षिक : 1000/-
द्विवार्षिक : 650/-
आजीवन : 7000/-

**भुगतान विकल्प :**

Bank Account Number : 35332395763
Account Holder : Devachandra Bharati
Bank Name : STATE BANK OF INDIA
IFSC Code : SBIN0012302
paytm PhonePe G Pay : 9454199538

# आंबेडकरवादी साहित्य सम्मान

सम्मान प्रदाता संगठन : आंबेडकरवादी साहित्यकारों का वैश्विक संगठन (ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंबेडकराइज्ड लिटरेटिअर्स GOAL)

सम्मान हेतु पात्रता : आंबेडकरवादी चेतना पर आधारित साहित्य का सृजन करने वाले साहित्यकार ही इस सम्मान के लिए पात्र हैं। आंबेडकरवादी साहित्य सम्मान केवल आंबेडकरवादी साहित्यकारों को ही प्रदान किया जाएगा। आंबेडरवादी साहित्यकार को बाबा साहेब द्वारा ली गयी बाईस प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है।

साहित्यिक विधा : कविता, गीत, गजल, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, रिपोतार्ज, निबंध, आलोचना आदि सभी विधाओं में।

सम्मान का स्वरुप : सम्मान-पत्र, शाल और ₹2500 नगद धनराशि।

भविष्य की योजना : सम्मान की धनराशि को प्रतिवर्ष (तीन वर्षों तक) दोगुना किया जाएगा अर्थात् दूसरे वर्ष सम्मान की धनराशि ₹5000 होगी, तीसरे वर्ष सम्मान की धनराशि ₹10000 होगी और चौथे वर्ष सम्मान की धनराशि ₹20000 होगी। पाँचवें वर्ष ₹5000 जोड़कर सम्मान की धनराशि ₹25000 कर दी जाएगी।

# GOAL द्वारा किया गया पाँच पुस्तकों का विमोचन

ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंबेडकराइज्ड लिटरेटिअर्स के तत्वाधान में आयोजित सेमिनार (यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ) के दूसरे सत्र में डॉ. राम मनोहर राव द्वारा संपादित पुस्तक 'आंबेडकरवादी चेतना की ग़ज़लें', देवचंद्र भारती 'प्रखर' द्वारा संपादित एवं रचित पुस्तकें 'सुधाकर सागर सार' और 'विषमता के विरुद्ध', डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय और इं. नागेंद्र कुमार गौतम द्वारा लिखित पुस्तकें 'मानवता के मसीहा डॉ. आंबेडकर का जीवन दर्शन' और 'धम्मपथ प्रदर्शिका' आदि पाँच पुस्तकों का विमोचन किया गया। कुछ झलकियाँ अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं :